क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति



पूर्व मध्य रेल

यात्री सेवा एवं विकास के लिए सदा तत्पर

पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

के

सदस्यों का

हार्दिक अभिनंदन करता है।

पटना

दिसम्बर 29, 2012

पूर्व मध्य रेल
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य
अवधि 01.12.2011 से 30.11.2013तक

क्रम सं0	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
1.	श्रीमती मीना सिंह माननीया सांसद , स्थायी पता– संतोषा काम्पलेक्स, बंदर बगीचा, डॉक बंगला रोड, पटना, बिहार–800001 वर्तमान पता– 83, नॉर्थ एवेन्यू ,नई दिल्ली–110001	माननीया सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित ✓
2.	श्री सैयद शहनवाज हुसैन माननीय सांसद , स्थायी पता– वार्ड सं.–20, कोशी कालोनी, जिला– सुपौल, बिहार –852131 वर्तमान पता– 7, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली–110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित ✗
3.	श्री जगदानन्द सिंह माननीय सांसद , स्थायी पता– ग्राम एवं पोस्ट– सहुका जिला– कैमुर, बिहार –821106 वर्तमान पता– बी–702, एम.एस.फ्लैट, बी.के.एस.मार्ग, नई दिल्ली–110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित ✗
4.	श्री हुकुम देव नारायण यादव माननीय सांसद , स्थायी पता– ग्राम एवं पोस्ट– बिजुली, जिला– दरभंगा, बिहार–847115 वर्तमान पता– 4, विश्वम्भर दास मार्ग, नईदिल्ली–110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित ✗

5.	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह माननीय सांसद , स्थायी पता– ग्राम– पानापुर शाहपुर, पोस्ट–लावापुर नारायण, जिला– वैशाली, बिहार –844506 वर्तमान पता– 8,अशोका रोड, नई दिल्ली–110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
6.	श्री बाबू लाल मंराडी माननीय सांसद, स्थायी पता–ग्राम–कोदई बैंक , पो0– चन्दौरी, थाना – तिसरी, जिला– गिरिडीह, झारखंड –815317 वर्तमान पता– 23, बलबंत राय मेहता लेन, नई दिल्ली–110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
7.	श्री राधे मोहन सिंह माननीय सांसद , स्थायी पता– ग्रा0 एवं पो0–करमपुर, था0–खानपुर,जिला– गाजीपुर, उत्तर प्रदेश –233223 वर्तमान पता– 215, नॉर्थ एवेन्यू , नई दिल्ली–110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
8.	श्री रशीद मसूद माननीय सांसद , स्थायी पता–श्याम मंजिल, लखनौती रोड, गंगोह, जिला– सहारनपुर, उत्तर प्रदेश –247341 वर्तमान पता– 100, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली–110003	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
9.	श्री राम कृपाल यादव माननीय सांसद , स्थायी पता– गोरिया टोली, स्टेशन रोड पटना, बिहार –800001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित

10.	श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह माननीय सांसद , स्थायी पता–मुस्तफापुर टोला, ग्राम– मालती, पोस्ट एवं था0– अरथावा जिला– नालन्दा, बिहार –803107	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
11.	श्री विनोद कुमार चौधरी, स0वि0प0, बिहार विधान परिषद, फ्लैट नं.–57, वीरचंद पटेल पथ, पटना –800001	सदस्य विधान परिषद बिहार	बिहार सरकार द्वारा मनोनित
12.	श्री कुमुद वर्मा ए–15/1667, कल्याणी नगर, मित्रा मंडल कालोनी, साकेत बिहार, अनीसाबाद, पटना दूरभाष – 0612–2252584 मो0 – 9835052496	महाप्रबंधक के विशेष रुचि	महाप्रबंधक के विशेष रुचि
13.	श्री डी. के. जैन साकेत, जी.वी.रोड, गया–823001 दूरभाष – 0631–2222555 मो0 – 9431224555	पैसेंजर एसोशिएसन	ग्रैण्ड कार्ड पैसेंजर एसोशिएसन, गया
14.	डॉ अनूप कुमार केडिया बसेरा, 101–ए, गोसाईबाग, टेकारी रोड, गया–823001 दूरभाष – 0631–22222348 मो0 – 9430056396	प्रोट्टक्सन फोरम	पैसेंजर राईटस प्रोट्टक्सन फोरम, गया
15.	डॉ कौश्लेन्द्र प्रताप राठौर भवन, बैक ऑफ बड़ौदा कैम्पस, उतर मखलौटगंज, गया–823001 दूरभाष – 0631–2222348 मो0 – 9835269891	चेम्बर ऑफ कामर्स	सेन्ट्रल बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, गया
16.	डॉ संजीव अग्रवाल खड़ग नारायण रोड, अरबिंद शोभा मेमोरियल डेन्टल अस्पताल, मुगेरीगंज, बेगुसराय–851101 दूरभाष – 06243–243064 मो0 – 9430564301	पैसेंजर एसोशिएसन	नॉर्थ बिहार रेलवे पैसेंजर एसोशिएसन, बेगुसराय

17.	श्री राजीव शर्मा हिंन्दुस्तान इंटरनेशनल तिवारी मार्केट, बैंक मोड़, धनबाद–826001 दूरभाष – 0326–2305538 मो0 – 9431121451	चेम्बर ऑफ कामर्स	धनबाद जिला चेम्बर ऑफ कामर्स, धनबाद
18.	श्री मोती लाल छापड़िया सुतापटटी, मुजपफरपुर–842001 दूरभाष – 0621–2245247 मो0 – 9430444937	चेम्बर ऑफ कामर्स	नॉर्थ बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, मुजफ्फरपुर
19.	श्री संजय सारंगपुरी जिला स्कुल के सामने, मो. अगरवा, मोतिहारी–845401 मो0 – 9473018177	रेल मंत्री के विशेष रुचि	रेल मंत्री के विशेष रुचि
20.	श्री पवन कुमार सुरेका मारवाड़ी स्कुल रोड, दरभंगा–846004 दूरभाष – 06272–222567 मो0 – 9934060161	चेम्बर ऑफ कामर्स	बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, पटना
21.	मो0 मेराज अख्तर दाना फुलवरिया–3, नया टोला, पो.– बरौनी, था.–फुलवरिया, जिला– बेगुसराय–851112 मो0 – 9304870391 9525813144	रेल मंत्री के विशेष रुचि	रेल मंत्री के विशेष रुचि
22.	श्री मंयकेश्वर सिंह मु–श्री कृष्णा नगर, पो.+था.– मोतिहारी–845401 मो0 – 9811195489	रेल मंत्री के विशेष रुचि	रेल मंत्री के विशेष रुचि
23.	श्री मनीष कुमार सुभाषनगर, गली न.–7, पो0– डालमीयानगर, था0– डिहरी, जिला– रोहतास–821305 मो0 – 9334950704	रेल मंत्री के विशेष रुचि	रेल मंत्री के विशेष रुचि

24.	श्री विक्रम पाण्डेय मेन रोड फुसरो, पो– फुसरो बाजार, जिला– बोकारो–829144 मो0 – 9431128604	रेल मंत्री के विशेष रुचि	रेल मंत्री के विशेष रुचि
25.	श्री पं. राजेश शुक्ला टिल्लु हिरानंद शाह की गली, चौक पटना सिटी, पटना–800008 दूरभाष – 0612–2642111 मो0 – 9431014654	रेल मंत्री के विशेष रुचि	रेल मंत्री के विशेष रुचि
26.	श्री विनोद गुप्ता स्व0 शिव शंकर प्रसाद वार्ड नं. 19, गोला रोड, पी ओ एंव जिला–समस्तीपुर–848101 मो0– 9471042677	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	समस्तीपुर
27.	श्री हरि प्रकाश केजरीवाल रिलायंस एजेन्सी, गोसांईबाग, टेकारी रोड, गया जिला – गया–823001 मो0– 9431224846	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	मुगलसराय
28.	श्री दुर्गेश कुमार राय द्वारा– श्री मिथलेश कुमार उर्फ भीम सिंह ग्राम –पो0 –मेयारी जिला – समस्तीपुर–848114 मो0-- 9431425177	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	सोनपुर
29.	श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा– श्री स्व0 बलदेव प्र0 सिंह ग्राम –अमर सिंह बिगहा, पो0 –नेरुत था0– सारे, अस्थावा, जिला – नालन्दा–803107 मो0– 99122199311,9931443453	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	दानापुर
30.	श्री रोहन लाल मेहता रोहित चित मन्दिर, थाना चौक, डेहरी ऑन सोन, रोहतास–821305 दूरभाष – 06184–250722 मो0– 9431465812	केन्द्रिय मंत्री द्वारा मनोनीत	श्रीमती मीरा कुमार, माननीय लोक सभा अध्यक्षा

Motihari → Ticketing system
Gaya → Coach Indication System

31.	श्री डॉ संजीब कुमार सिंहा पुत्र श्री कालेश्वर प्रसाद, स्वाति हेल्थ सेंटर, मोहनपुर पंप हाउस, पुनाईचक, पटना– 23 मो0 – 9934044511	रेल मंत्री के विशेष रुचि	रेल मंत्री के विशेष रुचि
32	श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री राम नन्दन प्रसाद सरायढेला, बिकास नगर पुराना डॉक्टर कालोनी, पो0– जगजीवन नगर , धनबाद–826003 मो0– 9835124153	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	धनबाद
33	श्री सुरेश कुमार सिन्हा, क्वार्टर सं.–आर–1, आफिसर फ्लैट, न्यू पुनाई चक, पटना–800023 मो0 – 9162420572	बिहार सरकार के प्रतिनिधि	बिहार सरकार के प्रतिनिधि

पूर्व मध्य रेल के विभागाध्यक्ष

श्री वी. पी. खरे — महाप्रबंधक सह अध्यक्ष / जेड.आर.यू.सी.सी.

श्री ए. के. झा — उप महाप्रबंधक (सा.) सह सचिव / जेड.आर.यू.सी.सी.

मुख्यालय

क्रम सं0	नाम	पद
1.	श्री अजय शुक्ला	अपर महाप्रबंधक
2.	श्री जी. एस. तिवारी	मु.प्र.अधिकारी / निर्माण / द0
3.	श्री ए.के. मित्तल	मु.प्र.अधिकारी / निर्माण / उ0
4.	श्री आर. के. सिंह	मुख्य विद्युत इंजीनियर
5.	श्री दीपक नाथ	मुख्य परिचालन प्रबंधक
6.	श्री दीपक छावड़ा	मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
7.	श्री रतन कुमार	प्रमुख मुख्य इंजीनियर
8.	श्री डी.कमिला	मुख्य याँत्रिक इंजीनियर
9.	श्री संजय कुमार	मुख्य सुरक्षा आयुक्त
10.	श्री एस. गांगुली	मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर
11.	श्री बी. बी. वर्मा	वित्तसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
12.	श्री राजेन्द्र सिंह	भंडार नियंत्रक
13.	श्री जे. एस. पी. सिंह	मुख्य कार्मिक अधिकारी
14.	डा0 पी.एस. प्रसाद	मुख्य चिकित्सा निदेशक
15.	श्री बी.पी.गुप्ता	वरीय उप महाप्रबंधक
16.	श्री के मुखोपाध्याय	मुख्य संरक्षा अधिकारी
17.	श्री अमिताभ प्रभाकर	मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी
18.	श्री विनम्र मिश्रा	महाप्रबंधक के सचिव

मंडल

19.	श्री आर. एल. गुप्ता	मंडल रेल प्रबंधक / सोनपुर
20.	श्री अरुण मलिक	मंडल रेल प्रबंधक / समस्तीपुर
21.	श्री एल.एम.झा	मंडल रेल प्रबंधक / दानापुर
22.	श्री सुधीर कुमार	मंडल रेल प्रबंधक / धनबाद
23.	श्री अनूप कुमार	मंडल रेल प्रबंधक / मुगलसराय

पूर्व मध्य रेल के विभागाध्यक्ष

श्री आर. के. सिंह — महाप्रबंधक सह अध्यक्ष/जेड.आर.यू.सी.सी.

श्री ए. के. झा — उप महाप्रबंधक (सा.) सह सचिव/जेड.आर.यू.सी.सी.

मुख्यालय

क्रम सं0	नाम	पद
1.	श्री अजय शुक्ला	अपर महाप्रबंधक
2.	श्री जी. एस. तिवारी	मु.प्र.अधिकारी/निर्माण/द0
3.	श्री ए.के. मित्तल	मु.प्र.अधिकारी/निर्माण/उ0
4.	श्री दीपक नाथ	मुख्य परिचालन प्रबंधक
5.	श्री दीपक छावड़ा	मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
6.	श्री रतन कुमार	प्रमुख मुख्य इंजीनियर
7.	श्री डी.कमिला	मुख्य यॉंत्रिक इंजीनियर
8.	श्री संजय कुमार	मुख्य सुरक्षा आयुक्त
9.	श्री एस. गांगुली	मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर
10.	श्री बी. बी. वर्मा	वित्तसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
11.	श्री राजेन्द्र सिंह	भंडार नियंत्रक
12.	श्री जे. एस. पी. सिंह	मुख्य कार्मिक अधिकारी
13.	डा0 पी.एस. प्रसाद	मुख्य चिकित्सा निदेशक
14.	श्री बी.पी.गुप्ता	वरीय उप महाप्रबंधक
15.	श्री के मुखोपाध्याय	मुख्य संरक्षा अधिकारी
16.	श्री अमिताभ प्रभाकर	मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी
17.	श्री विनम्र मिश्रा	महाप्रबंधक के सचिव

मंडल

18.	श्री आर. एल. गुप्ता	मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर
19.	श्री अरुण मलिक	मंडल रेल प्रबंधक/समस्तीपुर
20.	श्री एल.एम.झा	मंडल रेल प्रबंधक/दानापुर
21.	श्री सुधीर कुमार	मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद
22.	श्री अनूप कुमार	मंडल रेल प्रबंधक/मुगलसराय

पूर्व मध्य रेल : एक परिचय

जिला – वैशाली, हाजीपुर – 844101
(बिहार)

भारतीय रेल के नवसृजित क्षेत्रीय रेलों में से एक पूर्व मध्य रेल की स्थापना 01 अक्टूबर, 2002 को हुई। इसके अंतर्गत 05 मंडल आते हैं यथा– सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एवं धनबाद। पूर्व मध्य रेल के पास 3623.32 रुट किलोमीटर एंव 5229.38 ट्रैक किलोमीटर का वृहतम नेटवर्क है जो मुख्यतया बिहार, झाारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागो में फैली हुई है।

परिसम्पत्ति, अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन योजना परिव्यय

(करोड़ में)

	2011–12	नवम्बर '12 तक अनुमानित खर्च
नई लाइन (निर्माण)	457.96	460.43
लाइनों का पुनर्निमाण	56.99	30.48
आमान परिवर्तन	165.85	62.91
दोहरीकरण	59.45	26.21
रेल पथ सुविधा, यार्ड पुर्ननिर्माण एवं अन्य	22.29	14.81
कंप्यूटरीकरण	1.21	0.84
चल स्टॉक	9.56	11.45
पुल कार्य	58.19	23.24
सड़क संरक्षा	43.69	31.18
रेल पथ नवीकरण	340.44	239.31
सिगनलिंग एवं दूरसंचार कार्य	42.31	30.60
अन्य विद्युतीय कार्य	9.04	14.38
मशीन एवं संयंत्र	7.30	7.28
उत्पादन इकाई सहित कारखाना	259.36	118.31
यात्री सुविधाएँ	35.39	22.90
अन्य वर्गीकृत कार्य	11.54	08.51
कुल	1580.57	1103.24

वर्ष 2011–12 के लिए योजनाएँ

रेल ने वर्ष 2011–12 में पूर्व मध्य रेल को कैपिटल निवेश के लिए रू. 2460.93 करोड़ आवंटित किया था। प्रमुख निवेश शीर्षों में रू. 218.41 करोड़ उत्पादन इकाई सहित कारखाना संबंधी कार्य हेतु शामिल है, जो कुल योजना निवेश का लगभग 8.8 % है। नई लाइन (निर्माण) एंव सड़क संरक्षा को भी उच्च प्राथमिकता देते हुए इस शीर्ष में रू. 933. 49 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कुल योजना निवेश का लगभग 37.93 % है।

पॉच मंडल

दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर

कारखानें

- समस्तीपुर कारखाना/समस्तीपुर
- इंजीनियरिंग एवं पुल कारखाना/मुगलसराय
- फ्लश बट वेल्डिंग प्लांट/मुगलसराय
- ट्रैक मशीन शॉप/मुगलसराय

मंडल

दानापुर मंडल

दानापुर, बिहार

भारत सरकार द्वारा ईस्ट इंडियन रेलवे के अधिग्रहण के पश्चात 1925 ई. में दानापुर मंडल अस्तित्व में आया। झाझा और मुगलसराय के बीच मेन लाईन का निर्माण ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा 1862 ई. में कराया गया था। इसके पश्चात किऊल–गया और पटना–गया लाईन इसमें शामिल किए गए। 1978 में दानापुर मंडल का विभाजन दानापुर और मुगलसराय मंडल के रूप में किया गया।

सेवित क्षेत्र

दानापुर मंडल द्वारा बिहार के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 02 जिले सेवित हैं। इसका विस्तार मुगलसराय से (मुगलसराय स्टेशन छोड़कर) झाझा, पटना से गया (गया स्टेशन छोड़कर), फतुहा से इस्लामपुर, बख्यिारपुर से राजगीर और तिलैया, हाथीदा से बरौनी (बरौनी स्टेशन छोड़कर), किऊल से मानपुर (मानपुर स्टेशन छोड़कर) और दिलदारनगर से ताड़ीघाट तक है।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

		विद्युतीकरण	
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
781.841	1587.417	1271.27	1324.75

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	09
ब्लॉक स्टेशन	:	73
हॉल्ट स्टेशन	:	130
फ्लैग स्टेशन	:	15

सेवित उद्योग

भारत वैगन (मोकामा) और विभिन्न स्थलों के एफ.सी.आई के गोदाम इस मंडल द्वारा सेवित हैं।

गुड्स शेड

फतुहा, जमुई, किऊल, लखीसराय, जहानाबाद, आरा, वारसलीगंज, बिहारशरीफ, बक्सर, दानापुर, मोकामा, शेखपुरा और तिलैया ।

धनबाद मंडल

धनबाद, झारखंड

सेवित क्षेत्र :

झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, राँची, बोकारो, कोडरमा, पलामू, लातेहार, गढ़वा और गिरिडीह, बिहार में नवादा और गया, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

		विद्युतीकरण	
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
866.840	2384.73	598.00	1526.00

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	07
ब्लॉक स्टेशन	:	88
हॉल्ट स्टेशन	:	30

सेवित उद्योग

बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल एवं एन.सी.एल. के कोलफिल्ड, टिस्को का वेस्ट बोकारो कोल वाशरी, टिस्को का चासनाला कोलियरी, सी.टी.पी.एस., बी.टी.पी.एस, ए.टी.पी.एस., ओ.टी.पी.एस, पी.टी.पी.एस, एस.एस.टी.पी.पी., वी.एस.टी.पी.पी. और आर.एच.एस.टी.पी.पी. के पावर हाउस, सिन्दरी स्थित ए.सी.सी. सीमेंट फैक्टरी, रेणुकूट स्थित हिंडालकों, रेणूकूट स्थित कानोरिया केमिकल्स, गढ़वा रोड स्थित बिड़ला केमिकल, जे.पी.सीमेंट,सलाइवना तथा जिंदल स्टील पतरातु।

गुड्स शेड

धनबाद, हजारीबाग रोड, कोडरमा, राँची रोड, बरकाकाना, डाल्टेनगंज, टोरी, रिचुगुटा, सिंगरौली, बिल्ली, महदईया, पतरातु एंव भुड़कुण्डा।

मुगलसराय मंडल

मुगलसराय – 232101
उत्तर प्रदेश

मानपुर–मुगलसराय सेक्शन इस महाद्वीप का व्यवस्तम माल परिवहन करने वाला ग्रैंड कॉर्ड के नाम से विख्यात रेल मार्ग का एक भाग है। मुगलसराय–हावड़ा मार्ग पर सोन नदी पर 3 किलोमीटर लंबा बृहत्तम रेल सेतु है। 1878 ई. में स्थापित रेलवे इंटर कॉलेज, मुगलसराय एक प्राचीनतम शैक्षणिक संस्था है।

सेवित क्षेत्र :

बिहार में आरा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया, झारखंड में पलामू और उत्तर प्रदेश में चन्दौली जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

		विद्युतीकरण	
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
420.52	1386.25	308.25	1155.29

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	05
ब्लॉक स्टेशन	:	43
हॉल्ट स्टेशन	:	29

सेवित उद्योग

यह मंडल डेहरी–ऑन–सोन स्थित कल्याणपुर सीमेंट को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गुड्स शेड

मानपुर, गया, अनुग्रहनारायण रोड, सोननगर, नबीनगर, रफीगंज, डेहरी–ऑन–सोन, सासाराम, भभुआ रोड, मुगलसराय माल प्रचालन टर्मिनल हैं।

समस्तीपुर मंडल

समस्तीपुर –848101
बिहार

सेवित क्षेत्र :

समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दौरम मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णियां, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया और अररिया।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
बी.जी.	652.12	652.12
एम.जी.	363.88	363.88

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	09
ब्लॉक स्टेशन	:	98
हॉल्ट स्टेशन	:	67
फ्लैग स्टेशन	:	18

सेवित उद्योग

यह मंडल मुक्तापुर जूट मिल, हरिनगर चीनी मिल, नरकटियागंज चीनी मिल एंव हसनपुर चीनी मिल को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गुड्स शेड

लहेरियासराय, दरभंगा, सीतामढी, रक्सौल, मोतिहारी, बेतिया, चकिया, सहरसा, कॉटी, खजौली, हरिनगर, नरकटियागंज, हसनपुर एंव दौरम मधेपुरा।

सोनपुर मंडल

सोनपुर – 841101
बिहार

सेवित क्षेत्र :

बिहार का छपरा (सारण), वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगुसराय, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

विद्युतीकरण			
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
469.683	992.465	150.990	315.239

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	06
ब्लॉक स्टेशन	:	54
हॉल्ट स्टेशन	:	26
फ्लैग स्टेशन	:	02

सेवित उद्योग

यह मंडल मुजफ्फरपुर के निकट कांटी विजली उत्पादन निगम लि0, बरौनी के निकट बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन इंजीनियरी लिमिटेड, एफ.सी.आई.साईडिंग एंव वी.पी.सी.एल. साईडिंग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गुड्स शेड

सराय, नारायणपुर अनंत, कपूरी ग्राम, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, कुर्सेला एंव सेमापुर।

यात्री सुविधाओं एवं परिचालन से संबंधित कुछ महत्तवपूर्ण तथ्य

- पूर्व मध्य रेल पर 121 कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 346 स्टेशनों पर यू.टी.एस. उपलब्ध हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 52 स्टेशनों पर यू.टी.एस. सह पी.आर.एस. उपलब्ध हैं।
- पूर्व मध्य रेल के टेकारी एंव छतरपुर पोस्ट ऑफिस मे इंडियापोस्ट पी.आर.एस खोला गया है।
- पूर्व मध्य रेल पर 2012–13 में प्रतिदिन लगभग 279 माल गाड़ियाँ चली।
- पूर्व मध्य रेल में माल लदान भारतीय रेल के कुल माल लदान का 10 प्रतिशत है।
- पूर्व मध्य रेल में 2011–12 मे 94.68 मिलियन टन माल लदान किया जो एक रेकार्ड है।
- पूर्व मध्य रेल ने 2011–12 मे नवम्बर माह तक 59.34 मिलियन टन माल लदान किया है।
- पूर्व मध्य रेल में 2012–13 के नवम्बर तक 64.83 मिलियन टन माल लदान किया गया है।

यात्री परिवहन

अतिरिक्त कोच

- विभिन्न श्रेणियों में 2011–2012 में अस्थायी तौर पर 3436 अतिरिक्त कोच लगाये गये।
- 2012–2013 में अप्रैल से नवम्बर तक 1051 अतिरिक्त कोच लगाये गये।
- 2011–2012 में नवम्बर माह तक 2669 अतिरिक्त कोच लगाये गये।

अस्थायी कोच 01.04.12 से 30.11.12			
ट्रेन सं0	कहा से	कहां तक	कोच संलग्न
12309	राजेन्द्रनगर	जम्मूतवी	257
12296	पटना जं0	बंगलोर	150
12352	दानापुर	हावड़ा	44
15228	मुजफ्फरपुर	यशवंतपुर	04
13288	दानापुर	दुर्ग	61
13201	राजेन्द्रनगर	लोकमान्य तिलक ट0	47
12150	पटना जं0	पुणे	03
13329	धनबाद	पटना	100
12024	पटना जं0	हावड़ा	87
12557	मुजफ्फरपुर	आनंद विहार ट0	01
12565	दरभंगा जं0	नई दिल्ली	124
13330	पटना जं0	धनबाद	02
12391	राजगीर	नई दिल्ली	04
16310	पटना जं0	एर्नाकुलम	01
12395	राजेन्द्रनगर	अजमेर	03
12355	राजेन्द्रनगर	जम्मूतवी	15
12577	दरभंगा जं0	बंगलोर	01
15279	सहरसा	आदर्शनगर	12
12553	बरौनी जं0	नई दिल्ली	01
15273	रक्सौल	दिल्ली	18

12365	पटना जं0	रॉची	33
11034	दरभंगा जं0	पुणे	06
19166	दरभंगा जं0	अहमदाबाद	05
12742	पटना जं0	वास्को–डी–गामा	03
19050	पटना जं0	बांद्रा टर्मिनल	03
19040	मुजफ्फरपुर	बांद्रा टर्मिनल	01
12521	बरौनी जं0	एर्नाकुलम	02
18450	पटना जं0	पुरी	01
13307	धनबाद	फिरोजपुर	13
14649	जयनगर	अमृतसर	01
13248	दानापुर	कामाख्या	01
13246	दानापुर	न्यू जलपाईगुड़ी	01
13022	रक्सौल	हावड़ा	03
12393	पटना जं.	नई दिल्ली	09
15203	बरौनी जं.	लखनऊ	34

स्थायी कोच **01.04.12** से **30.11.12**			
ट्रेन सं0	कहॉ से	कहॉ तक	कोच संलग्न
23347	सिंगरौली	पटना	2
13345	सिंगरौली	वाराणसी	1
13233	दानापुर	राजगीर	1
13235	दानापुर	साहेबगंज	1

12389	गया	चेन्नैई	6
13201	राजेन्द्रनगर	लोकमान्य तिलक ट0	12
12355	राजेन्द्रनगर	जम्मूतवी	2
13351	धनबाद	एलैपी	6
12309	राजेन्द्रनगर	नई दिल्ली	12
12352	दानापुर	हाबड़ा	6
12395	राजेन्द्रनगर	अजमेर	1
12577	दरभंगा	बंगलूरू	1
15228	मुजफ्फरपुर	यशवंतपुर	1
13246	दानापुर	नईजलपाईगुड़ी	3
13288	दानापुर	दूर्ग	3
15279	सहरसा	आनंद विहार	3
15273	रक्सौल	दिल्ली	3
13237	पटना	कोटा	15
13307	धनबाद	फिरोजपुर	4
15203	बरौनी	लखनउ	4
12023	पटना जं0	हाबड़ा	2
12365	पटना	रॉची	2
12567	सहरसा	पटना	2
15269	रक्सौल	लोकमान्य तिलक	2
15267 15271	मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर	अहमदाबाद हावड़ा	2

विशेष रेलगाड़ियाँ

पूर्व मध्य रेल द्वारा त्योहार, ग्रीष्मकाल एवं श्रावणी मेला के अवसर पर 2011–12 मे 30 विशेष रेलगाड़ियों के द्वारा 863 फेरे लगाये गये। 2012–13 के नवम्बर माह तक 46 विशेष रेलगाड़ियों के द्वारा 849 फेरे लगाये गये। 2011–12 के नवम्बर माह तक 24 विशेष रेलगाड़ियों के द्वारा 692 फेरे लगाये गये।

नई रेलगाड़ियाँ

- 2011–12 में 05 जोड़ी एवं वर्ष 2012–13 में नवम्बर माह तक 01 जोड़ी नई गाड़ियों का परिचालन आरम्भ हुआ।

- 2011–12 में दूसरे रेलवे से प्रारम्भ होकर पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली 12 जोड़ी एवं 2012–13 में 08 जोड़ी नई गाड़ियों का परिचालन हो रहा है।

सवारी गाड़ी के परिचालन की महत्तवपूर्ण विशेषताएं

	विवरण	पूर्व मध्य रेल की स्थापना से
1.	नई गाड़ियों का आरंभ	163 जोड़ी
2.	गाड़ी सेवाओं का विस्तार	90 जोड़ी 02 एकल
3.	गाड़ियों के फेरों में वृद्धि	31 जोड़ी

यात्री विवरण

	2011–12 अप्रैल से नवम्बर माह तक	2012–13 अप्रैल से नवम्बर माह तक
यात्रियों की प्रतिदिन औसत संख्या	7.49 लाख	07.83 लाख
यात्रियों की कुल संख्या	18.27 करोड़	19.12 करोड़

यात्री वृद्धि

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक	
	यात्रियो की कुल संख्या	गत वर्ष से अन्तर (% मे)
2010–11 (अप्रैल से नवम्बर)	16.79	–
2011–12 (अप्रैल से नवम्बर)	18.27	+ 08.83
2012–13 (अप्रैल से नवम्बर)	19.12	+ 04.64

यात्री आय

अन्तर (रू. करोड़ में)

वर्ष	यात्री आय	विगत वर्ष के इस अवधि की आय
2010–11	1327.50	–
2011–12	1475.80	148.30 (+11.17 %)
2011–12 (अप्रैल से नवम्बर)	1005.61	102.66 (+11.37 %)
2012–13 (अप्रैल से नवम्बर)	1068.51	62.90 (+06.26 %)

सामग्री वार माल–भाड़ा

(मिलियन टन में)

सामग्री	2011–12 नवम्बर'11 तक	2012–2013 नवम्बर'12 तक
कोयला	53.878	58.934
पी. ओ. एल.	0.912	1.037
सीमेन्ट	1.362	1.605
अन्य	3.184	3.247
कुल	**59.336**	**64.823**

पूर्व मध्य रेल ने वितिय वर्ष 2011–12 मे 94.68 मिलियन टन माल लदान किया जो कि पिछले वर्ष की तुलना मे 7.4 % अधिक है। साथ ही आय मे 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जो हमारे रेल द्वारा किसी भी वितिय वर्ष से सर्वोतम प्रदर्शन है।

माल–भाड़ा आय

अन्तर (रू. करोड़ में)

वर्ष	माल–भाड़ा आय	विगत वर्ष के इस अवधि की आय
2010–11	5443.64	–
2011–12	6352.13	908.49 (16.69 %)
2011–12 (अप्रैल से नवम्बर)	3936.45	472.95 (+13.66 %)
2012–13 (अप्रैल से नवम्बर)	5315.29	1378.84 (+35.03 %)

सकल आय

अन्तर (रू. करोड़ में)

वर्ष	सकल आय	विगत वर्ष के इस अवधि की आय मे अन्तर
2010–11	6892.59	—
2011–12	7965.32	1072.73 (15.57 %)
2011–12 (अप्रैल से नवम्बर)	5016.34	576.00 (12.97 %)
2012–13 (अप्रैल से नवम्बर)	6489.09	1472.75 (29.36 %)

यात्री सुविधाओं पर किया गया व्यय

वर्ष	व्यय
2008–09	23.29 करोड़
2009–10	33.17 करोड़
2010–11	36.35 करोड़
2011–12	35.39 करोड़
2012–13 (नवम्बर '12 तक)	20.58 करोड़

अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

- 'ए–1' एवं 'ए' श्रेणी के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध हैं।

- 'बी' श्रेणी के 18 स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध है एंव 19 स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है।

24–कोच की लम्बाई वाले प्लेटफार्म

- लम्बी गाड़ियो को चलाने के लिए पूर्व मध्य रेल के कुल 66 स्टेशनो को विस्तारित कर 24/26 कोच क्षमता का बना दिया गया है।

वर्ष 2011–12 मे यात्री सुविधाओं से संबंधित कुछ महत्तवपूर्ण तथ्य

- दानापुर मंडल के अर्न्तगत शेखपुरा स्टेशन पर दि. 20.01. 2012 से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग पुछताछ काउन्टर चालू कर दिया गया है।
- पूर्व मध्य रेल के अर्न्तगत बापुधाम मोतिहारी (समस्तीपुर मंडल) एंव हजारीबाग (धनबाद मंडल) स्टेशनो पर ट्रेन इडिंकेशन बोर्ड की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।
- पूर्व मध्य रेल के अर्न्तगत समस्तीपुर मंडल के सीतामढी एवं मधुबनी स्टेशनो पर कोच गाइडेंस प्रणाली की सुविधा प्रदान किया गया है।
- सोनपुर मंडल के अर्न्तगत दलसिंहसराय स्टेशन के डाउन प्लेटफॉर्म को विस्तार कर 24 कोच वाले ट्रेन के लम्बाई के अनुकूल किया गया है, साथ ही दलसिंहसराय स्टेशन पर खानपान स्टॉल भी खोला गया है।
- समस्तीपुर मंडल के अर्न्तगत नरकटियागंज, बेतिया एंव बापुधाम मोतिहारी स्टेशनो पर 03 टच स्क्रीन कियोस्क मशीन लगाया गया है, जिससे यात्री पीएनआर एंव ट्रेन से संबधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते है।

स्टेशन की साफ–सफाई

साफ–सफाई संविदा की स्थिति

स्टेशन की कोटी	सम्मिलित स्टेशनों की संख्या
A1 (03)	03
A (22)	19
B (29)	24
D (43)	12
E (316)	17

मशीनी साफ–सफाई संविदा वाले स्टेशन



स्टेशन की कोटि	स्टेशन की संख्या	स्टेशन का नाम
A1	01	पटना
A	03	धनबाद, बेतिया एवं रक्सौल
B	05	सीतामढ़ी, मधुबनी, सुगौली, पारसनाथ, रेणुकुट
D	02	सकड़ी, जयनगर

मशीन द्वारा कोच की सफाई

पूर्व मध्य रेल के सभी बड़े और मध्य श्रेणी के कोचिंग डिपो में सभी प्राथमिक एवं अनुषंगी अनुरक्षण वाले ट्रेनों के लिए मशीन कोच सफाई सुविधा है।

क्र0 संख्या	मंडल	डिपो का नाम
01	दानापुर	पटना, दानापुर, राजेन्द्र नगर, राजगीर
02	समस्तीपुर	समस्तीपुर, दरभंगा, रक्सौल, जयनगर, सहरसा
03	सोनपुर	मुजफ्फरपुर, बरौनी
04	धनबाद	धनबाद
05	मुगलसराय	गया

क्लिन ट्रेन स्टेशन (सी0 टी0 एस0)

क्लिन ट्रेन स्टेशन की सुविधा बरौनी तथा मुगलसराय स्टेशन पर उपलब्ध है।

स्टेशन	सम्मिलित ट्रेन की संख्या
मुगलसराय	70
बरौनी	23

ऑन बार्ड हाउसकीपिंग सेवा

पूर्व मध्य रेल पर प्राथमिक अनुरक्षण वाली लम्बी दूरी की 21 जोड़ी ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा उपलब्ध है।

क्रम सं.	मंडल	ट्रेनों की जोड़ी
1	दानापुर	08
2	समस्तीपुर	05
3	धनबाद	02
4	सोनपुर	06

कोचों में कीट एवं कृन्तक नियंत्रण

पूर्व मध्य रेल के सभी बड़े कोचिंग डिपो (16 अदद) में कोचों में कीट एवं कृन्तक नियंत्रण उपचार की व्यवस्था है।

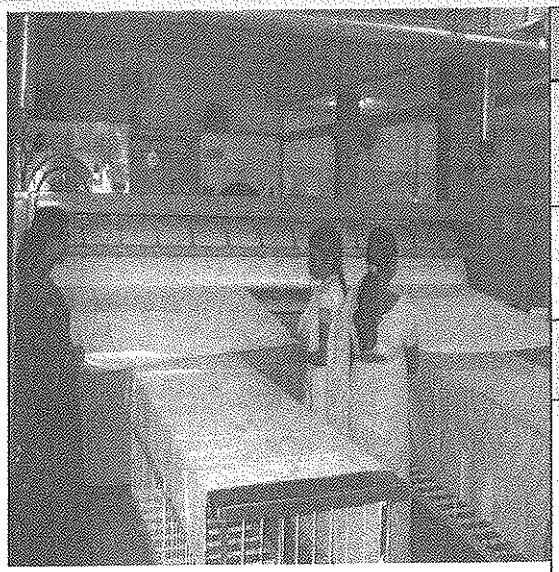
क्रम सं.	मंडल	डिपो की संख्या
1	दानापुर	04
2	समस्तीपुर	05
3	धनबाद	04
4	सोनपुर	02
5	मुगलसराय	01

कचरा निपटान स्थल

पैन्ट्रीकार से कचरा के निपटान के लिए 14 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है।

क्रम सं.	मंडल	स्टेशनों की संख्या
1	दानापुर	04
2	समस्तीपुर	04
3	धनबाद	02
4	सोनपुर	02
5	मुगलसराय	02

मशीनीकृत लॉन्ड्री – समस्तीपुर



लागत	1.07 करोड़
स्वीकृत वर्ष	2010
क्षमता	प्रति पाली 1000 बेड रॉल (08 घंटा पाली)
कार्य पूर्ण होने का वर्ष	2011–12
स्थिति	पहले से चालू है।

पूर्व मध्य रेल की वर्ष 2011–12 की उपलब्धियाँ

योजना शीर्ष	क्रसं.	2011–12	किमी
नई लाइन	1.	जुब्बासहनी –रुन्नीसैदपुर (बागमती नदी)	18
	2.	हाजीपुर –घोसवर	06
	3.	बिरौल – हरनगर (पाट)	02
	4.	दानापुर – पाटलीपुत्रा	06
	5.	धनवार – जमुआ	19
	6.	कोडरमा – उरवॉहॉल्ट	14
	7.	दनियावॉ – चण्डी	17
		योग	82
अमान परिवर्तन	1.	बैरगनिया –छोड़ादानो	30
	2.	छौड़ादानो – पचपोखरिया हाल्ट के नजदीक	06
	3.	दौरम मधेपुरा – मुरलीगंज	22
	4.	मुरलीगंज – बनमंखी (पाट)	03
		योग	61
दोहरीकरण	1.	चन्द्रपुरा – भण्डारडीह	04
		कुल योग	147

पूर्व मध्य रेल की वर्ष 2012–13 का लक्ष्य

योजना शीर्ष	परियोजना का नाम	सेक्शन का नाम	किमी
नई लाइन	गिरिडीह – कोडरमा	जमुआ – कवार	16
	कोडरमा – रॉची	उरवॉ–हजारीबाग	67
		हजारीबाग–कुजु	41
		बरकाकाना– सिद्धवर	07
	सकरी – हसनपुर रोड	बिरौल–हरनगर (पार्ट)	05
		बिथान –हसनपुर रोड	10.5
	खगड़िया – कुशेश्वरस्थान	खगड़िया– बिशुनपुर	6.5
	कोशी पुल	कोशी पुल	22
	(दनियावॉ–बिहारशरीफ) फतुहा–इस्लामपुर के तोड़े गये लाइन का पुनरस्थापन	चण्डी – बिहारशरीफ	19
	योग		194
अमान परिवर्तन	दौरम मधेपुरा –पूर्णिया सहित मानसी –सहरसा	मुरलीगंज – बनमंखी (पार्ट)	15
		बनमंखी–पूर्णिया	32
	जयनगर–दरभंगा–नरकटियागंज	छौड़ादानो –रक्सौल (पार्ट)	19
	सकरी–निर्मली एवं झंझारपुर –लौकहाबाजार और सहरसा–फारबिसगंज	सहरसा–सरायगढ़	52
		योग	118
दोहरीकरण	चन्द्रपुरा–भण्डारिडीह– चन्द्रपुरा – राजाबेरा	चन्द्रपुरा – राजाबेरा	05
		कुल योग	317

परिणामी रेल दुर्घटनाएं (दिसम्बर तक)

श्रेणी	2010 - 11			2011 - 12			2012 – 13 (19 दिसम्बर 2012 तक)		
	रेलवे बोर्ड	मुख्यालय	योग	रेलवे बोर्ड	मुख्यालय	योग	रेलवे बोर्ड	मुख्यालय	योग
टक्कर	00	00	00	00	00	00	00	00	00
अवपथन (स्टेशन पर)	02	07	09	00	10	10	05	01	06
अवपथन (खंड में)	07	01	08	01	03	04	01	01	02
अवपथन (योग)	09	08	17	01	13	14	06	02	08
समपार फाटक मानवयुक्त	00	00	00	00	00	00	00	00	00
समपार फाटक मानवरहित	03	06	09	05	04	09	01	00	01
समपार फाटक (योग)	03	06	09	05	04	09	01	00	01
आग	00	01	01	01	01	02	00	00	00
विविध	00	00	00	00	01	01	00	00	00
कुल योग	12	15	27	07	19	26	07	02	09

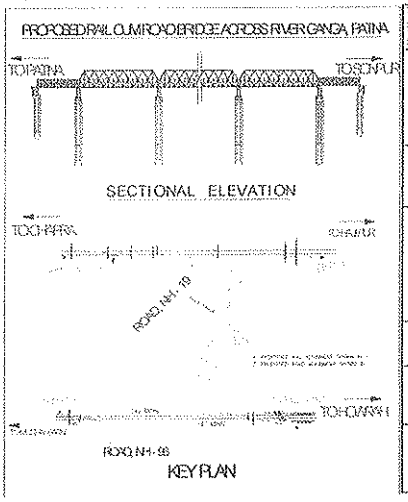
उपरिगामी पुल

वर्ष	पूरे किये गये उपरिगामी पुल की संख्या		कुल संख्या
	वर्तमान के फाटकों पर	कार्यो के अन्तर्गत नई लाईनों पर	
2010–11	05	–	05
2011–12	05	46	51
2012–13	(04 इस वर्ष लक्षित)	50	50
कुल	10	96	106

रेल सह सड़क पुल–पटना (19 कि0 मी0)

(स्पान 2X62.4 मी.+ 2X123 मी.)

कार्य पुरा करने का लक्ष्य 31.3.2015

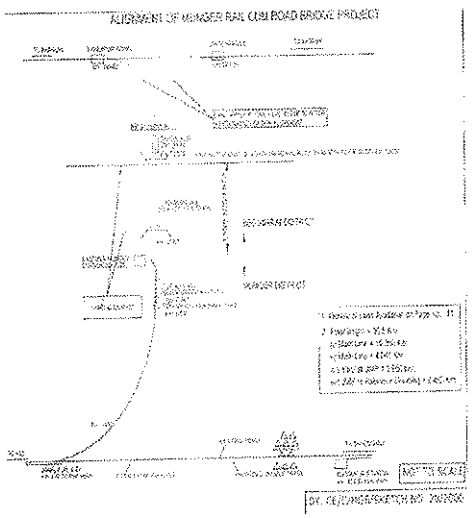


स्वीकृत वर्ष	1997-98
अनुमानित लागत	2921करोड़ (रेलवे का अंश 1681 करोड़+ सड़क अंश 1240 करोड़)
मार्च 2012 तक खर्च	1202 करोड
2012–13 का बजट ग्रांट	रेलवे = 396 करोड़ रोड के लिए = 100 करोड़
वर्ष 2012–13 में खर्च	361.00 करोड़
नवम्बर 2012 तक खर्च	1563 Cr.
कार्य का विस्तार	52%

रेल सह सड़क पुल, मुंगेर (19.5 कि0 मी0)

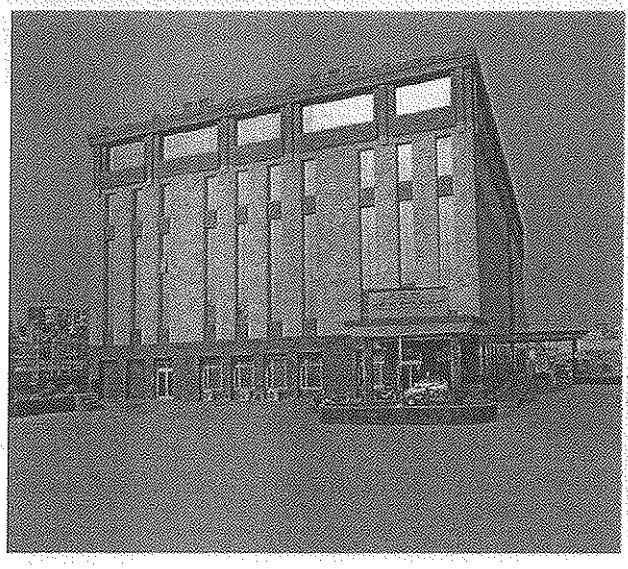
(स्पान 2X31.5 मी.+ 29X125 मी.)

कार्य पुरा करने का लक्ष्य 31.09.2014



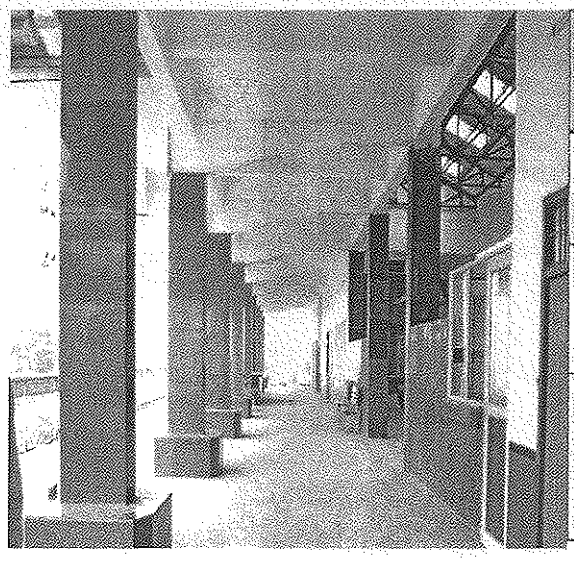
स्वीकृत वर्ष	1997-98
संशोधित लागत	2363 करोड़ (रेलवे का अंश 1247 करोड़ + सड़क अंश 1116 करोड़)
मार्च 2012 तक खर्च	693.53 करोड़
प्राक्लन राशि	217 करोड़ (145 करोड़ रेलवे +72 करोड़ सड़क)
वर्ष 2012–13 में सितम्बर 2012 तक का खर्च	106.55 करोड़

सुपरस्पेशियलिटी–सह–केन्द्रीय अस्पताल
पटना



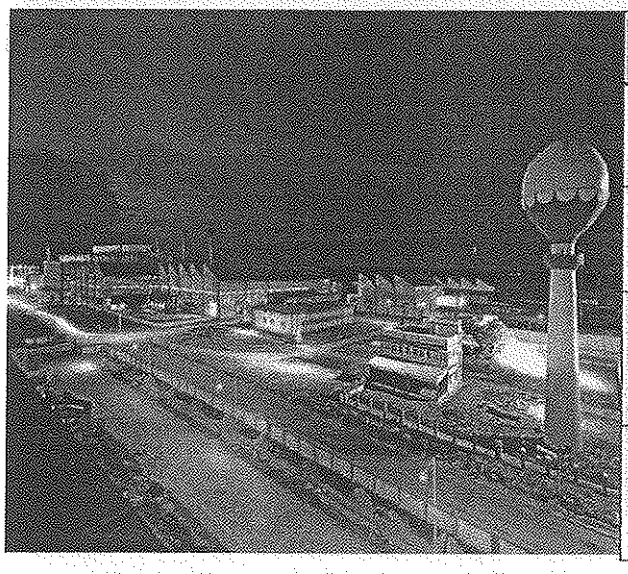
- वर्तमान में कार्यरत मुख्यालय स्तर का अस्पताल
- मई–2012 से 80 बेड का इंडोर सुविधा चालू
- पी.पी.पी. स्तर पर कॉर्डियोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी का कार्य प्रगति पर

पाटलीपुत्रा स्टेशन



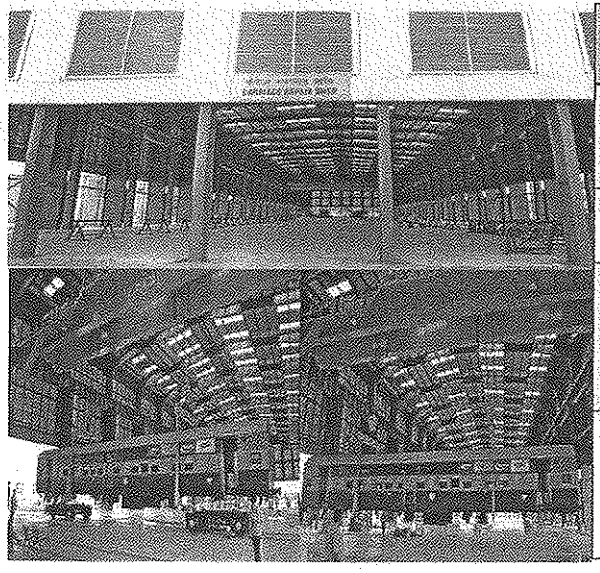
स्वीकृत वर्ष	2002-03
अनुमानित लागत	115 करोड़ रूपये
पूर्ण होने का वर्ष	12.10.2012
स्थिति	पूरा हो चुका है ।

रेल पहिया कारखाना, बेला



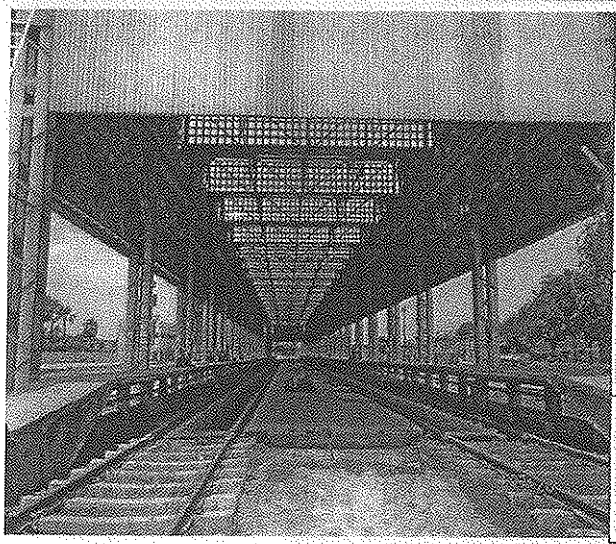
लागत	1417 करोड़
स्वीकृत वर्ष	2005-06
क्षमता प्रति वर्ष	1 लाख कास्ट चक्का
कार्य पूर्ण होने का वर्ष	2012-13
स्थिति	ट्रायल टेस्टिंग चालू है

कैरेज रिपेयर शॉप, हरनौत



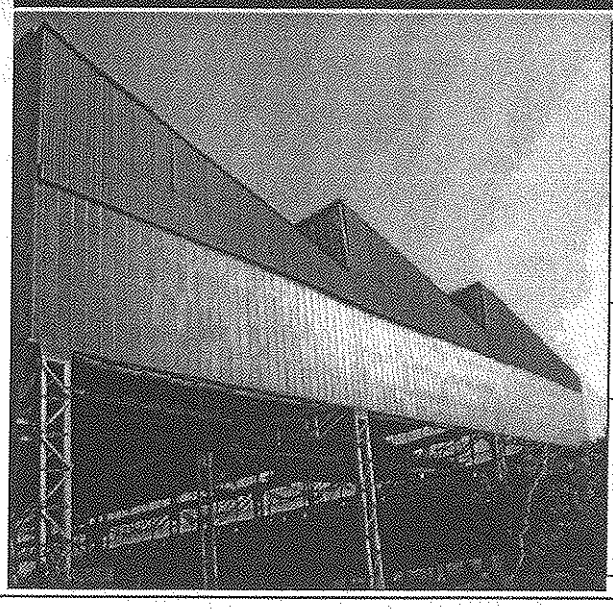
लागत	328.3 करोड़
स्वीकृत वर्ष	2003-04
क्षमता प्रति वर्ष	600 कोच
कार्य पूर्ण होने का वर्ष	2012-13
स्थिति	कमिशन हो चुका है।

डेमू शेड, सोनपुर



लागत	21 करोड़
स्वीकृत वर्ष	2006-07
क्षमता प्रति वर्ष	240 डेमू रेक्स
कार्य पूर्ण होने का वर्ष	2012-13
स्थिति	कमिशन हो चुका है ।

अनलोडेबल वैगन मरम्मत कारखाना, समस्तीपुर



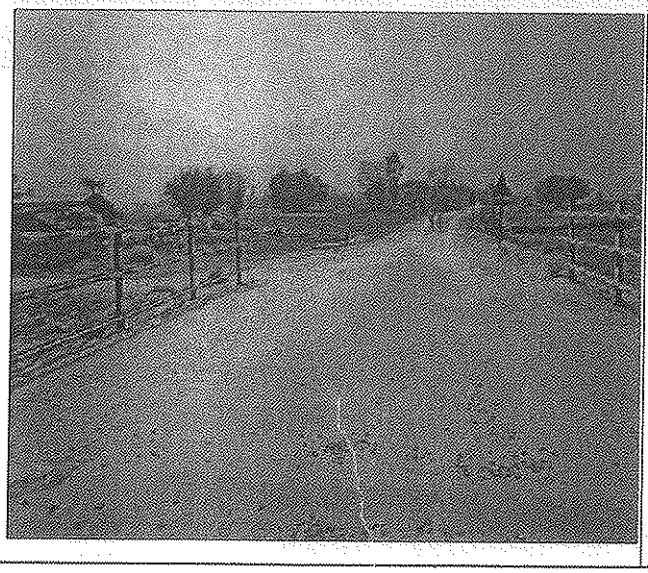
लागत	32 करोड़
स्वीकृत वर्ष	2006-07
क्षमता प्रति वर्ष	600 वैगन
कार्य पूर्ण होने का वर्ष	2012-13
स्थिति	कमिशन हो चुका है ।

डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा



स्वीकृत वर्ष	2006-07
अनुमानित लागत	2052 करोड़
प्रोजेक्ट का मद	पी० पी० पी० आधार
अधिग्रहित भूमि	227 एकड़
सम्पर्क पथ	80%
सम्पर्क रेल पथ	20%

ग्रीनफिल्ड इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा



स्वीकृत वर्ष	2007-08
अनुमानित लागत करोड़	1293
प्रोजेक्ट का मद आधार	पी० पी० पी०
अधिग्रहण युक्त भूमि एकड़	300
अधिग्रहित भूमि	61 एकड़
सम्पर्क पथ	75 %
सम्पर्क रेल पथ	50%

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की दि.12.10.2012 बैठक का कार्यवृत अनुपालन ।		
क्र.सं	मुद्दा	अभियुक्ति
1.0	श्री जगदानंद सिंह, माननीय सांसद	
1.1	जिस बैठक में हमलोगों ने भाग लिया था उसका एक्सन टेकेन रिपोर्ट को उपलब्ध कराया जाय ।	सुझाव नोट किया गया। गया में हुई बैठक का एक्सन टेकेन रिपोर्ट अलग से संलग्न है।
1.2	यदि उस बैठक का रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो फिर हमें उन्हीं बातों को दोहराना पड़ेगा या गैर जानकारी रखते हुए आगे बढ़ जाना पड़ेगा ।	सुझाव नोट किया गया। गया में हुई बैठक का एक्सन टेकेन रिपोर्ट अलग से संलग्न है।
1.3	हमलोगों को केवल चर्चाये ही नहीं बल्कि चर्चाओं से जो निष्कर्ष निकलता है उसे जनता तक पहुँचाना भी पड़ता है। क्योंकि जनता की ही बात रखते है तो उनकी भी हमसे अपेक्षा रहती है।	सुझाव नोट किया गया।
1.4	यहाँ हम यात्रियों की सुविधा और इनके बेहतरी की क्या गुंजाईस बनती है इसके बारे में चर्चाये करते हैं यहाँ नीतिगत मुद्दा नहीं उठाया जाता है।	सुझाव नोट किया गया।
1.5	यदि नई सेवायें उपलब्ध कराई जाती है तो पुरानी सेवायें समाप्त नहीं होनी चाहिये। उदाहणार्थ मुगलसराय मंडल के मोहनियॉ – भभुआरोड पर आपका रेक प्वांट बना हुआ है और फ्रेट कोरिडोर के चलते ठीक उसके बगल में नॉदर्न साईड में अब लाईनें बिछ रही है, लेकिन रेक प्वॉट से जो कॅनेक्टिभीटी है उसको आप कैसे बनाये रखेगें उनकी योजनाओं को हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि ओवरब्रिज बना हुआ है ओवर ब्रिज आपकी पुरानी रेल लाईनो के लिए था। रेक प्वॉट को आपको कनेक्टिभीटी देना पड़ेगा। कहीं न कहीं ओवरब्रीज से कनेक्टीभीटी देनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि यही स्थिति सासाराम में भी होगी वैसे मैं इसका अध्ययन नहीं किया हूँ फिर भी मुझे लगता है कि शायद जिस ईलाके में आपका रेक प्वांट ग्रेंड कार्ड पर नादर्न ईलाके में होगा वहॉ सभी ईलाकों में यही स्थिति होगी ।	सुझाव नोट किया गया एवं उपलब्ध सेवायें कम ना हो इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मुगलसराय मंडल के मोहनियॉ–भभुआ रोड पर रेक प्वाइंट बना हुआ है। फ्रेट कोरीडोर की लाईनें वर्तमान परिवेश के मद्देनजर, रेक प्वाइंट के बगल से और नॉदर्न साईड से रेलवे लाईनों को बिना व्यवधान पहुचाते हुए बिछायी जाएगी। जिससे वर्तमान ढॉचा बाधित नहीं होगा।

1.6	फ्रेट कोरिडोर का मकसद हमलोग की समझ में है कि यह तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के लिए है। इसमें गाड़ियों को रोककर और सिगनल देकर स्थानीय गाड़ियो को पार कराने की शायद ही व्यवस्था हो पायेगी फिर भी हम जानना चाहेंगे रेक पॉट्स जो हमारे क्षेत्रीय व्यापार या रोजगार के साधनों का सबसे बड़ा जरिया है उसमें कोई ऐसा व्यवधान न पैदा हो जाये जो वर्षो से प्राप्त है ताकि सुविधा का उसमें कोई अतिक्रमण हो।	फ्रेट कोरीडोर का मूल मकसद माल ढोने वाली गाड़ियों को तेज रफ्तार देना तथा रेल आय में वृद्धि करने का है। फ्रेट कोरीडोर पर दौड़ने वाली गाड़ियों से भारतीय रेल पर चलने वाली गाड़ियों (माल/सवारी) बाधित नहीं होगी तथा वर्तमान ढॉचा यथावत् बनाई रखेगी।
1.7	मॉडल स्टेशन, आदर्श स्टेशन के तहत कई तरह के कार्यों में भारी व्यय करने के बाद भभुआरोड मुगलसराय मंडल की एक नया स्टेशन बना और इस आदर्श स्टेशन के तहत बने लगभग एक से डेढ साल से अधिक हो रहे हैं लेकिन उस स्टेशन का संचालन मॉडल स्टेशन के अनुरूप नहीं हो पा रहा है जब भारी व्यय हो रहे हों और व्यय आवश्यक्ता पर आधारित हों तो फिर उसका प्रयोग भी होना चाहिये । जिस कार्य के लिए वहॉ सारी सुविधाएँ दी गई हैं वेटिंग हॉल से रिटायरिंग रुम तक का यदि उपयोग ना हो तब यह बात समझ में आती है कि यह सब व्यर्थ के ऑकड़े और उससे निकले परिणामों में भाड़ी अन्तर हो रहा है। यात्री सुविधाओं के लिए वेटिंग हॉल से रिटायरिंग रुम तक की व्यवस्था होती है मैंने पिछली भी बैठक में इसकी चर्चा की थी लेकिन मुझे जानकारी नहीं कि स्थिति अब कहॉ पर हैं ।	भभुआ स्टेशन बी श्रेणी का स्टेशन है। भभुआ रोड स्टेशन के सुधार का कार्य वर्ष 2012 के जुलाई माह में सम्पन्न हुआ है। इसके अन्तर्गत नये द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय,यू.टी.एस/पी.आर.एस, वी.आई.पी रूम का निर्माण किया गया है। नये द्वितीय श्रेंणी प्रतीक्षालय,यू.टी.एस /पी.आर.एस कार्यालय,उपयोग में है। उच्च श्रेंणी प्रतीक्षालय,रीटायरिंग रूम एवं वी. आई.पी रूम हेतु अधिकतर आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था की जा चुकी है। शेष फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है। इसके उपरांत इन इकाईयों को प्रयोग में शीघ्र लाया जायेगा।
1.8	इस रेल के द्वारा काफी ओवरब्रीज भी बनाये गये हैं और मुझे लगता है कि वह भी एक ऐसा आईटम था जिसे सभी सदस्यो को आप दिखाते तो आपके उपलब्धियों में एक और बात जुड़ती।	पूर्व मध्य रेलवे में पिछले दो वर्षो में 106 सडक ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है जिसमें 10 ओवर ब्रिज वर्तमान के रेलवे फाटकों पर बनाये गये हैं तथा 96 ओवर ब्रिज नई लाईनों पर बनाये गये हैं विवरण निम्नाकिंत है –

		वर्ष	पूरे किये गये ओवर ब्रिज की सख्या		कुल संख्या
			वर्तमान के फाटकों पर	कार्यो के अन्तर्गत नई लाईनों पर	
		010–11	05	–	05
		2011–12	05	46	51
		2012–13	(04 इस वर्ष लक्षित)	50	50
		कुल	10	96	106
1.9	आपके द्वारा यह भी दिखाया जाना चाहिये था कि प्रस्तावित ओवरब्रीज कितने हैं और वह किस स्टेज तक पहुँचा है। क्योकि रेल की संरक्षा और सुरक्षा शायद ओबर ब्रीज से जुड़ा हुआ विषय है।	पूर्व मध्य रेल के इस वर्ष के पिंक बुक में 59 सडक ओवरब्रिज स्वीकृत है। (क)जिसमें से 07 सम्पूर्ण रूप में; अर्थात रेलवे पोर्सन तथा अप्रोच दोनों पूरे हो चुके हैं तथा 5 में रेलवे पोरसन का कार्य पूरा हो चुका है इस प्रकार कुल 12 आर.ओ.बी. में रेलवे साईड का कार्य पूरा हो चुका है । (ख) 5 अन्य ओवरब्रिज का कार्य प्रगति में है । (ग) 6 आर.ओ.बी. का टेन्डर हो चुका है और कार्य शुरू हो रहा है । (घ) 33 आर.ओ.बी में प्रारम्भिक कार्यवाही प्रगति पर है। (ड़) 3 आर.ओ.बी. का कार्यNHAI को करना है।			
1.10	हमारे जितने भी रेलवे क्रासिंग हैं उस रेलवे क्रासिंग पर जहॉ स्टेट रेल हाईवे है, जहॉ नेशनल हाईवे है,यदि वहॉ पर भी इन सारी चीजो को जो बनने हैं और जो बनाये जा रहे हैं या बनाये जाने की सम्भावनाये हैं। यह यात्रियों के जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप एक्सीडेंट की चर्चा करते कि उसमें क्या कमी – बढोत्तरी हो रही है तो अच्छा लगता । सबसे ज्यादा हादसा रेलवे क्रोसिंग पर हो रही है इसलिए रेलवे की सुरक्षा के लिए ओभरब्रीज की बहुत आवश्यकता है।	मंडलो में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव राजकीय राजमार्ग पर पड़ने वाले समपार फाटकों पर कार्य स्वीकृत है जिसे निर्माण विभाग के पर्यवेक्षण में एनएचएआई, इरकॉन एंव राज्य सरकार के माध्यक से सम्पन्न कराया जा रहा है। लेवल क्रासिंग पर हादसा रोकने के कम में मंडलवार निम्नलिखित कार्य स्वीकृत है। समस्तीपुर– 139 एलएचएस की स्वीकृति प्रदान है। सोनपुर– 71 एलएचएस की स्वीकृति प्रदान है। मुगलसराय– इस संबंध में मंडल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।			

1.11	हम सबों को जबाब मिला था कि चौसा जो बक्सर और भभुआ स्टेट हाईवे पर है उस पर ओभरब्रीज बनने बाला है। यह भी चर्चा हुई थी कि बक्सर में शहर के इस पार आने – जाने के लिए एक ओभरब्रीज की अति आवश्यकता है। जिस तरह सासाराम में बनाया जा रहा है, जिस तरह कुदरा में बनाया जा रहा है उस तरह बक्सर में भी उसकी आवश्यकता है। संयोग से बक्सर स्टेशन के दोनो तरफ पी.डब्लू.डी की बड़ी–बड़ी संख्या है पूरा ईलाका का आवागमन बंद होने के चलते रेल को भी परेशानी होती है लोगों को भी परेशानी होती है। रघुनाथपुर बहुत बड़ा स्टेट हाईवे है जो दो लंबे ईलाकों को जोड़ता है। साहाबाद में दो बड़ी लाईने हैं ग्रांड कार्ड और मेन लाईन और इन्हें स्टेट हाईवे जगह–जगह क्रास करता है । ग्रांड कार्ड में जो ओवरब्रीज की बातें थी उसमें काफी हद तक कार्य आगे बढे हैं लेकिन आज तक भी कुदरा और सासाराम का ओवरब्रीज नहीं बन पाया और मुझे लगता है कि जहॉ तक हमारी जानकारी है पिछले आठ–नौ सालों में एक भभुआरोड और मोहनिया के सिवा एक भी ओवरब्रीज साहाबाद ईलाके में तैयार नहीं हो पाया । इसके क्या कारण हैं ?	(क)पटना–मुगलसराय मेन लाईन में 12 तथा मुगलसराय–गया ग्रैंड कौड लाईन में 9 ओवरब्रिज का कार्य स्वीकृत है । (ख)कुदरा एंव सासाराम में सडक ओवर ब्रिज का कार्य रेलवे पोर्सन में पूरा हो चुका है। जमीन की समस्या के कारण एप्रोच कार्य बाधित है ।
1.12	पहले ओवरब्रीज रेल तैयार कर लेती थी और बाद में स्टेट एप्रोच रोड तैयार करती थी लेकिन क्या कारण है कि अब राज्य सरकार एप्रोच रोड पहले तैयार कर लेती है और बाद में रेल ओवरब्रीज बनाती है।	यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है जैसा कि मद संख्या 1.9 के उत्तर से स्पष्ट है कि सभी स्थानों पर ओवर ब्रिज का कार्य या तो सम्पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है या रेलवे पोर्सन में पूरा हो चुका है । अर्थात ऐसा कोई ओवर ब्रिज नहीं है जहां अप्रोच बन गया है तथा रेलवे पोर्सन नहीं बना है।
1.13	जो भी ओवरब्रीज बन रहे हैं उसमें तेजी लाया जाय और जो प्रस्तावित हैं उनकी क्या स्थिति है इसकी जानकारी दी जाए।	सुझाव नोट किया जाता है तथा ओवरब्रिज के कार्यो में और तेजी लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। प्रस्तावित ओवर ब्रिज की विस्तृत जानकारी मद संख्या 1.9 के उत्तर में दिया गया है ।

<table>
<tr><td>1.14</td><td>स्टेशनों पर मुख्यतः जिस तरह यात्री कोच की सफाई का व्यवस्था किया गया है उसी तरह सबसे अधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर जहॉ यात्रियों को बैठने का स्थान है वहॉ की भी सफाई व्यवस्था होनी चाहिये ।</td><td>स्टेशनों की सफाई– व्यवस्था और बेहतर/उच्च कोटि के बनाए रखने हेतु बाहरी एजेंसियों / कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा सफाई कराया जा रहा है, जिसका पर्यवेक्षण/नरीक्षण चिकित्सा विभाग द्वारा निरंतर किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>1.15</td><td>किन कारणो से जहॉ सबसे अधिक भीड़–भाड़ वाले स्टेशन हैं वहॉ टिकट न ले सकने के कारण बेटिकट यात्रा उस स्थान से आम रेल यात्रियों को करना पड़ता है। क्या इसके कारण रेल राजस्व की क्षति नहीं हो रही है ?</td><td>उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए मुगलसराय मंडल सहित सभी मंडलों के प्रमुख स्टे. पर साधारण टिकट काउंटरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है एवं इनके संचालन पर निगाह रखी जाती है। प्रमुख स्टे. पर प्रत्येक पाली में पर्याप्त संख्या में काउंटर चलाये जाते हैं। भीड़–भाड़ के मौसम में यात्रियों को कम प्रतीक्षा समय लगे इसे ध्यान में रखते हुए काउंटरों की संख्या में वृद्धि भी की जाती है। अनेक स्टे. के नागरिक आबादी के बीच कुल पचीस जेटीबीएस की नियुक्ति (जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक) की गयी है जिससे अनारक्षित टिकटों की उपलब्धता को लोगों के लिए सहज बनाया गया है।
<table>
<tr><th>SN</th><th>Stns.</th><th>No. of JTBS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MGS</td><td>03</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DOS</td><td>02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SSM</td><td>01</td></tr>
<tr><td>4</td><td>AUBR</td><td>01</td></tr>
</table>
रेल प्रशासन हर संभव प्रयास करती है कि यात्रियों को शत प्रतिशत टिकट उपलब्ध हो। इसके कारण रेल राजस्व की क्षति होने की बात से इंकार नहीं किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>1.16</td><td>जहॉ रेलवे को करोड़ों की आमदनी हो सकती है वहॉ रेलवे नियुक्ति क्यों नहीं करती है ?</td><td>इस वित्त वर्ष में 7927 कर्मियों की नियुक्ति की जा चुकी है।
रिक्तियों का आकलन कर रेलवे भर्ती बोर्ड और विभागीय प्रक्रिया द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।रेलवे के संरक्षा से संबंधित कैटेगरी ट्रैक मैन के लिए करीब छः हजार पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन किया जा चुका है और आगे की कार्यवाही प्रगति पर है।</td></tr>
<tr><td>1.17</td><td>रेलवे यात्रियों को टिकट नहीं दे पाना और उन्हीं यात्रियों को यात्रा के दौरान जलील करना कहॉ का न्याय है। इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है।</td><td>मद् सं 1.15 में उल्लेखित अभ्युक्ति देखी जा सकती है । उल्लेखनीय है कि सभी टिकट जांच कर्मियों को समय समय पर उचित निर्देश)guidance/counselling दिया</td></tr>
</table>

		एवं संयमित दौरान के निर्वहन कर्तव्य वे कि है जाता। व्यवहार शालीन करें।
1.18	यदि टिकट खिड़की की कमी है तो इसे बढाया जाय और यदि कर्मचारी की कमी है तो इसके टिकट खिड़की खुलने के समय को बढाया जाना चाहिए ।	मद सं.1.15 में उल्लेखित अभ्युक्ति देखी जा सकती है। स्टेशनों की यात्री संख्या एवं आय की समीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है। यात्री संख्या के अनुसार प्रतिवर्ष यात्री सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यवाई की जाती है। वर्तमान में किसी भी स्टेशन पर टिकट काउंटर की कमी नहीं है।
1.19	भभुआरोड स्टेशन का जो कैटेगरी बना के रखा गया है आमदनी के आधार पर उसके श्रेणी को निश्चित करेंगे और श्रेणी के आधार पर यात्रियों को सुविधा देंगे बिल्कुल सही बात है लेकिन जब आमदनी के हिसाब से उसके कैटेगोरी में वर्षो तक बदलाव नहीं होता है तो यात्रियों को भी सुविधा भी वर्षो तक बंद हो जाती है।सात साल तक सी ग्रेड से बी ग्रेड भभुआ रोड को नहीं दिया गया और आपकी जो कैटेगरीज है आमदनी के आधार पर उसके लिए वर्षो से पूरा कर रहा है लेकिन क्या कारण है कि वह ए ग्रेड की श्रेणी में नहीं जा पाया है।	वार्षिक आय के आधार पर स्टेशनों के श्रेणी निर्धारण करने की समीक्षा रेलवे बार्ड द्वारा 05 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। वर्ष 2006–07 के यात्री आय के आधार पर श्रेणी निर्धारण की पिछली समीक्षा 2007–08 में की गयी है जिसके अनुसार भभुआ रोड स्टे. की वर्तमान श्रेणी 'बी' है। रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार स्टे. के श्रेणी वर्गीकरण में 'ए' श्रेणी के स्टे. के लिए वार्षिक यात्री आय 08 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तथा 'बी' श्रेणी के स्टे. के लिए वार्षिक यात्री आय 04 करोड़ से लेकर 08 करोड़ निर्धारित की गयी है। अगली समीक्षा 2012–13 में की जानी है। इसके उपरांत यदि इस स्टे. के श्रेणी में वृद्धि होती है तो तदनुसार यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य योजना बनाई जाएगी।
1.20	मैं मानता हूँ कि सभी स्टेशनों के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर बड़े.बड़े यात्री शेड की व्यवस्था नहीं कि जा सकती है लेकिन जिन स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों के बैठने की सुविधा है वहॉ यात्री शेड की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। ग्रेण्ड कॉर्ड के कुछ स्टेशनों पर छोटे–छोटे शेड की जिस तरह व्यवस्था की गई उसी तरह मेन लाईनों की स्टेशनों पर भी यात्री शेड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बर्षा एवं धूप से यात्रियों का बचाव हो सके।	छोटे शेड प्रयोगात्मक स्तर पर काफी उपयोगी पाए गए हैं एंव इन्हें मेन लाइन के स्टेशनों पर निधि की उपलब्धता एंव स्टेशनों की प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से लगाया जायेगा।
1.21	ए एवं ए1 के प्लेटफार्मों पर जहॉ 24 एवं 26 डब्बों के कोच का ठहराव होता है उन प्लेटफार्म का लेवल गाड़ी के बराबर होनी चाहिए एवं पुराने प्लेटफार्मो का भी एक्सटेंशन	मुगलसराय मंडल में ए1 श्रेणी का कोई स्टे. नहीं है। इस मंडल में ए श्रेणी का 4 स्टे. मुगलसराय, गया, डेहरी ऑन सोन एवं सासाराम है। गया स्टेशन पर प्लेटफार्म सं. 1,2 एवं 3 की कोच

	24 एवं 26 डब्बों के कोच के बराबर होना चाहिए।	समायोजन क्षमता 24 कोच की है। मुगलसराय स्टे. प्लेटफार्म सं. 2 एवं 3 की कोच समायोजन क्षमता 24 कोच की है। डेहरी ऑन सोन स्टे. पर प्लेटफार्म सं. 2,3, 4 एवं 5 की कोच समायोजन क्षमता 24 कोच की है। सासाराम स्टे. पर प्लेटफार्म सं. 2, 3, एवं 4 की कोच समायोजन क्षमता 23 कोच की है। मुगलसराय स्टे. के प्रत्येक प्लेटफार्म को 24 कोच समायोजन क्षमता के अनुरूप बनाने का कार्य प्रगति पर है। इन चारों स्टे. पर प्लेटफार्म ऊँचे लेवल का है।
1.22	मुगलसराय स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफार्मो को 24 एवं 26 डब्बों के कोच के बराबर एक्सटेंशन होनी चाहिए एवं उनके लेवल को भी ध्यान में रखा जाय।	मुगलसराय स्टेशन पर प्लेटफार्म नं0 5 एवं 6 को छोड़कर सभी प्लेटफार्म की लम्बाई 24 और 26 कोच के लिए उपलब्ध है। प्लेटफार्म 5 एवं 6 को बढ़ाने का कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर है।
1.23	बक्सर स्टेशन का बहुत ही दयनीय हालत है । इस स्टेशन के दुर्दशा में सुधार की आवश्यक्ता है । मेन विल्डिंग के शेड को तोड़ दिया गया है और टेम्पोरेरी शेड की व्यवस्था की गई है । जिससे वर्षा मे पानी टपकता है । अतः वहॉ जल्द से जल्द अस्थायी व्यवस्था को हटाकर स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए एवं बक्सर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया की इतनी खराब हालत है जितनी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । हमलोग कभी भी अपनी गाड़ी से स्टेशन तक नहीं पहुॅच सकते । इन अव्यवस्था का क्या कारण है ?	बक्सर स्टेशन पर मेन स्टेशन भवन एवं सर्कुलेटिंग एरिया का कार्य स्वीकृत है। निविदा अस्वीकृत हो जाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। निविदा पुनः आमंत्रित की जा रही है एवं उसके स्वीकृत होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।
1.24	दानापुर एवं अन्य स्टेशनों के वी.आई.पी रूम की बदतर स्थिति है। इसे सुधार करने की आवश्यक्ता है इसकी व्यवस्था एयरपोर्ट की वी.आई.पी रूम की तरह होना चाहिए ।	वीआईपी रूम का रखरखाव संतोषजनक है फिर भी स्तर में और सुधार का प्रयास जारी है।
1.25	पटना स्टेशन के वी.आई.पी रूम भी धर्मशाला से कम नहीं है । यदि वी.आई.पी रूम को ए. सी आदि से सुसज्जित नहीं किया जाता है तो वहॉ वेंटिलेशन की सुविधा जरूर प्रदान किया जाना चाहिए ।	वीआईपी रूम एसी है और ठीक स्थिति में है। स्तर में और सुधार का प्रयास जारी है।
1.26	रेलवे प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि वी.आई.पी रूम को	स्टेशनों पर उपलब्ध वीआईपी रूम में वीआईपी के लिए ही उपयोग हेतु स्टेशन अधीक्षक/मुटीनि. को

	केवल वी.आई.पी ही प्रयोग कर सकें।	निर्देशित किया गया है।
1.27	जब वी.आई.पी रूम की ऐसी दुर्दशा है तो यात्री वेटिंग की हाल व्यवस्था कैसी होगी सहज ही समझा जा सकता है। अतः जेनरल एवं फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम की व्यवस्था में भी सुधार की जानी चाहिए।	वीआईपी रूम सहित अन्य वेटिंग रूमों के रख रखाव पर लगातार ध्यान दिया जाता है। यथा उनकी साफ सफाई, उपस्करों की मरम्मती आदि को नियमित तौर पर कराया जाता है। एस.आईजी के निरीक्षण कराये जाते है और कमियों को सुधार जाता है। तथापि यह सुक्षाव स्वागत योग्य है।
1.28	साहाबाद बिहार का दक्षिणी और पश्चिमी खण्ड है जिसे सासाराम से कर्मनासा तक कहते हैं । सासाराम से ईंटरसिटी पटना आती है इसे विस्तारित कर कर्मनासा से चलाया जाय । यदि कर्मनासा में कोचों की सफाई की व्यवस्था नहीं हो तो उसे मुगलसराय से चलाया जाय एवं इनके कोचों की संख्या को बढाकर कम से कम 10 डिब्बों का किया जाय।	कर्मनाशा में मुलभूत सुविधा का अभाव है। इंटरसिटी को मुगलसराय तक विस्तारित करने पर पाथ का अभाव है क्योंकि उसी समय अप एवं डाउन दोनों दिशा में राजधानी चलती है। मुगलसराय में साफ–सफाई की उचित व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह गाड़ी 10 कोच से चल रही है।
1.29	बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस तो मजदूरों के चलने के लायक भी नहीं है पर्यटकों की चलने की बात तो दूर की है । अतः इसमें एसी2 – एसी3 की व्यवस्था, कोचों की संख्या बढानें एवं इसके व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।	गाड़ी सं. 15109/10 बुद्ध पूर्णिमा एक्स. वाराणसी से (भाया मुगलसराय, गया, पटना) राजगीर तक प्रतिदिन परिचालित है। इन गाड़ियों का प्राथमिक रख–रखाव मंडुआडीह स्टेशन (वाराणसी मंडल, पूर्वोत्तर रेल) में है। बोगियों की संख्या के मामले का विस्तारण मुख्यालय स्तर से पूर्वोत्तर रेल द्वारा संभव है। मंडल के स्क्वायड टीटीई के कार्यक्रम में नियमित रूप से ट्रेनों में जाँच कराई जाती है।
1.30	दानापुर मंडल का रघुनाथ पुर स्टेशन पर बहुत जगहों से लोगों को आना जाना होता है जहॉ से रोहतास के लोग, कुछ आरा के लोग भी आते हैं एवं बक्सर जिला के लोग भी आते हैं । इस तरह तीन जिला के लोग इस स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने आते हैं । कुछ गाड़ियों के वहॉ ठहराव की मॉग है जिसका रिपरजेन्टेशन वहॉ के लोगो के द्वारा पूर्व मध्य रेल को भेजा भी गया है । क्योंकि इन मॉगो के लिए वहॉ कई बार आंदोलन भी हो चुका है अतः स्थिति और न बिगड़े इसलिए रेल प्रशासन से मेरी मॉग है कि उस पर गंभीरता से विचार किया जाय और उनकी मॉगों को मान लिया जाय।	इस मांग की वाणिज्यिक औचित्य की समीक्षा की जा रही है।

1.31	छोटे से बड़े सभी स्टेशनों पर टिकट काउंटर पर आरक्षण के लिए दलालों का बोलबाला है । बजाप्ते उनके मोबाइल नम्बर सहित उसके विज्ञापन स्टेशनो पर सटे हैं अतः मेरी मॉग है कि उन विज्ञापनों को तुरन्त हटाया जाना चाहिये एवं रेल प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर टिकट के कालाबाजारी को रोकने का समुचित प्रयास करना चाहिए।	आरक्षण टिकट काउंटरों पर दलालों की रोकथाम के लिए समय–समय पर रेल प्रशासन द्वारा अभियान चलाये जाते हैं। प्रमुख स्टे. के आरक्षण कार्यालयों में आरपीएफ तैनात किये जाते हैं। समस्त आरक्षण कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण/औचक निरीक्षण किया जाता है एवं निगरानी रखी जाती है। इनकी सेवा में कमी की कोई शिकायत प्राप्त होने पर इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यवाई की जाती है। तत्काल टिकट के अन्तर्गत टिकट आरक्षण के लिए कतारबद्ध यात्रियों के आरक्षण मांग पत्रों पर क्रमानुसार नम्बर अंकित किये जाते हैं एवं तदनुसार आरक्षण मांग पर स्वीकार किये जाते हैं। मंडल के प्रमुख आरक्षण कार्यालयों (मुगलसराय एवं गया सहित) में भीतर एवं बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाये गये हैं। जिनकी माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। टिकट दलालों से बचाव हेतु पोस्टर/बैनर लगाएं गएं हैं। इस सम्बंध में रेसुब द्वारा अनवरत टिकट दलालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है व उन्हे जेल भी भेजा जा रहा है। वर्ष 2012 के माह नवम्बर तक कुल 109 टिकट दलाल सुरक्षा विभाग द्वारा पकड़ा गया है जिससे 2,52000/– रू0 जुर्माना के रूप में वसूल की गयी है और 73 को जेल भेजा जा चुका है। वाणिज्य एवं सर्तकता विभाग द्वारा भी अपने स्तर पर कार्यवाही की जाती हैं।
1.32	बुद्ध पूर्णिमा के एसी बोगी में रात्रि ड्यूटी में कोई भी कोच एटेंडेंट नहीं रहता । जब एसी की ये हाल है तो स्लीपर का तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अतः इसे देखा जाय।	नोट किया गया एवं सुनिश्चित कराया जाएगा।
1.33	रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनों में अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई हादसा न हो जाए। अतः इसके लिए जीआरपी एवं आरपीएफ को तैनात करने की आवश्यकता है ।	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ट्रेनों में पर्व त्यौहार के मौके पर अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गृह रक्षावाहिनी की भी प्रतिनियुक्ति की जाती है साथ ही साथ कम महत्वपूर्ण बीटों पर लगे रेसुब के ड्यूटी को हटाकर रेसुब कर्मचारियों को भी भीड नियंत्रण हेतु ड्यूटी में लगायी जाती है एवं रारेपु द्वारा भी इस विशय में अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।
1.34	गाड़ियों में बेटिकट यात्रियों को रोकने का उचित प्रबंध किया जाय । क्योंकि यात्री टिकट लेना चाहते हैं लेकिन उन्हे मिल नहीं पाता है जिससे रेल राजस्व की हानि होती	बेटिकट यात्रीयों की रोकथाम के लिए मंडल के अंतर्गत ट्रेनों में चल टिकट परीक्षक दस्तों द्वारा सघन टिकट चेकिंग के अभियान नियमित रूप से चलाये जाते हैं। समय–समय पर चिन्हित खण्डों

	है ।	पर मजिस्ट्रेट चेकिंग के अभियान आयोजित किये जाते हैं। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए प्रमुख स्टेशनों पर साधारण टिकट काउंटरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है एवं इनके संचालन पर निगाह रखी जाती है। प्रमुख स्टे. पर प्रत्येक पाली में उपयुक्त संख्या में काउंटर चलाये जाते हैं। भीड़–भाड़ के मौसम में यात्रियों को कम प्रतीक्षा करना पड़े इसे ध्यान में रखते हुए काउंटरों की संख्या में वृद्धि भी की जाती है। अनेक स्टे. के नागरिक आबादी के बीच अनारक्षित टिकटों की बिक्री हेतु जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक की नियुक्ति कर अनारक्षित टिकटों की उपलब्धता को लोगों के लिए सहज बनाया गया है।
1.35	बक्सर से डुमरॉव के बीच कुशलपुर हाल्ट का तीन साल पहले अधिकारिक घोषणा हुआ और रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई । टिकट बेचने वाले ठेकेदार का वाजाप्ता विज्ञापन किया गया लेकिन किन कारणों से अभी तक चालू नहीं किया गया इसकी जानकारी दी जाय। दि.24.11.2012 से खोल दिया गया है।	दानापुर मंडल के अंतर्गत बरूना एवं डुमरांव के बीच कुशलपुर हरनाहा हाल्ट दि.24.11.12 से खोल दिया गया है। इस हाल्ट पर गाड़ी सं.63226 एवं 63227 बक्सर–पटना मेमू/पैजेन्जर का ठहराव दिया गया है। दूसरी गाड़ी 53205 एवं 63232 पटना–बक्सर पेसेन्जर/मेमू का भी ठहराव दिनांक 27.12.12 से दिया गया है।
1.36	इस बैठक में जो भी चर्चायें की जाती है उसके जो भी परिणाम निकल कर आये उसे पत्र द्वारा सूचित किया जाय।	इसका पालन किया जायेगा।
2.0	**श्रीमती मीना सिंह, माननीय सांसद**	
2.1	आरा रेलवे स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया में बैरकेटिंग करायी जाय जिससे अवैध वाहनों को स्टेशन परिसर में आने से रोका जा सके तथा परिसर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सके ।	कार्रवाई की जायगी ।
2.2	आरा रेलवे स्टेशन पर हेल्थ यूनिट का निर्माण कराया जाय जिससे वहॉ के रेलकर्मियों एवं नशा खुरानी गिरोह के चपेट में आये रेल यात्रियों की जान बचायी जा सके ।	आरा रेलवे स्टेशन से दानापुर मंडल अस्पताल एवं बक्सर स्वा0 केन्द्र की दूरी क्रमशः 40 किमी0 एवं 60 किमी0 है। इसके अतिरिक्त आरा में राज्य सरकार का पूरी तरह से सुसज्जित सदर अस्पताल भी स्टेशन से लगभग 3 किमी0 की दूरी पर स्थित है। अतः नियमानुसार रे0 स्वा0 के0 की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। रेल

		परिषद् के पत्रांकः 2012/H/CA.iii/1ए दिनांकः 25.04.12 के अनुपालन में, बक्सर स्वा0 के0 के चिकित्सक को सप्ताह में दो दिन के लिए आरा में प्रतिनियुक्त किया गया है।
2.3	आरा रेलवे स्टेशन के पूर्वी गुमटी पर करीब 8 लाख वाहन प्रतिदिन रेलवे ट्रेक को पार करते हैं ओवर ब्रिज के अभाव के कारण प्रतिदिन आरा शहर जाम रहता है वहॉ शीघ्र ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाय ।	आरा के पास फाटक संख्या 47 (मध्य आरा–कुलहरिया) पर सडक ओवर ब्रिज का कार्य स्वीकृत है तथा उसपर प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है ।
2.4	आरा रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज का विस्तार बिहारी मिल तक किया जाय ।	वर्तमान में फुटओवर ब्रिज से बाजार तक जाने के लिए एक मार्ग उपलब्ध है तथा फुटओवर ब्रिज का कोई कार्य स्वीकृत नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है।
2.5	आरा रेलवे स्टेशन पर महिला प्रतीक्षालय एवं यात्री शेड का विस्तार किया जाए ।	महिला प्रतिक्षालय मौजुद है और 06 यात्री शेड बनाये गये है।
2.6	आरा में बिहारी मिल की ओर सामान्य टिकट काउंटर का निर्माण किया जाए ।	बिहारी मिल के तरफ जेटीबीएस की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और जे.टी.बी.एस. हेतू निविदा निकाली जा रही है ।
2.7	पटना स्टेशन की तरह आरा स्टेशन में भी एक आरक्षण काउंटर प्रतिदिन 24 घंटे खोला जाए ।	आरा में पीआरएस कार्यालय को रविवार के दिन दोनो शिफ्ट 2.12.12 से खोला जा रहा है ।
2.8	बिहिंया में यथाशीघ्र ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए एवं बिहिंया स्टेशन के प्लेटफार्म विस्तार के काम में तेजी तथा पेयजल की समुचित व्यवस्था किया जाए ।	बिहिया के पास फाटक संख्या 53; मध्य बिहिया–कौडिया पर ओवब्रिज का कार्य स्वीकृत है। ठेका का निर्धारण हो चुका है तथा कार्य प्रारम्भ हो रहा है ।
2.9	कोईलवर स्टेशन पर शीघ्र यात्री शेड का निर्माण एवं पेयजल की व्यवस्था किया जाए ।	पेयजल की व्यवस्था दोनों प्लेटफार्म पर कर दी गई है। नये शेड का कोई कार्य स्वीकृत नहीं है।
2.10	पूर्व में आरा–सासाराम रेल खंड मार्टिन रेलवे था । नई रेल लाईन बनने के बाद मार्टिन रेलवे के समय के कई स्टेशनों एवं हॉल्टों को बंद कर दिया गया जिसके कारण नगरी, कसाब, चरपोखरी सहित कई स्थानों के लोग कई वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं तथा स्थानीय सांसद होने के नाते वहॉ के लोग मुझसे नाराज हैं । नये स्टेशन एवं हॉल्ट का निर्माण	सुझाव नोट किया गया एवं सर्वेक्षण के पश्चात समुचित कार्रवाई की जाएगी।

	कराया जाए यह खुशी की बात है परन्तु पुराने स्टेशन एवं हॉल्ट को बंद नहीं किया जाए । इसलिए मार्टिन रेलवे के समय में जो भी स्टेशन एवं हॉल्ट थे उन्हें शीघ्र निर्माण किया जाए ।	
2.11	12791/12792 पटना–सिकंदराबाद एक्सप्रेस एवं 12367/12368 भागलपुर–आनंद विहार एक्सप्रेस का आरा स्टेशन पर ठहराव दिया जाय ।	वाणिज्यिक औचित्य के साथ रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है । निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होना है।
2.12	12391/12392 इस्लामपुर–नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस का बिहिंया स्टेशन पर ठहराव दिया जाए ।	वाणिज्यिक औचित्य के साथ रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है । निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होना है।
2.13	फरक्का एक्सप्रेस का बनाही स्टेशन पर ठहराव दिया जाए ।	वाणिज्यिक औचित्य के साथ रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है । निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होना है।
2.14	पटना–वाराणसी भाया आरा–सासाराम इंटरसिटी ट्रेन प्रतिदिन चलाया जाय ।	पटना/सासाराम से वाराणसी के लिए कई सीधी सेवा उपलब्ध है । आरा–सासाराम खण्ड इकहरी लाईन है जहॉ गाड़ियों की गति काफी कम है एवं ब्लॉक खण्ड भी लम्बे हैं जिसके कारण नई गाड़ियों के परिचालन में कठिनाई है। तथापि नई गाड़ी के परिचालन का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर हो सकता है । सुझाव रेलवे बोर्ड भेजा जा रहा है।
3.0	**श्री राधे मोहन सिंह, माननीय सांसद**	
3.1	मानव रहित क्रॉसिंग नहीं होने चाहिए ।	मुगलसराय मंडल में 80 मानव रहित समपार हैं जिनमें 12 पर रोड अंडर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत है और 66 पर रोड अंडर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पीडब्लूपी 2013–14 में स्वीकृती हेतु प्रस्तावित है।
3.2	सुरक्षा की दृष्टि से एलर्ट डिवाइस सिस्टम होना चाहिए ।	इस संबंध मे रेलवे बोर्ड से कोई दिशा–निर्देश उपलब्ध नहीं है।
3.3	खाने की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए ।	राजधानी एक्स की खाने में ट्रेनों सभी सहित . में कार पैंट्री और किचन बेस उनके णनिरीक्ष का गुणवत्ता किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि निर्धारित मेन्यू के अनुरूप खाने की क्वालिटी ठीक मिले ।
3.4	पेन्ट्रीकार की साफ–सफाई होनी चाहिए ।	नोट किया गया ।

3.5	गरीब रथ ट्रेनों में बेड रोल साफ नहीं होते हैं इस पर ध्यान दिया जाए ।	समय–समय पर निनिक्षण कराये जाते है और बेड रौल की गुणवत्ता और सफाई से संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाती है।
3.6	गरीब रथ ट्रेनों में पेन्ट्रीकार की सुविधा प्रदान किया जाए ।	फिलहाल,गरीब रथ में पैंट्री कार का प्रावधान नहीं है। इस ट्रेन में ट्रेन साइड वेंडिंग का प्रावधान है।
3.7	ट्रेनों में म्यूजिक सिस्टम होने चाहिए ।	इस विषय की समीक्षा की जायेगी।
3.8	अग्नि सुरक्षा हेतु सभी डिब्बों में फायर इक्सटीक्यूजर होना चाहिए ।	वर्तमान में अग्नि सूरक्षा हेतू फारय इक्सटीक्यूजर का प्रावधान एस.एल.आर में दो, एसी कोचों में दो एवं पैण्ट्री कार में चार की है।
3.9	सभी ट्रेन के इंजनों में फाग एण्डी डिवाइस सिस्टम होने चाहिए ।	रेल परिषद के पत्र सं. 2004/M(L)/466/Misc दिनांक 24. 1011 के आलोक में पू.म.रे को Fog affected route नहीं माना गया है। अतः लोको में दूसरी व्यवस्था नहीं की गई/जा रही है।
3.10	ट्रेनों में एनाउन्समेंट सिस्टम होने चाहिए ।	इस संबंध मे रेलवे बोर्ड से कोई दिशा–निर्देश उपलब्ध नहीं है।
3.11	कोचों की सही स्थिति फ्लैश बोर्ड पर होनी चाहिए ।	इसका अनुपालन कराये जाने का प्रयास किया जाएगा।
3.12	लोकल गाड़ियों में बैक्यूम सिस्टम नहीं होना चाहिए ।	लोकल गाड़ियों में बैक्यूम सिस्टम का होना सुरक्षा के दृश्टिकोण से अति आवश्यक है। बैक्यूम सिस्टम के नहीं होने से आपातकालिन ब्रेक का उपयोग नहीं हो सकता।
3.13	समय–सारिणी सभी स्टेशनों पर डिजिटल होना चाहिए ।	इस संबंध मे रेलवे बोर्ड से कोई दिशा–निर्देश उपलब्ध नहीं है।
3.14	सभी डिब्बों में रूट मैप होना चाहिए ।	नोट किया गया । यह नितिगत मामला है। इसकी समीक्षा की जायगी।
3.15	स्टेशनों पर प्रस्थान एवं आगमन समय डिजिटल फ्लैश बोर्ड होना चाहिए ।	प्रमुख स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था की गई है।
3.16	सभी स्टेशनों पर शौचालय की स्थिति बद से बदतर होती है, दरवाजे टूटे होते हैं एवं सफाई नहीं रहती है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है ।	वैसे रेलवे स्टेशनों के शौचालय की सफाई व्यवस्था प्राइवेट एजेंसियों द्वारा एचआई के पर्यवेक्षण में कराया जाता है एवं संतोषजनक है। मंडलों के सभी स्टेशनों पर शौचालय के दरवाजों की मरम्मत करा दी गई है। समस्तीपुर मंडल के निम्नलिखित स्टेशनों पर पे एण्ड यूज टायलेट उपलब्ध है। जिसके साफ–सफाई की व्यवस्था एजेंसी के माध्यम से ही की जाती है। जैसेः– बगहा, चकिया , बेतिया, बापूधाम मोतिहारी, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, सकड़ी, मधुबनी, जयनगर, झंझारपुर, वनमंखी, लहेरियासराय,

		समस्तीपुर, सहरसा, दौरम मधेपुरा एवं सुपौल।
3.17	ट्रेनों के टाइमिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।	इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।
3.18	वेंडर एम.आर.पी. से ज्यादा दाम पर बेचते हैं इस पर अंकुश लगना चाहिए ।	औचक जांच द्वारा और शिकायत प्राप्त होने पर सम्बंधित वेंडर के विरुद्ध कारवाई की जाती है।
3.19	ट्रेनों में इंटरटेनमेंट सुविधा रहनी चाहिए ।	नोट किया गया। यह नितिगत मामला है। इसकी समीक्षा की जायेगी।
3.20	खाने–पीने की चीजों की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए ।	पैंट्री कार और कैंटीन में रेलवे बोर्ड के निर्धारित मेन्यू के अनुरूप क्वालिटी सुनिश्चित की जाती है।
3.21	सभी स्टेशनों पर सी.सी.टीवी. कैमरा होना चाहिए ।	प्रमुख स्टेशनों के लिए कार्य स्वीकृत हो चुका है।
3.22	पीने के पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए ।	पीने के पानी की व्यवस्था दुरूस्त रखने हेतु मंडल द्वारा सभी सहायक इंजी0 को दिशा–निर्देश जारी कर दिया गया है।
3.23	सभी स्टेशनों पर बुकिंग काउंटर पर डिजिटल टिकट फ्लैश बोर्ड होना चाहिए ताकि टिकट खरीदने वाले को अपने टिकट की कीमत और डेस्टीनेशन का पता हो जाए ।	सभी प्रमुख स्टेशनों में फेयर इंडिकेटर बोर्ड लगाये गएँ है । आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट पर आरंभिक एवं गंतव्य स्थानों का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में, दूरी , श्रेणी एवं किराया आदि सूचना अंकित रहता है। यूटीएस कांउटरों पर फेयर डिस्प्ले सिस्टम का प्रावधान है।
3.24	रात्रि में सभी स्टेशनों पर प्लेटफार्मो पर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए ।	रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर रात्री में प्रकाश की उचित व्यवस्था हेतु बीजली की फिटिंग उपलब्ध है परन्तु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आपूर्ति सप्लाई अनियमित है इन्हीं कारणो से पूर्व मध्य रेल के 85 स्टेशनों पर डी0जी0 सेट, 55 स्टेशनों पर सोलर पौनल तथा 173 स्टेशनों पर ए0टी0 सप्लाई भी उपलब्ध करा दी गयी है जिससे राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आपूर्ति सप्लाई बाधित होने के उपरान्त भी यात्रियों के लिए प्लेटफार्म पर अनिवार्य प्रकाश उपलब्ध रहे ।
3.25	जमानिया रेलवे स्टेशन पर एक बुकिंग काउंटर है उसके अतिरिक्त एक और बुकिंग काउंटर खोला जाय ।	जे.टी.बी0एस. की सुविधा हेतू विज्ञापन निकाली जा रही है ।
3.26	जमानिया स्टेशन पर रिजर्वेशन की बुकिंग दोनों शिफ्ट में होनी चाहिए ।	जमानियॉ स्टेशन पर प्रति दिन 50 रिक्यूजीशन प्राप्त होते हैं । इसलिए दोनो पाली में खोला जाना संभव नहीं है ।
3.27	गाड़ी संख्या 63229 पटना से मुगलसराय	प्रस्ताव की जॉच की जा रही है । गाड़ियों के

	चलने वाली डी0एम0यू0 पैसेंजर जिसका जमानिया स्टेशन पर समय 13.05 मिनट है जो प्रतिदिन जमानिया स्टेशन पर दो घंटे रोककर लगभग 5–6 ट्रेनों को पास कराया जाता है अगर इसका समय थोड़ा सा पीछे कर दिया जाये (पटना से) तो जनहित में लाभ मिलेगा ।	विलम्ब से चलने के कारण कभी–कभी इसे रोक कर अन्य गाड़ियों को प्रसिडेन्स दिया जाता है। तथापि सुझाव की जॉच की जा रही है ।
3.28	जमानिया स्टेशन पर जी0आर0पी या आर0पी0एफ0 की चौकी नहीं है जबकि जमानिया स्टेशन पर इसकी आवश्यकता है ।	जमानिय रेलवे स्टेशन निरीक्षक/रेसुब पोस्ट दिलदारनगर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है तथा वर्तमान में आवश्यकतानुसार रेसुब की प्रतिनियुक्ति की जाती है।
3.29	दिलदारनगर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग काउंटर 02 हैं लेकिन एक ही चलता है। वहॉ दोनों बुकिंग काउंटर खुले इसे सुनिश्चित किया जाय ।	6–14 के पाली में दो काउन्टर खोले जाते हैं ।
3.30	दिलदारनगर रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर रविवार को दोनों शिफ्ट में बंद रहता है जिसे रविवार को एक शिफ्ट में खुलवाया जाय ।	रविवार को एक शिफ्ट 22/10/12 से खोला जा रहा है ।
3.31	गाड़ी संख्या 52647 जो दिलदारनगर से ताड़ीघाट पैसेंजर चलती है जिसमें सिर्फ 04 बोगियां लगी होती है अगर इस गाड़ी में बोगी बढ़ जाये तो जनहित में लाभ मिलेगा ।	आपके सुझाव को ध्यान में रखकर बोगियों की संख्या पॉच कर दी गयी है।
3.32	गाड़ी संख्या 52647 में आर.पी.एफ की डियूटी लगायी जाय एवं प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए ।	गाडी सं0 52647 में रेसुब की ड्यूटी लगाने के लिए सम्बंधित मण्डल को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
3.33	गाड़ी संख्या 53218 जो मुगलसराय से बक्सर के लिए दोपहर 1 बजे चलती है लेकिन हमेशा लेट रहती है इसे सही समय से चलाया जाय ।	इस संबंध में मंडल को निर्देश दिया गया है ।
3.34	भदौरा प्लेटफार्म पर पानी की समस्या है एक भी हैण्डपम्प स्टेशन पर नहीं है । यात्री ग्रामीण क्षेत्रों से ही पानी लेकर आते हैं इसलिए भदौरा स्टेशन पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय ।	भदौरा स्टेशन पर दो हैंड पम्प मौजुद है।
3.35	भदौरा स्टेशन पर प्लेटफार्म नीचे है जिससे हमेशा दुर्घटना होती रहती है । इसलिए प्लेटफार्म की ऊॅचाई बढ़ाई जाय ।	अभी यहां लो लेवल प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म उच्चीकरण का कार्य अभी स्वीकृत नहीं है।

3.36	भदौरा स्टेशन पर बुकिंग काउंटर 01 है जबकि वहॉ पर बुकिंग काउंटर 02 होना चाहिए तथा रिजर्वेशन काउंटर की व्यवस्था होनी चाहिए ।	बिक्री के अनुसार काउंटर पर्याप्त हैं ।
3.37	भदौरा स्टेशन पर ओवर ब्रिज की आवश्यकता है ।	अभी इसका कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। भविष्य में इस कार्य को प्लेटफार्म रेजिंग के साथ स्वीकृत कराया जायगा।
3.38	गहमर स्टेशन पर पेय जल की व्यवस्था होनी चाहिए एवं गहमर में प्रकाश की व्यवस्था ठीक नहीं है ।	गहमर रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉम पर रात्री में प्रकाश की उचित व्यवस्था हेतु बीजली की 20 अदद फिटिंग (10 अप प्लेटफॉम पर और 10 डाउन प्लेटफॉम पर) उपलब्ध है परन्तु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आपूर्ति सप्लाई अनियमित है इन्हीं कारणो से ए0टी सप्लाई की व्यवस्था है । प्लेटफार्म पर लगी सभी 20 अद्द फिटिंग्स ए0टी0 सप्लाई से भी संचालित होती है जिससे यात्रियों के लिए प्लेटफार्म पर अनिवार्य प्रकाश उपलब्ध रहे ।
3.39	बारा कला हाल्ट, करहिया हाल्ट, उसिया खास हाल्ट एवं दरौली इन सभी हाल्टों पर न तो टीनशेड है, न ही पानी की व्यवस्था है जिससे यात्रियों को परेशानी होती है ।	पानी की व्यवस्था हैण्ड पम्प के माध्यम से की गई है। निधि की उपलब्धताके अनुसार शेड की व्यवस्था की जायेगी।
3.40	भदौरा स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13201/13202 पटना–कुर्ला एक्सप्रेस, 13483/13484, 123413/13414 फरक्का एक्सप्रेस एवं 13005/13006 पंजाब मेल का ठहराव दिया जाय ।	गाड़ी संख्या 13483/13484 एवं 13413/13414 का ठहराव 14.11.12 से दे दिया गया है। अन्य गाड़ियों के ठहराव के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। निर्णय रेलवे बोर्ड के स्तर से अपेक्षित है।
3.41	गहमर स्टेशन पर गाड़ी संख्या 14055/14056, ब्रहमपुत्रा मेल एवं 12791/12792 पटना सिकंदराबाद एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाय ।	ठहराव का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर ही होता है। आपके प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजने की प्रकिया की जा रही है ।
3.42	दिलदारनगर जंक्शन पर गाड़ी संख्या 12141/12142 राजेन्द्रनगर–लोकमान्य तिलक सुपर फास्ट एक्सप्रेस, 12303/12304 पूर्वा एक्सप्रेस, 12295/12296 संघमित्रा एक्सप्रेस एवं 14055/14056, ब्रहमपुत्रा मेल का ठहराव दिया जाय ।	ठहराव का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर ही होता है। वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मॉगा गया है। तदनुसार आपके प्रस्ताव को वाणिज्यिक औचित्य के साथ रेलवे बोर्ड को अग्रसारित कर दिया जाएगा।
3.43	जमानियॉ स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12791/12792 पटना सिकंदराबाद एक्सप्रेस,	ठहराव का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर ही होता है। आपके प्रस्ताव को वाणिज्यिक औचित्य के साथ

	12295/12296 संघमित्रा एक्सप्रेस, 12391/12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस एवं 12303/12304 पूर्वा एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाय ।	रेलवे बोर्ड भेजा जा चुका है । निर्णय रेलवे बोर्ड के स्तर से अपेक्षित है।
3.44	रेल राजस्व को आधार मानकर आरा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा प्रदान की जाय ।	यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए मॉडल स्टेशन का कार्य स्वीकृत है। इसे अतिशीघ्र पुरा किया जायेगा।
4.0	**श्री बाबूलाल मरांडी, माननीय सांसद**	
4.1	कोडरमा रेलवे स्टेशन पर पूछताछ केन्द्र नहीं है जिसकी वजह से हजारों रेल यात्रियों को रेलवे संबंधित सही जानकारी नहीं मिलने पर भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः पूछताछ केन्द्र खोलना अतिआवश्यक है ।	पूछ उपलब्ध पर स्टेशन कोडरमा केन्द्र ताछ-है ।
4.2	गाड़ी संख्या 12301 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का कोडरमा स्टेशन पर ठहराव होना चाहिए ताकि कोडरमा के आस–पास के यात्रियों को सुगमता पूर्वक दिल्ली जाने की सुविधा मिल सके ।	कोडरमा स्टेशन पर वर्तमान में 22823/24 22811/12 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एवं 22439/40 रॉची–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव है। प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा रहा है चूँकि ठहराव का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर से होना है ।
4.3	कोडरमा–रॉची का रेलवे लाईन का निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से चल रहा है । निर्माण पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2011 में ही निर्धारित था लेकिन कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण अभी और कई वर्ष लगने की संभावना है । अतः स्वयं अपने स्तर से समय–समय पर कार्य की समीक्षा कर निर्माण कार्य को गति दें ताकि जल्द से जल्द रेलवे लाईन का निर्माण पूरा हो सके ।	कोडरमा रॉची नई रेलवे लाइन कार्य प्रगति पर है । वन भूमि एंव अन्य भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है इसे वर्ष 2014–15 तक पूरा करा लिया जाय
4.4	झुमरीतिलैया रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2008 से ही चल रहा है । इसे वर्ष 2010 में पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण अभी तक पूरा नहीं हुआ है । आमजनों की कठिनाइयों को देखते हुए ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा कराया जाय ।	कोडरमा–झुमरीतिलैया रेलवे ओवरब्रीज का कार्य अतिंम चरण में है । इसे मई 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।
4.5	कोडरमा में रेलवे साईडिंग का निर्माण कार्य	वर्तमान में कोडरमा में कोई रेलवे साईडिंग का

	बहुत धीमी गति से चल रहा है इसे त्वरित गति से पूरा कराया जाय ।	कार्य निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है।
4.6	परसाबाद स्टेशन पर गाड़ी संख्या 18626 हटिया–पटना एक्सप्रेस एवं 12801 का ठहराव यात्री सुविधा को देखते हुए किया जाय ।	परसाबाद स्टेशन पर गाड़ी संख्या 18626 हटिया–पटना एक्सप्रेस का ठहराव यात्री सुविधा को देखते हुए दे दिया गया है।
4.7	कोडरमा से राज्य की राजधानी रॉची तक एक नई ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन किया जाय जिससे वहॉ के यात्रियों को रॉची आने की सुविधा मिल सके ।	कोडरमा रांची नई रेल लाइन के निर्माण के उपरांत विचार किया जा सकता है। कोडरमा में वर्तमान में मुलभूत सुविधा का अभाव है । स्थिति में सुधार आने पर निर्णय लिया जाएगा । वर्तमान में कोडरमा से रॉची के लिए कई गाड़ियॉ उपलब्ध हैं ।
5.0	श्री रघुवंश प्रसाद, माननीय सांसद	
5.1	मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट की बिक्री के आधार पर उसे ई ग्रेड से उत्क्रमित कर उस स्टेशन पर दोनों ओर ऊँचा प्लेटफोर्म रेल ओवर ब्रिज, यात्री के पिने के लिए पानी, स्वच्छता के लिए शौचालय,एबं प्रकाश के व्यवस्था के लिए वहाँ के रेल यात्री संघ में बार-बार मांग की है। साथ ही वहाँ पर चलने वाली गाड़ियों के ठहराव पर भी बड़ा जोर है। यहाँ पर सप्तक्रांति का ठहराव है अन्य गाड़ियों के ठहराव की भी मांग है। इस स्टेशन पर और भी कई गाड़ियों का टहराव हो।	मोतीपुर स्टेशन पर यात्री संख्या और यात्री आय के अनुसार गाड़ियों का ठहराव दिया गया है । अन्य गाड़ियों के ठहराव से परिचालनिक समस्याए उत्पन्न होगीं क्योकि इस खंड में सेक्सनल यूटिलाइजेसन का आकड़ा 216 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त समान यात्री आय और यात्री संख्या के आधार पर अन्य स्टेशनों पर भी माँग आ सकती है जिसे दिया जाना परिचालनिक दृश्टिकोण से सही नही होगा । तथापि मामले की जॉच कर उचित कारवाही की जायेगी ।
5.2	मोहम्मदपुर बलमी प्रस्तावित हाल्ट मोतीपुर और महवल के बीच है। चूंकि मोतीपुर से सहेवगंज,सरैया-मोतीपुर सड़क और इस्ट वेस्ट कोरिडोर को जोड़नेवाली जगह पर मोहम्मदपुर वल्मी में एक हाल्ट की उचित मांग है। इस पर छानबीन हुई थी।रिपोर्ट भी अनुकूल है।वहाँ पर एक हाल्ट की स्थापना हो।	यद्यपि इस प्रस्तावित हाल्ट के प्रावधान का वाणिज्यिक, परिचालिनिक एवं वित्तीय दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है, किन्तु भूतपूर्व ग्रामीण विकाश मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की मांग के आलोक में रेलवे बोर्ड को विचारार्थ रिपोर्ट भेजा जा चुका है।
5.3	नारियार हाल्ट बहुत दिनों से है, और यह	नारियार हाल्ट कांटी और मोतीपुर स्टेशन के बीच

	स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने हेतु सभी शर्तों को पूरा करता है	और यहाँ पर सवारी गाड़ी 55015/55016 ट्रेन का ठहराव हेतु जनता की जबरदस्त मांग भी है		अवस्थित है इस स्टेशन की प्रतिदिन यात्री आय ४३२ -/ रूपया और यात्री स .१०० है	जबकि ,हाल्ट से स्टेशन में उत्क्रमण हेतु प्रतिदिन औसत यात्री ३०० और वार्षिक औसत आय ९ लाख होनी चाहिए	नारियार हाल्ट पर यात्री संख्या और यात्री आय के अनुसार गाड़ियों का ठहराव दिया गया है और वर्तमान ऑकड़ा प्रश्न में दी गई सवारी गाड़ी जो 55015/55016 होनी चाहिए , के ठहराव के लिए प्रर्याप्त नही है	ठहराव से परिचालनिक समस्याए भी उत्पन्न होगी क्योकि इस खंड की खडीय क्षमता 216 प्रतिशत है एवं यह खंड इकहरी लाइन पर स्थित है ।
5.4	काँटी स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन की मांग है, वहाँ पर रेल ओवर ब्रिज बने और स्टेशन को अच्छी सड़क से जोड़ने की भी मांग है		कांटी स्टेशन पर इंटरसीटी एक्स. के ठहराव हेतु समीक्षा की जा रही है, जिस पर वाणिज्यिक और परिचालिनिक औचित्य होने के पश्चात निर्णय लिया जा सकेगा	 कांटी स्टेशन के नजदीक समपार सं. 112 अवस्थित है जिसका टी.बी.यू. 12056 (अप्रेल १२) है जिस पर आर.ओ.बी. प्रस्तावित करने हेतु जिलाधिकारी/ मुजफ्फरपुर से सहमति माँगी गयी है जिसके प्राप्ति के बाद आगे की कार्यवाही की जायगी कांटी में रेल पंहुच पथ बना हुआ है			
5.5	हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेल लाइन में बेनीपट्टी पीड़ापुर हाल्ट को स्टेशन के रूप में प्रोन्नति करने की मांग है		हाजीपुर- मुजफ्फरपुर खंड में गोरौल एवं भगवानपुर स्टेशन के मध्य बेनीपट्टी पीरापुर 'एफ' श्रेणी का हाल्ट स्टेशन है	इस स्टेशन से औसत प्रतिदिन २०७ यात्री यात्रा करते हैं, जिससे 889/- रु. रेल राजस्व की प्राप्ति होती है	वर्तमान स्टेशन आय के दृष्टीकोण से स्टेशन के रूप में प्रोन्नत करने का वाणिज्यिक औचित्य नहीं बनता है		
5.6	गरौल स्टेशन पर अन्य कई गाड़ियों की ठहराव की मांग है		गोरौल स्टेशन हाजीपुर – मुजफ्फरपुर इकहरी लाइन सेक्सन पर स्थित है जिसकी खंडीय क्षमता का उपयोग 162 प्रतिशत है। यात्री आय और संख्या के अनुसार गाड़ियों का ठहराव दिया गया है				

<table>
<tr><td></td><td></td><td>तथा अन्य गाड़ियों के ठहराव से परिचालन में बाधा आने की संभावना है। तथापि मामले की जॉच की जायेगी और तद्नुसार उचित निर्णय लिया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>5.7</td><td>काँटी और नरियर स्टेशन के बीच पिपरहा स्टेशन के पश्चिम की ओर सामने आर-पार सड़क है लेकिन पार पथ नहीं है इसकी मांग लोगों की है|</td><td>रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार नया समपार मानव सहित ही बनाया जाना है। प्रस्तावित स्थान पर समपार बनाने हेतु राज्य सरकार/जिला प्रशासन की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मानव सहित समपार बनाने का औचित्य यदि बनता है तो सम्पूर्ण लागत राशि राज्य सरकार को वहन करना होगा।</td></tr>
<tr><td>5.8</td><td>हाजीपुर से महनार, हाजीपुर से मुज़फ्फरपुर और मुज़फ्फरपुर से महवल स्टेशन तक रेल लाइनों का आर-पार जो पक्की सड़क गुजरती है गुमटी भी है लेकिन रेल प्रक्षेत्र की स्थिति बतर है| राज्य सड़क विभाग उस हिस्से को रेल के प्रक्षेत्र में सड़क के हिस्से पड़ते हैं उसे रेलवे ही करेगा कह कर छोड़ दिया है इसे सर्वेक्षण कराकर दुरुस्त कराया जाय|</td><td>रेल परिक्षेत्र में आने वाली सड़कों के मरम्मति का कार्य कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है और यथाशीघ्र इसे पूरा कर लिया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>5.9</td><td>हाजीपुर से सुगौली, छपरा से मुज़फ्फरपुर और मुज़फ्फरपुर से सीतामढ़ी नई रेल लाइन के निर्माण में जिन किसानों की जमीन ली गई उन्हें पर्याप्त मुआवजा के साथ उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी के लिए आवेदन माँगा गया है उसपर अभि कितने की जमीन ली गई,नौकरी हेतु कितने आवेदन पड़े, पर उस पर कितनों की रेलवे में नौकरी मिली की जानकारी दी जाय|</td><td>इस संबंध में वस्तु स्थिति इस प्रकार है:–
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>न्यू लाइन प्रोजेक्ट</th><th>कुल किसान की सं. जिसकी जमीन ली गई है।</th></tr>
<tr><td>1</td><td>हाजीपुर–सगौली</td><td>597</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मुज–सीता.+गाइड बांध</td><td>5827</td></tr>
<tr><td>3</td><td>छपरा–मुज.</td><td>610</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>7034</td></tr>
</table>
रेलवे बोर्ड के पत्र सं.ई(एनजी)11/2010/आरसी–5/1, दि.16.07.10 के द्वारा जोनल रेलवे को दि.16.07.2010 के बाद रेले द्वारा अधिगृहित भूमि से प्रभावित होने वाले किसान के बारे में</td></tr>
</table>

		प्रोसेस करने का अधिकार दिया गया है। उपरोक्त तीनो प्रोजेक्ट दि.16.07.2010 के पूर्व ही पूर्ण हो चुके हैं। अतः इन प्रभावित किसानों पर नियमानुसार नियुक्ति का दावा नहीं बनता है।	
5.10	हाजीपुर-मुज़फ्फरपुर रेल लाइन में एन.एच.77 को फॉर लेन करने में एन.एच. ए आई द्वारा हाजीपुर दिग्घी और एकारा गुमटी के पास रेल ओभर ब्रिज बनाने में बड़ी धीमीगति है	एन.एच. ए आई का कहना है कि रेलवे से पर्याप्त सहयोग नहीं है।	एनएचएआई को भूमि उपलब्ध करा दी गई है और उनके द्वारा कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है।
6.0	श्री कुमुद वर्मा, सदस्य, जेडआरयूसीसी		
6.1	दुर्गापूजा, दीपावली और छठ त्यौहारों पर होने वाली यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए जोन के विभिन्न स्थानों से पूर्व मध्य रेल द्वारा कई जोड़ी विशेष गाड़ियॉ चलायी जा रही है । यात्रियों को राहत पहुँचाने की बात तो दूर इन विशेष गाड़ियों के समय से चलने की बात तो दूर, पानी, बिजली व साफ–सफाई के अभाव में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ड्यूटी में तैनात रेलकर्मियों से शिकायत करने पर यात्रियों को यह बता देते हैं कि यह जिम्मेवारी उनकी नहीं किसी और की है । इस तरह यात्री दुविधा में पड़ जाते हैं । इन विशेष गाड़ियों में भोजन की व्यवस्था तो रहती ही नहीं है ।	नोट किया गया। इसकी समीक्षा की जायगी।	
6.2	यात्रियों या सामान्य लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि रेलवे द्वारा उन्हें इंटर एक्टिव वाइस सिस्टम (IVS) 139 पर विशेष गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी नहीं दी जाती है । इस तरह एकीकृत रेलवे इनक्वायरी सिस्टम के जरिए उचित सूचना नहीं मिलने पर लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । सामान्य यात्रियों के लिए 139 पर यह सुविधा प्रदान किए जाने की कोई योजना रेलवे द्वारा बनायी गयी है ?	विशेष गाड़ियों की फीडिंग भी सिस्टम में की जाती है और उसके आगमन सूचना की प्रस्थान 139 पर मिलती है।	

6.3	त्योहारों के समय टिकट बुक कराने के लिए पटना जंक्शन सहित प्रमुख पी.आर.एस. काउन्टरों पर त्यौहारों के समय यात्रियों की काफी भीड़ रहती है । लोगों की सुविधा के लिए पटना पी.आर.एस कार्यालय में पटना जंक्शन से आगमन एवं प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के नाम व संख्या लिखित बड़े आकार का प्रदर्शन पट्ट लगाया जाना चाहिए । यह सुविधा प्रत्येक पी.आर.एस. काउन्टर पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।	आकार बड़ा कर दिया जाएगा ।
6.4	नवनिर्मित पाटलिपुत्र स्टेशन को यातायात के लिए खोला जाना है । ऐसे में दानापुर स्टेशन को मंडल के इंटर फेस स्टेशन के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है । रेलवे द्वारा 24 बोगियों वाली मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियॉ चलायी जा रही है किन्तु दानापुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर कोच संकेत पट्ट की कोई व्यवस्था नहीं है । फलतः कोच की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए यात्रियों को खासकर महिलाओं को प्लेटफार्म पर सामान के साथ इधर–उधर दौड़ना पड़ता है ।	यह कार्य स्वीकृत होने के बाद किया जायेगा।
6.5	दानापुर स्टेशन (खगौल) के दक्षिण की तरफ बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं । टिकटों की खरीददारी के लिए उन्हें उत्तरी छोर स्थित पैदल ऊपरी (FOB) से गुजरना पड़ता है । वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक परेशानी होती है । क्या रेलवे खगौल के दक्षिणी छोर पर जहॉ रेलवे की जमीन उपलब्ध है, बुकिंग काउंटर खोलने के मसले पर विचार करेगी ।	प्रस्तावित किया जायेगा ।
6.6	आश्वासनों के बावजूद रेलवे द्वारा पटना जंक्शन पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है । क्रेडिट कार्ड के साथ यात्रा की चाहत रखने वाले यात्री व महिलाएं पटना जंक्शन पर इस सुविधा से लगातार वंचित हो रहे हैं । यह सुविधा जिसमें रेलवे को अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती, यात्रियों की	प्रक्रिया की जायेगी ।

	आश्यकताओं के मद्देनजर भारतीय रेल के सभी बड़े स्टेशनों पर उपलब्ध करायी गयी है ।	
6.7	ट्रैक पर खासकर कर्मचारीयुक्त और कर्मचारीरहित रेल समपार गेटों पर दुर्घटनाएँ बढ़ रही है । संरक्षा नियमों के तहत इन गेटों पर रेलवे द्वारा संरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जानी चाहिए । पूर्व मध्य रेल में कर्मचारीरहित गेटों की संख्या कितनी होगी तथा रेलवे उन्हें कर्मचारीयुक्त गेटों में बदलनना नहीं चाहती है ?	यह संरक्षा से जुरा मामला है जिसे रेलवे सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है। कुल कर्मचारी रहित गेटों की संख्या पूमरे रेल में 995 है । इसे कर्मचारी युक्त करने में कई मूल भूत बाधायें हैं।
6.8	पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्टेशनों से प्रस्थान करने वाली सभी मेल व एक्सप्रेस गाड़ियों में ऑन बोर्ड हाउस किपिंग सफाई की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए । वर्तमान में यह व्यवस्था कुछ ही गाड़ियों में लागू है, किन्तु सेवा संतोषजनक नहीं है। सीधे तौर पर इस सेवा का पर्यवेक्षण करने के लिए क्या रेलवे कोई मेकेनेनिज्म विकसित करेगी।	पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में विभिन्न मंडलों से प्रस्थान करने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में ऑन बोंड हाउस किपिंग की व्यवस्था क्रमशः सोनपुर मंडल में 06 जोड़ी गाडियों में, समस्तीपुर मंडल में 05 जोड़ी गाड़ियों में, दानापुर मंडल में 08 जोड़ी गाड़ियों में, एवं धनवाद मंडल में 02 जोड़ी गाड़ियों में, में ओबीएचएस द्वारा सफाई की व्यवस्था है एवं इस सेवा के संतोशजनक कार्य के लिए समय–समय पर पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इस सेवा को अन्य गाडियों में लागू करने एवं मैकेनेनिजम विकसित करने हेतू प्रयास किया जा रहा हैं।
6.9	बुकिंग कार्यालय तथा पीआरएस सहित कार्यालयों या लोक कार्य से जुड़े स्थलों से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए पूर्व मध्य रेल को चाहिए कि वह अपनी आन्तरिक सुरक्षा व सतर्कता कक्ष को सुदृढ बनाए।	स्टेशनों पर बुकिंग कार्यालय तथा पीआरएस सहित कार्यालयों की आन्तरिक सुरक्षा हेतू रेलवे सुरक्षा बल कर्मी को प्रतिदिन ड्यूटि लगाया जाता रहता है। सर्तकता विभाग द्वारा छापामारी किया जाता है।
6.10	पूर्व रेलमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों के लिए पटना–नई दिल्ली संपूर्ण क्रॉति एक्सप्रेस(12393) में बर्थ कोटे (एसी–2,एसी–3 और स्लीपर क्लास, प्रत्येक में दो–दो) का आवंटन किया था । दुर्भाग्यवश पूर्व मध्य रेल द्वारा दानापुर मंडल से यह कोटा समाप्त कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों की आवश्यकताओं के मद्देनजर क्या रेलवे दानापुर मंडल में इस कोटे को पुर्नबहाल करने के मसले पर विचार करेगी।	मामले की समीक्षा की जायेगी।
7.0	श्री डी. के. जैन, सदस्य, जेडआरयूसीसी	

7.1	गाड़ी संख्या 02397/02398 गया से दिल्ली के लिए 03 माह तक स्पेशल गाड़ी चलाने के लिए हम स्वागत करते हैं लेकिन इसमें कुछ सुधार करायें जैसे कि– गया से खुलने का समय राजधानी के तुरन्त बात ही रखें । इस गाड़ी का समय राजधानी के पीछे चलाते हुए आनंद विहार 12.00 बजे तक पहुँचा दे । यह ट्रेन एल.एच.वी कोच से चल रही है । इसका ठहराव भी राजधानी एक्सप्रेस के समान है अतः यह संभव भी है । इस तरह इसके परिचालन में 2 से 3 घंटे कम करने की आवश्यकता है ।	रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार किसी स्पेशल गाड़ी को लम्बे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। फिलहाल कुहासा के कारण इस गाड़ी का परिचालन बन्द कर दिया जाएगा । रेलवे बोर्ड से पुनः चलाने का आदेश प्राप्त होने पर आपके सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा।
7.2	गाड़ी संख्या 02397/02398 गाड़ी के लिए एक रेक और लगाकर प्रतिदिन करें इससे आने वाले कुंभ मेले के लिए भी मांग बढ़ेगी तथा इस गाड़ी का नामकरण कर स्थायी रूप से चलायें ।	नई गाड़ियों का गया से परिचालन प्रारम्भ करने में अतिरिक्त सुविधा का अभाव है । दूसरा वाशिंग पीट एवं अतिरिक्त स्टैवलिंग लाईन बनने के बाद किसी भी स्थायी गाड़ी का चलाने का प्रयास किया जाएगा।
7.3	गाड़ी संख्या 03685 के रूप में चल रही गाड़ी जो 12398–12390 के रेक से चलती है । वर्तमान घोषित अवधि के बाद इस रेक को गया–इटारसी या गया–न्यूजलपाईगुड़ी के रूट में सप्ताह में एक दिन चलायें ।	कुहासा अवधि समाप्त होने के बाद आपके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
7.4	वासिंग पीट के निर्माण में अनावश्यक देर हो रही है । यह वर्ष 2007–2008 का प्रोजेक्ट है परन्तु अभी तक कार्य बहुत धीमा चल रहा है । पिछले जेडआरयूसीसी के मिटिंग में मुझे बताया गया था कि हर हाल में इसे मार्च 2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा । परन्तु अब यह कब तक बनेगा और अब क्या संभावना है ?	वांसिंग पीट का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य मार्च 2013 तक पुरा कर लिया जायेगा।
7.5	गया में वासिंग पिट के चालू होने के उपरांत गया से मुम्बई, गया से बंगलुरू वाया कटक, गया से सिकंदराबाद वाया कटक, गया से सिलीगुड़ी, गया से रक्सौल एवं गया से हावड़ा के लिए नई गाड़ी चालू किया जाय ।	गया में दूसरा वाशिंग पीट एवं अतिरिक्त स्टैवलिंग लाईन बनने के बाद आपके प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करने हेतु रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा।
7.6	गाड़ी संख्या 12389/12390 गया–चेन्नई	इस गाड़ी के परिचालन के प्रारम्भ में ही इसे शाम

	एक्सप्रेस का समय परिवर्तन कर इसे शाम 17.00 बजे दिक्षाभूमि के समय पर चेन्नई के लिए गया से खोला जाये इससे दो रात्रि एवं 1 दिन का समय लगेगा और चेन्नई सुबह पहुँचा देगी । इसी तरह वापसी यात्रा में चेन्नई से शाम 17.00 बजे खोला जाय ।	के समय चलाने का प्रस्ताव रखा गया था परन्तु अन्य रेलवे में पाथ का अभाव रहने के कारण संभव नहीं हो सका ।
7.7	गाड़ी संख्या 12389/12390 गया–चेन्नई एक्सप्रेस में एक रेक और बढ़ाकर प्रतिदिन किया जाय अगर संभव नहीं हो तो कम से कम सप्ताह में तीन दिन अवश्य किया जाय ।	वर्तमान में गया में वाशिंग पीट एवं स्टेवलिंग लाईन का अभाव है जिसके कारण इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड नहीं भेजा जा सका है । उपलब्ध होने पर प्रस्ताव को रेलवे बोड जाएगा।
7.8	गया स्टेशन के मुख्य द्वार पर सड़क से सटे भूखंड पर पुराने मकान व भूखंड पड़े हैं तथा अनावश्यक रूप से ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण के लिए काफी भूखंड लीज पर दी गयी है । आवश्यकता है इसको खाली कराया जाय तथा इन स्थानों पर यात्री निवास, मार्केट कम्पलेक्स जैसे व्यवसायिक जोन तथा कार पार्किंग हेतु उपयोग में लाये जाये साथ ही पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को हरा भरा किया जाये । वर्तमान में सड़क खराब हालात में है तथा सड़क पर लाईट नहीं है । इस क्षेत्र में सोलर लाईट लगाकर सुन्दर बनाया जाय ।	वर्तमान में पर्यटन विभाग के सहयोग से गया स्टेशन का विकाश का कार्य स्वीकृत है। जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ है। इस योजना पर कार्य चल रहा है। विस्तृत प्राक्कलन तथा नक्शा तैयार कर कार्य कराया जायेगा। सड़क की मरम्मत करा ली गई है। गया स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने circulating area में 2 high mast tower light लगाये गये है तथा कार्यरत है । एक हाई मास्ट टावर लाईट पर 4x400 W की फिटिंग्स लगी है तथा दूसरे हाई मास्ट टावर लाईट पर 6x400 W की फिटिंग्स उपलब्ध है । यह दोनो हाई मास्ट का संचालन डी0जी0 सेट से भी होता है जिससे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आपूर्ति सप्लाई बाधित होने पर भी बपतबनसंजपदह तमं में प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध रहे ।
7.9	मैंने पूर्व में भी मॉग किया और इस मिटिंग में भी मॉग कर रहा हूँ कि गया स्टेशन से आने एवं जाने वाली गाड़ियों में गया के लिए प्रयाप्त कोटा उपलब्ध कराया जाय ।	नयी पी.आर.एस. प्रणाली के अन्तर्गत गया को मुगलसराय से जोडकर आरक्षण की सुविधा में विस्तार किया गया है। गया को पूर्व में कुल 470 बर्थ थे जोकि वर्तमान में बढकर 714 हो गये हैं। गाडी सं0 12308, 12312, 12324, 12322 तथा 12988 में गया तथा मुगलसराय को संयुक्त रुप से कोटा प्रदान किया हुआ है।
7.10	गया स्टेशन के उत्थान के लिए कुछ कार्य हो रहे और कुछ होना भी है जो बहुत धीमी गति से हो रहा है : (क) फुट ओवर ब्रीज बनाना । (ख) प्लेटफार्म संख्या 2 से लेकर 7 तक टायल्स लगाकर सौन्दर्यीकरण करना ।	क. फुट ओवर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है जो 31. 05. 13 तक पुरा हो जायेगा। ख. प्लेटफार्म सं0 2 से 6 तक टाईल्स लगाने का कार्य पुरा हो गया है। प्लेटफॉम सं0 7 का सरफेस भी मरम्मत कराया जा रहा है। ग. प्लेटफार्म सं0 8 एवं 9 पर शेड लगाने का कार्य स्वीकृत है एवं प्लेटफार्म विस्तार का कार्य

	(ग) प्लेटफार्म संख्या 7 से लेकर 9 तक में शेड लगाना ।	प्रगति पर है।
7.11	गया स्टेशन के रिर्जवेशन कार्यालय में कुछ सुधार की आवश्यकता है जैसे कि (क) चार्ट तैयार होने के बाद बुकिंग के लिए व्यवस्था करें जो वर्तमान समय में टी.टी. के माध्यम से बुक कराना पड़ता है जो सही नहीं है । (ख) खिड़की की संख्या बढ़ायी जाय और टोकन सिस्टम चालू करें ।	(क). वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत चार्ट फाईनल होने के बाद ट्रेनों के खुलने से कुछ धंटे पहले मैनुअल आरक्षण प्लेटफार्म सं0 1 पर स्थित BIC/TC कार्यालय से किये जाते हैं। गया एवं मुगलसराय स्टेशनों पर यह यवस्था की जा रही है कि चार्ट फाईनल होने के बाद भी कम्प्यूटर द्वारा *current reservation* दिया जा सके । इस संबंध में *PRS connectivity* एवं आवश्यक विद्युतिय उपकरणों की व्यवस्था हेतु मंडल के संबंधित विभागों को तथा *CCM/PM* पूर्व रेल, कोलकाता को *PRS port configuration* हेतु लिखा गया है। इसके लिए *Plan Head 53* के अन्तर्गत *DRM's LSG* 2011.12 में कार्य स्वीकृत किया गया है जिसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा। (ख). गया आरक्षण कार्यालय में प्रतिदिन सामान्यतः चार टिकट काउन्टरों को एवं एक पी. आर.एस.संबंधित पूछताछ काउन्टर को प्रति पाली चलाया जाता है। आवश्यकता के अनुरुप पी.आर. एस.संबंधित पूछताछ काउन्टर को टिकट काउन्टर के रुप में चलाये जाने का निर्देश दिया गया है। मु0आरक्षण पर्यवेक्षक/गया को स्वयं अतिरिक्त काउन्टर चलाने के लिये निर्देशित किया गया है एवं आवश्यकतानुसार चलाये भी जा रहे हैं। गया एवं मुगलसराय आरक्षण कार्यालयों में टोकन प्रणाली प्रायोगिक स्थिती में चालू किया गया था। यात्रियों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए टोकन प्रणाली पर पुनः विचार विमर्श किया गया है तथा इसे अस्थायी रुप से बंद किया गया है। यात्रियों से प्राप्त होने वाले सुझावों एवं Feedback के आधार पर इसकी व्यावहार्यता के आकलन के उपरान्त इसे पुनः चालू करने के बारे में विचार किया जाएगा।
7.12	गया इन्कवायरी में पूछताछ हेतु पी एंड टी टेलीफोन की व्यवस्था करें अभी कोई टेलीफोन उपलब्ध नहीं है ।	रेल संबंधी सभी जानकारियॉ कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के द्वारा दूरभाश सं. 139 के माध्यम से दी जा रही है एवं रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार अन्य दूरभाश का

		प्रावधान नहीं है।
7.13	गाड़ी संख्या 12385/12386 हावड़ा–धनबाद डबल डेकर वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ी का विस्तार गया तक किया जाय । एक रेक से ही सुविधा उपलब्ध हो सकती है । वर्तमान में यह गाड़ी खाली चल रही है । इसके विस्तार होने से पारसनाथ एवं कोडरमा के यात्री लाभन्वित होंगे ।	यह गाड़ी 12.45 बजे धनबाद आती है और धनबाद से 18.30 बजे खुलती है । इसका लाई ओवर 05. 45 है । उक्त अवधि में इस गाड़ी को गया नहीं बढ़ाया जा सकता है।
8.0	**श्री अनूप कुमार केडिया, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
8.1	धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से समान रूप से महत्वपूर्ण गया एवं वाराणसी के बीच सीधी रेल सेवा यदि समुचित रेल सेवा सुविधा प्रापत हो तो यह राज्य की रीढ़ बनकर उभर सकती है । गया और वाराणसी दोनों ही समान रूप से धार्मिक, पर्यटन एवं व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है । गया के लोग शिक्षा एवं चिकित्सा के उद्देश्य से भी बड़ी संख्या में गया से वाराणसी आते एवं जाते हैं । किन्तु गया–वाराणसी के बीच सीधी एवं समुचित रेल सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण काफी कठिनाई महसूस होती है ।	वाराणसी हेतु पर्याप्त मे0/ए0 ट्रेनें परिचालित हैं जो निम्नलिखित हैं:– ट्रेन सं0 गया में प्रस्थान समय परिचालन आवृत्ति 13307 01.00 प्रतिदिन 15109 04.35 प्रतिदिन 13009 05.00 प्रतिदिन 13151 21.15 प्रतिदिन 18103 04.10 द्विसाप्ताहिक 12875 03.15 त्रैसाप्ताहिक 12381 14.55 त्रैसाप्ताहिक 18609 03.15 साप्ताहिक 11046 17.00 साप्ताहिक 15021 07.05 साप्ताहिक इसके अतिरिक्त निम्न सवारी ट्रेन प्रतिदिन परिचालित है:– 53521 आसनसोल वाराणसी पैसेंजर । गया से वाराणसी के बीच कई सीधी सेवा उपलब्ध है। नई गाड़ियों के परिचालन के लिए दूसरा वाशिंग पीट एवं अतिरिक्त स्टेबलिंग लाईन बनने के बाद प्रस्ताव की जॉच की जाएगी।
8.2	गया–वाराणसी रेलखंड पर कई रेल गाड़ियॉ चलती हैं किन्तु समय–सारणी, दूरी की बाध्यता, भीड़ एवं अन्य कई कारणों से सामान्य जन के लिए उपयोगी नहीं है जैसा कि विवरण से स्पष्ट हो जायेगा : (क) हावड़ा–जोधपुर एक्सप्रेस एवं	उपरोक्त ट्रेनों में से सिर्फ निम्न ट्रेनों में दूरी की बाध्यता है:– 12381 : 160 किमी 2AC/3AC एवम् 480 किमी Sleeper. आपके उक्त क से च तक के सुझाव के संदर्भ में संबंधित रेलवे को पत्र लिखा जा रहा है। ताकि बोगी की कमी को दूर किया जा सके । इस

	हावड़ा–कालका मेल में दूरी की पाबंदी है तथा यह मुगलसराय तक ही जाती है एवं इसमें काफी भीड़ रहती है एवं सामान्य बोगी की कमी के कारण गया–मुगलसराय के बीच का यात्रा काफी दुष्कर होता है । (ख) गाड़ी संख्या 13009 अप हावड़ा–देहरादून एक्सप्रेस में भी सामान्य बोगी की कमी एवं काफी भीड़ होने के कारण आना–जाना काफी कष्टदायक होता है । पूर्व में भी ट्रेन की दो बोगियों में पहले हावड़ा से गया तक आरक्षण मिलता था जबकि दोनों बोगियॉ मुगलसराय तक जाती थी तथा गया से मुगलसराय तक आना–जाना सरल होता था किन्तु यह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई हैं एवं बिना आरक्षण के इन बोगियों में यात्रा करना निषिद्ध कर दिया गया है । (ग) गया–नई दिल्ली महाबोधी एक्सप्रेस में लम्बी दूरी के यात्रियों की भारी भीड़ रहती है तथा यह भी मुगलसराय तक ही जाती है । समय–सारणी भी असुविधाजनक है । (घ) गया–मुगलसराय पैसेंजर ट्रेन में डिब्बों की संख्या अपर्याप्त है तथा यह मुगलसराय तक ही जाती है एवं इसमें काफी भीड़ रहती है तथा काफी समय लगता है । (ड.) नीलांचल एक्सप्रेस/नई दिल्ली पुरी एक्सप्रेस भी रात्रिकालीन गाड़ियॉ है तथा सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए काफी दुष्कर है । (च) आसनसोल–वाराणसी पैसेंजर ट्रेन में काफी भीड़ हुआ करती है तथा लम्बी दूरी के यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है साथ ही इसकी समय–सारणी भी गया जंक्शन की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं है ।	समस्या का समाधान एक अतिरिक्त इंटरसिटी ट्रेन देकर किया जा सकता है। किंतु गया में अतिरिक्त वाशिंग पिट एवं स्टेवलिंग उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसा करना वर्तमान में संभव नहीं है। वाशिंग पिट एवं स्टेवलिंग लाईन के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अतिरिक्त पिट के समस्या के समाधान होने की संभावना है।
8.3	आज गया–बोधगया में आने वाले पर्यटक/तीर्थयात्रियों की संख्या देश के कई महत्वपूर्ण शहरों से अधिक हो चुकी है । देश–विदेश की कई वायुसेवा कम्पनियों ने	गया स्टेशन पर 05 जोडी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव प्रदत्त है जिनमें गया को उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा का विवरण निम्न प्रकार है:–

	यहाँ से वायुसेवा प्रारंभ कर दी है । किन्तु संभवतः रेलवे इसके महत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है । गया को उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों का कोटा आवश्यकता की तुलना में काफी कम है । गाड़ी संख्या 12301, 12313, 12421, 12443 राजधानी एक्सप्रेस, 12307 जोधपुर एक्सप्रेस, 12321 गया मुम्बई मेल एवं 12802 पुरूषोत्म एक्सप्रेस में गया से कोटा बढ़ाया जाय । गाड़ी संख्या 12308, 19308 एवं 12176 गया हावड़ा सेवा हेतु । गाड़ी संख्या 13009/13010 में पुराना कोटा गया जंक्शन से बहाल किया जाय ।	अप / डाउन ट्रेन सं0 1A 2A 3A ट्रेन सं0 1A 2A 3A 12301 2 12 18 12302 1 6 12 2313 1 8 16 12314 2 4 8 12811 1 4 12 12812 . 2 6 12823 2 4 10 12824 . 2 4 12439 . 8 14 12440 . 2 5 राजधानी एक्सप्रेस अति महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जिनमें मार्ग में पडने वाले सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कोटा प्रदान किया गया है। इन ट्रेनों में डब्बों की संख्या निर्धारित किया हुआ है अतः वर्तमान में इनमें वृद्धि की संभावना कम प्रतीत होती है। अन्य उल्लेखित ट्रेनों में गया को प्रदत्त सामान्य आरक्षण कोटा निम्नवत है:— ट्रेन सं0 1A 2A 3A SL 12307 . 02 04 27 12321 02 08 10 69 12802 . 02 04 10 इनमें आरक्षण कोटा वृद्धि के विषय पर विचार कर सकते हैं। हावड़ा हेतु ट्रेन सं0 2312 एवम् 2308 में कोटा प्रदत्त नहीं है तथा अप दिशा में चम्बल/शिप्रा समूह के ट्रेनों में (2175, 2177, 9306) तथा 13151 में कोटा प्रदत्त नहीं है। उपरोक्त के संबंध में सी.सी.एम./पी.एम./कोळकाता को इस कार्यालय के दिनांक 22.05.09 तथा दिनांक 23.6.2011 के पत्रों द्वारा अनुरोध किया गया है। गाड़ी सं0 13009/13010 में दो कोच सं0 S/9 एवं S/10 परिचालनिक बाध्यताओं के कारण मुगलसराय में जोड़े जाते हैं। ये दोनो कोच गया कोच हैं जो मुगलसराय एवं गया के बीच अनारक्षित रहते हैं तथा इनमें आरक्षण की सुविधा गया स्टेशन से हावड़ा स्टेशन तक तथा वापसी में गया तक उपलब्ध होती है। इस गाड़ी में पूर्व में SL श्रेणी में 127 बर्थ सामान्य कोटा के अन्तर्गत गया स्टेशन को उपलब्ध थे जो आज भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसमें एसी–3 श्रेणी में 02 बर्थ का अतिरिक्त कोटा भी उपलब्ध करा दिया गया है।

8.4	गया रेलवे स्टेशन का बाहरी परिसर काफी अस्तव्यस्त है । काफी जगह उपलब्ध होने के बावजूद इसे अभी तक व्यवस्थित करने की कोई ठोस योजना नहीं बन सकी है । यात्रियों की पार्किंग के लिए उपलब्ध जगह पर हर समय टैक्सियों की भीड़ लगी रहती है । अतः निजी वाहन टैक्सी, टेम्पो, दो पहिया वाहन रिक्शा तथा साईकिल आदि के लिए अगल–अलग जगह निर्धारित कर परिसर को सुंदर एवं व्यवस्थित बनाया जा सकता है ।	नोट किया गया एवं कार्रवाई की जा रही है।
8.5	जेडआरयूसीसी के सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब के स्तर में सुधार होना चाहिए ।	तथ्यात्मक उत्तर उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है । भविष्य में मुद्दों का जवाब तैयार करने में इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा ।
9.0	**श्री कौशलेन्द्र प्रताप, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
9.1	साधारण एवं आरक्षण काउंटरों पर लगने वाली भीड़ के कारण रेलवे के राजस्व को क्षति, यात्रियों को होने वाली असुविधा तथा इसके अन्य दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है । इस भीड़ को कम करने के लिए हमलोगों के द्वारा इसके निजीकरण की बात बार–बार की जाती है । किन्तु उन कारणों पर चर्चा नहीं हो पाती है जिनके कारण निजीकरण प्रभावी नहीं हो पा रहा है । निश्चित रूप से या तो रेलवे द्वारा इस हेतु रूचि नहीं ली जा रही है या फिर रेलवे का प्रस्ताव इतना आर्कषक नहीं है कि निजी क्षेत्र के लोग इसमें रूचि ले । अतः परामर्श होगा कि रेलवे इससे संबंधित अपनी नीतियों को उदार बनाये तथा इसमें रूचि रखने वाले लोगों की लागत एवं लाभ का समुचित विश्लेषण करते हुए इसे आर्थिक रूप से एक आर्कषक व्यवसाय का स्वरूप दिया जाय । गया शहर जैसे यात्रियों की संख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर में रेलवे द्वारा बार–बार विज्ञापन निकालने के बावजूद लोगों द्वारा इसमें रूचि नहीं दिखलाना योजना के स्वरूप पर पुर्नविचार की जरूरत बतलाता है । पटना जैसे महत्वपूर्ण राजधानी में भी ऐसे	विषय की समीक्षा की जा रही है।

	और भी काउंटरों को निजी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर खोलने की आवश्यकता है ।	
9.2	विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेल के उच्चाधिकारी निरीक्षण एवं वहॉ की आवश्यकताओं के आकलन के लिए आते रहते हैं उनके वैसे दौरे जो यात्री सुविधाओं से संबंधित होने के दौरान यदि वहॉ उपलब्ध विभिन्न स्तर के परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाय तथा उनसे विचार विमर्श किया जाये तो यह एक उपयोगी परंपरा होगी ।	प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है । रेलवे अधिकारियों द्वारा स्टेशनों का निरीक्षण तकनीकि दृष्टीकोण से किया जाता है तथा वहॉ पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं के उपकरण के रख रखावों से संबंधित होता है । यदि किसी स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाओं के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है तो इसके लिए अवश्य बुलाया जायेगा ।
9.3	जेडआरयूसीसी के सदस्यों द्वारा रेलवे के विभिन्न पदाधिकारियों को प्रेषित पत्रों का जवाब भी उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ।	इसे सुनिश्चित किया जायगा।
9.4	गया से बंगलुरू के लिए प्रस्तावित ट्रेन की सहमति प्राप्त हो चुकी है किन्तु समय–सारणी का निर्धारण नहीं हो पाया है इसे भी जल्द प्रारंभ करने की जरूरत है ।	गया से बंगलूरू के बीच स्पेशल गाड़ी चलाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, परन्तु संबंधित रेलवे से रेल सुरक्षा आयुक्त की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। सहमति प्राप्त होने पर परिचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
9.5	गया से दिल्ली के लिए 02397/02398 ट्रेन अस्थायी रूप से चल रही है इसे नियमित किया जाय ।	इस गाड़ी को प्रायोगिक तौर पर चलाया गया था। कुहासा के कारण दिसम्बर के बाद इस गाड़ी का परिचालन बन्द कर दिया जाएगा । इस गाड़ी को स्थायी करने के लिए गया में दूसरा वाशिंग पीट एवं अतिरिक्त स्टेवलिंग लाईन बनने के बाद प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा ।
9.6	गाड़ी संख्या 12249/12250 हावड़ा–दिल्ली युवा एक्सप्रेस का गया स्टेशन पर ठहराव दिया जाय ।	प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होना है ।
9.7	गाड़ी संख्या 12323/12230 सियालदह–दिल्ली बंगाल संपर्क क्रांति एवं 12379/12380 सियालदह–अमृतसर बंगाल संपर्क क्रांति का गया स्टेशन पर ठहराव दिया जाय ।	प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होना है ।
9.8	सासाराम से आनंद विहार के लिए शुरू की गई ट्रेन का मेन्टेनेन्स कार्य गया स्टेशन में आकर होता है । अतः इस ट्रेन को गया से ही प्रारंभ कर तथा इसकी बारम्बारता बढ़ाकर	सासाराम में पिट लाइन नहीं होने के कारण सासाराम से आनन्द विहार जाने वाली गाड़ी का मेन्टेनेन्स कार्य गया कोचिंग डिपो में होता है। उक्त गाड़ी को गया से प्रारंभ करना एवं बारम्बारता को बढ़ाने का अधिकार रेलवे बोर्ड को

	गया–दिल्ली के बीच यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सकता है ।	है। इस प्रस्ताव को पिछले वर्ष अंतर रेलवे समय–सारणी सम्मेलन में धनबाद तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा गया है। परंतु रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। पुनः इसकी चर्चा बोर्ड स्तर पर की जाएगी।
10.0	**डॉ0 संजीव कुमार अग्रवाल, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
10.1	बेगूसराय स्टेशन पर लाईन दोहरीकरण के पश्चात् अप और डाउन गाड़ियॉ अलग–अलग प्लेटफार्म पर आती हैं। प्लेटफार्म संख्या 02 का सीढ़ी कहीं–कहीं छोटा है व कहीं पर ज्यादा ऊँचा है जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है इसे ठीक करवाया जाय ।	कार्य स्वीकृत है। एजेंसी निर्धारण हेतु एक बार इसके निविदा का आमंत्रण किया गया, परंतु निर्धारित नहीं किया जा सका। दूसरी बार निर्धारित एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण इसे भी निरस्त कर दिया गया। कार्य सम्पादन हेतु पुर्न निविदा आंमत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
10.2	बेगूसराय स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 एवं 2 का विस्तारीकरण 24 कोच के अनुरूप किया जाय तथा शेड की व्यवस्था की जाय ।	वेगुसराय स्टेशन के प्लेटफॉर्म सं0 01 का कार्य प्रगति पर है। जिसे दिनांक 28.02.13 तक पुरा कर लिया जायेगा। प्लेटफार्म सं0 02 की लं0 24 कोच का है। मानक के अनुसार निर्दिष्ट आकार का प्लेटफार्म शेड उपलब्ध है।
10.3	बेगूसराय रेक प्वाइंट को किसी अन्य छोटे स्टेशन जैसे लाखो मे किया जाय जिससे प्लेटफार्म संख्या 3 चालू हो सके ।	इस संबंध में सोनपुर मंडल से टिप्पणी मॉगी जा रही है।
10.4	बेगूसराय को मॉडल स्टेशन बनाया जाय एवं जरूरी सुविधायें उपलब्ध करायी जाय ।	बेगूसराय मॉडल स्टेशन ही है नॉर्म्स के अनुसार सभी यात्री सुविधा उपलब्ध है।
10.5	बेगूसराय स्टेशन के बाहर साईकिल, मोटरसाईकिल पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाय एवं पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली रोकी जाय ।	नोट किया गया। कार्रवाई की जा रही है।
10.6	अक्सर रात्रि के समय बेगूसराय स्टेशन पर बिजली गुल होने पर जेनरेटर का इस्तेमाल उसी दौरान किया जाता है जब किसी लम्बी दूरी के ट्रेन की आगमन की सूचना होता है और उस ट्रेन के जाते ही जेनरेटर को बंद कर दिया जाता है जिसके कारण पूरा प्लेटफार्म अंधकारमय हो जाता है और यात्रियों को काफी परेशानी होती है इसलिए जेनरेटर की व्यवस्था पूरी रात चलाने के लिए किया जाय ।	बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर तीन डी0 जी0 सेट (30 के0 वी0ए0, 21.5 के0 वी0 ए0, एवं 10 के0 वी0 ए0) उपलब्ध है जिसके द्वारा रेलवे स्टेशन पर आपातकालिन प्रकाश की व्यवस्था की जाती है । 11 के0वी0 पर उपलब्ध बेगूसराय रेलवे स्टेशन की बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत की आपूर्ति अनियमित है। डी0जी0 सेट से संचालित आपतकालीन लाईट बेगूसराय स्टेशन पर उपलब्ध करायी जाती है ।

10.7	बेगूसराय स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन की घोषणा माननीय रेलमंत्री ने किया है । एक मॉडल स्टेशन को क्या–क्या जरूरत मोहैया रेल मंत्रालय द्वारा कराया जाना चाहिए और यात्रियों को इससे क्या–क्या फायदा होगा इसकी जानकारी एक सूचना पट्ट द्वारा रेलवे स्टेशन पर लगवा दिया जाय ।	नोट किया गया।
10.8	बेगूसराय मुख्यालय है एवं औधोगिक क्षेत्र है । इसलिए बेगूसराय स्टेशन पर वातानुकूलित वी.आई.पी वेटिंग रूम आवश्यक है ।	नोट किया गया।
10.9	बेगूसराय स्टेशन अधिकतम रेल राजस्व देने वाला स्टेशन है फिर यहॉ पर 02 कम्प्यूटराईज्ड आरक्षण खिड़की उपलब्ध कराई गयी है इसलिए मेरा मॉग है कि उपलब्ध कम्प्ययूटराईज्ड आरक्षण खिड़की के अतिरिक्त 03 नये कम्प्यूटराईज्ड आरक्षण खिड़की चालू किया जाय ।	बेगुसराय स्टेशन पर आरक्षित यात्री संख्या में के अनुसार 2 टिकट कांउटर का प्रावधान किया गया है । नये पी.आर.एस. भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है । कार्य पूरा होने एवं यात्री संख्या में वृद्धि होने पर नियमानुसार अतिरिक्त आरक्षित टिकट काउंटर खोलने पर विचार किया जायेगा ।
10.10	बरौनी बाईपास स्टेशन बन जाने के बाद क्षेत्र में सुविधा बढने के बजाय यात्रियों के लिए और कठिनाईयॉ बढ़ गई । लम्बी दूरी की गाड़ियॉ देर रात बाईपास स्टेशन पर पहुँचती है जहॉ से गाड़ी पकड़ना एवं उतरना बहुत की कठिनाई पैदा करता है । अतः सभी लम्बी दूरी की गाड़ियॉ जो बाईपास से गुजरती है उसका ठहराव बेगूसराय स्टेशन पर अवश्य होना चाहिए ।	बेगूसराय में अधिकतर गाड़ियों का ठहराव है। कुछ गाड़ियों का ठहराव नहीं है। उन गाड़ियों के ठहराव के लिए वाणिज्यिक औचित्य के साथ प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। रेलवे बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं हुई है।
10.11	बेगूसराय स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15635/15636 गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस, 15715/15716 गरीबनवाज एक्सप्रेस, 15631/15632 बीकानेर–गुवाहाटी एक्सप्रेस, 15227/15228 मुजफ्फरपुर–यशवंतपुर एक्सप्रेस एवं 12501/12502 का ठहराव दिया जाय ।	वाणिज्यिक औचित्य के साथ प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। रेलवे बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं हुई है।
10.12	हाथीदह स्टेशन पर गाड़ी संख्या 22405/22406 भागलपुर–आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस एवं 12359/12360 पटना–कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस का	आपके प्रस्ताव की जॉच की जा रही है। तदनुसार इसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा।

	ठहराव दिया जाय ।	
10.13	गाड़ी संख्या 12569/12570 आनंद विहार–जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन की बजाय प्रतिदिन चलाया जाय ।	इस गाड़ी को 04 दिन चलाने का प्रस्ताव अंतर रेलवे समय–सारणी सम्मेलन में रखा गया था, परंतु गरीब रथ का रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था।
10.14	गाड़ी संख्या 15227/15228 मुजफ्फरपुर–यशवंतपुर सप्ताह में कम से कम 04 दिन चलाई जाय ।	इस गाड़ी को द्विसाप्ताहिक करने हेतु अंतर रेलवे समय सारणी सम्मेलन में रखा गया था, परंतु दूसरे रेलवे ने पाथ का अभाव होने के कारण बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
10.15	गाड़ी संख्या 13155/13156 एवं 13157/13158 तिरहुत एक्सप्रेस गाड़ियों को प्रतिदिन चलाया जाय ।	इस गाड़ी के पाथ पर अन्य गाड़ियॉ 07दिन चलती है। फिर भी एक नई गाड़ी वैरगनियॉ–रक्सौल आमान परिवर्तन के पश्चात् हावड़ा–रक्सौल के बीच इसी रूट पर द्विसाप्ताहिक गाड़ी चलाई जाएगी। एक नई गाड़ी 13135/13136 कोलकाता – जयनगर साप्ताहिक गाड़ी भी चलाई जा चुकी है।
10.16	गाड़ी संख्या 18420/18421 दरभंगा–पुरी एक्सप्रेस को सप्ताह में 03 दिन चलाया जाय ।	इस पाथ पर पटना–पूरी एवं अन्य गाड़ियॉ चलाई जा रही है। फिर भी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
10.17	गाड़ी संख्या 12203/12204 सहरसा–अमृतसर गरीब रथ को प्रतिदिन एवं सप्ताह में चार दिन भाया पटना चलाया जाय ।	यह गरीब रथ रेक है एवं उत्तर रेलवे की स्वामित्व की गाड़ी है। गरीब रथ रैक का निर्माण नहीं किया जा रहा है। फिर भी आपके प्रस्ताव को उत्तर रेलवे भेजा जा रहा है।
10.18	गाड़ी संख्या 12423/12424 राजधानी एक्सप्रेस में बरौनी जंक्शन से कम से कम 25 बर्थ का आरक्षण कोटा तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में होना चाहिए ।	कार्रवाई हेतु नोट किया गया।
10.19	गाड़ी संख्या 12569/12570 गरीब रथ एक्सप्रेस में बरौनी जंक्शन के लिए 72 सीटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय ।	पीआरएस नेटवर्क का लाभ उठा कर बरौनी स्टेशन से यात्रा करने के इच्छुक यात्री भी आरक्षित बर्थ करा सकते हैं।
10.20	गाड़ी संख्या 15635/15636 ओखा–गुवाहाटी एक्सप्रेस एवं 15631/15632 बीकानेर–गुवाहाटी एक्सप्रेस में बेगूसराय/बरौनी का कोटा दिया जाय ।	पीआरएस नेटवर्क का लाभ उठा कर बरौनी / बेगुसराय स्टेशन से यात्रा करने के इच्छुक यात्री भी आरक्षित बर्थ करा सकते हैं।
10.21	गाड़ी संख्या 15609/15610 अवध असम एक्सप्रेस में बेगूसराय का अतिरिक्त कोटा	पीआरएस नेटवर्क का लाभ उठा कर बेगुसराय स्टेशन से यात्रा करने के इच्छुक यात्री भी आरक्षित

	दिया जाय ।	बर्थ करा सकते हैं।
10.22	गाड़ी संख्या 15645/15646 गुवाहाटी–दादर एक्सप्रेस में बेगूसराय स्टेशन का आरक्षण कोटा दिया जाय ।	पीआरएस नेटवर्क का लाभ उठा कर बेगुसराय स्टेशन से यात्रा करने के इच्छुक यात्री भी आरक्षित बर्थ करा सकते हैं।
10.23	बरौनी बेगूसराय औधोगिक नगरी से मुम्बई के लिए कोई गाड़ी नहीं है । यदि 13201–13202 राजेन्द्रनगर–लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस का विस्तार बरौनी तक कर दिया जाय तो सुविधा होगी ।	इस गाड़ी का प्रारंभिक अनुरक्षण राजेन्द्रनगर टर्मिनल में किया जाता है। इस गाड़ी को बरौनी तक विस्तारित करने के लिए पर्याप्त लाई ओवर उपलब्ध नहीं है।
10.24	गाड़ी संख्या 15159/15160 छपरा–दुर्ग एक्सप्रेस एवं 12669/12670 छपरा–चेन्नई गंगा कावेरी एक्सप्रेस को बरौनी से चलाया जाय ।	आपके प्रस्ताव को संबंधित रेलवे को भेजा जा रहा है।
10.25	गाड़ी संख्या 14523/14524 सोनपुर–अम्बाला हरिहरनाथ एक्सप्रेस का विस्तार बरौनी तक किया जाय ।	इस गाड़ी का विस्तारीकरण मुज्जफरपुर तक कर दिया गया है। अब बरौनी तक विस्तारित करने के लिए पर्याप्त लाईओवर अवधि उपलब्ध नहीं है।
10.26	गाड़ी संख्या 55243 बरौनी–सोनपुर पैंसेजर का विस्तार मानसी तक किया जाय ।	आपके प्रस्ताव की जॉच की रही है।
10.27	गाड़ी संख्या 12149/12150 पटना–पुणे एक्सप्रेस को बरौनी तक विस्तार किया जाय ।	इस गाड़ी का यूटीलाईजेशन 125 प्रतिशत से अधिक है। अतः इस गाड़ी का विस्तारीकरण उचित प्रतीत नहीं होता है।
10.28	गाड़ी संख्या 8182ए कटिहार–टाटा लिंक एक्सप्रेस को लिंक की बजाय पूर्ण ट्रेन के रूप में चलाई जाय ।	18182 ए का यूटीलाईजेशन मात्र 77% है। अतः पूरी गाड़ी का परिचालन उचित प्रतीत नहीं होता है।
10.29	सहरसा से हावड़ा/कोलकाता भाया बेगूसराय किउल के लिए एक नई गाड़ी दिया जाय ।	बरौनी–रामपुर डुमरा के बीच खंडीय क्षमता 160 प्रतिशत से अधिक है। अतः इस खंड नई गाड़ी का परिचालन फिलहाल संभव नहीं है।
10.30	सहरसा से मुम्बई सुपरफास्ट भाया बेगूसराय पटना के लिए एक नई गाड़ी दी जाय ।	बरौनी–रामपुर डुमरा के बीच खंडीय क्षमता 160 प्रतिशत से अधिक है। अतः इस खंड नई गाड़ी का परिचालन फिलहाल संभव नहीं है।
10.31	मधेपुरा–सहरसा से बंगलुरू भाया बेगूसराय–किउल–झाझा के लिए एक नई गाड़ी दिया जाय ।	सहरसा में वॉशिंग पिट तो बन गया है। परंतु सिक लाईन, स्टेवलिंग लाईन एवं प्लेटफार्म लाईन का अभाव है। साथ–साथ ही बरौनी–रामपुर डुमरा के बीच खंडीय क्षमता 160 प्रतिशत से अधिक है। अतः नई गाड़ी का परिचालन फिलहाल संभव नहीं है।
10.32	जोगबनी से रॉची भाया बेगूसराय–किउल–झाझा के लिए एक नई ट्रेन दिया जाय ।	जोगबनी स्टेशन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के स्वामित्व का स्टेशन है। आपके प्रस्ताव को संबंधित रेलवे को भेजा जा रहा है।

10.33	सहरसा'–दिल्ली भाया पटना एक नई ट्रेन दिया जाय ।	सहरसा में वॉशिंग पिट तो बन गया है। परंतु सिक लाईन, स्टेवलिंग लाईन एवं प्लेटफार्म लाईन का अभाव है। साथ–साथ ही बरौनी–रामपुर डुमरा के बीच खंडीय क्षमता 160 प्रतिशत से अधिक है। अतः नई गाड़ी का परिचालन फिलहाल संभव नहीं है।
10.34	सहरसा–जम्मूतवी भाया (बेगूसराय, शाहपुर पटोरी, वाराणसी, सुल्तानपुर–लखनऊ) के लिए एक नई ट्रेन दिया जाय ।	सहरसा में वॉशिंग पिट तो बन गया है। परंतु सिक लाईन, स्टेवलिंग लाईन एवं प्लेटफार्म लाईन का अभाव है। साथ–साथ ही बरौनी–रामपुर डुमरा के बीच खंडीय क्षमता 160 प्रतिशत से अधिक है। अतः नई गाड़ी का परिचालन फिलहाल संभव नहीं है।
10.35	जोगबनी–इलाहाबाद के लिए एक नई ट्रेन दिया जाय ।	जोगबनी स्टेशन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के स्वामित्व का स्टेशन है। आपके प्रस्ताव को संबंधित रेलवे को भेजा जा रहा है।
10.36	उत्तर बिहार के यात्रियों के भावनाओं एवं हरिद्धार एवं सिमरिया के धार्मिक महत्वपूर्ण को देखते हुए बरौनी जंक्शन से देहरादून वाया हरिद्धार होते हुए एक नई गाड़ी चलाया जाय ताकि महत्वूपर्ण कुंभ मेला के स्थलों को पहुँचा जा सके । प्रयोग के तौर पर पहले सप्ताह 02 दिन चलाया जाय बाद में इसे नियमित करते हुए समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर–हाजीपुर –सोनुपर होते हुए चलाया जाय ।	नई गाडी के परिचालन का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है। तथापि कुंभ मेला के लिए विशेष ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है।
10.37	उपयोगिता को देखते हुए पटना–हावड़ा जनशताब्दी की तर्ज पर मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए उसी तरह की जनशताब्दी चलायी जाय ।	बरौनी–रामपुर डुमरा के बीच खंडीय क्षमता 160 प्रतिशत से अधिक है। अतः इस खंड नई गाड़ी का परिचालन फिलहाल संभव नहीं है।
10.38	बेगूसराय को बिहार का औधोगिक शहर मानते हुए इसे पटना से लिंक किया जाय । बेगूसराय से पटना के मध्य एक इंटरसिटी ट्रेन चलायी जाय जो बेगूसराय से पटना के बीच प्रत्येक दिन 02–02 बार प्रस्थान एवं आगमन करे ।	बेगूसराय एक रोड साईड स्टेशन है। यहाँ से नई गाड़ी के परिचालन के लिए मूलभूत सुविधा का अभाव है। बेगूसराय से पटना के लिए कई गाड़ियाँ वर्तमान में चल रही है।
10.39	रक्सौल स्टेशन से उदयपुर के बीच एक नई ट्रेन चलायी जाय जो मुजफ्फरपुर–समस्तीपुर –बरौनी–पटना–जयपुर होते हुए उदयपुर जाय जो हिमालयन क्षेत्र को पटना, जयपुर होते हुए उदयपुर को जोड़ सके ।	आपके प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजा जा रहा है।
10.40	गुवाहाटी से नई दिल्ली जाने वाले डुप्लीकेट	वर्तमान में गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए कोई

	राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन मुख्य राजधानी एक्सप्रेस से या तो 02 घंटा पहले या 02 घंटा बाद चलायी जाय ताकि भीड़ कम हो सके लेकिन इस ट्रेन का पटना जंक्शन में औड समय न हो ।	डुप्लीकेट राजधनी नहीं चल रही है।
10.41	बरौनी–कटिहार खंड एवं बरौनी–गोरखपुर खंड का दोहरीकरण एवं विधुतीकरण पूर्णता की ओर अग्रसर है । मेन लाईन एवं उत्तर बिहार को जोड़ने वाले राजेन्द्रपुल इकहरी लाईन है । इसलिए राजेन्द्रपुल का दोहरीकरण किया जाय ।	यह कार्य स्वीकृत नहीं है ।
10.42	बेगूसराय–हसनपुर–सकरी वाया मंझौल नई रेल लाईन बिछाया जाय ।	यह कार्य स्वीकृत नहीं है ।
11.0	**श्री राजीव शर्मा, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
11.1	धनबाद से चलने वाली गाड़ी संख्या 13351 एलेप्पी एक्सप्रेस जिसमें बड़ी संख्या में लोग दक्षिण भारत चेन्नई एवं वेल्लोर इत्यादि क्षेत्रों में ईलाज के लिए जाते हैं । यह ट्रेन अभी धनबाद से 11–12 डिब्बों की जाती है और इसमें सालों भर लगभग 400 से अधिक प्रतीक्षा सूची रहती है । इसे सम्पूर्ण ट्रेन यानी 24 डिब्बों की ट्रेन के तौर पर चलाया जाय एवं इसमें धनबाद मंडल का आपातकालीन कोटा तत्काल बढ़ाया जाय ।	यह गाड़ी 18189/18190 के साथ संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। धनबाद–ऐलेप्पी को 24 कोच से चलाने के लिए पिछले कई वर्षों से यह रेलवे अंतर रेलवे समय–सारणी सम्मेलन में प्रयासरत् है। लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा सहमति प्राप्त नहीं हो रही है। पुनः इस वर्ष भी प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड अग्रसारित किया जा रहा है।
11.2	धनबाद से नई दिल्ली, धनबाद से मुम्बई वाया रायपुर, धनबाद से सूरत, धनबाद से बंगलुरू की ट्रेनों की नितांत आवश्यकता है इस पर अविलम्ब विचार किया जाय । धनबाद से गुजरने वाली कोलकाता–अजमेर एक्सप्रेस को अहमदाबाद तक विस्तार किया जाय, रॉची–यशवंतपुर एक्सप्रेस को धनबाद तक एवं धनबाद–पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस को बक्सर तक विस्तार किया जाय जिससे यात्री सुविधाओं में वृद्धि के साथ रेल की आय में भी वृद्धि होगी ।	अंतर रेलवे समय–सारणी सम्मेलन में इस प्रस्ताव को रखा गया था। परंतु इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड से सहमति नहीं मिली है। पुनः यह प्रस्तावित है।
11.3	धनबाद में वर्षों से चली आ रही मॉग धनबाद स्टेशन के दक्षिणी क्षोर पर उत्तरी क्षोर की तरह सुविधाएँ विकसित करने के लिए पहल	धनबाद स्टेशन के दक्षिणी छोड़ पर स्टेशन भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

	होने के बावजूद विगत एक वर्षों से कार्य बंद है । धनबाद स्टेशन के दक्षिणी क्षोर के विकसित होने से रेलवे की आय में भरपूर इजाफा होगा । इस कार्य के लिए तत्काल फंड मुहैया कराकर कार्य शुरू करवाया जाय ।	
11.4	रॉची–जयनगर एक्सप्रेस को प्रतिदिन किया जाय एवं धनबाद–पटना एक्सप्रेस के लिए अलग से रेक की व्यवस्था की जाय ।	गाड़ी संख्या 18605/18606 की उपयोगिता क्रमशः 76 प्रतिशत एवं 66.47 प्रतिशत है । अतः फेरा बढ़ाना उचित नहीं होता है। अलग रेक की मांग रेलवे बोर्ड से की गई है। आपूर्ति होने पर अलग कर दिया जाएगा।
11.5	धनबाद के आसपास स्थित उपनगरीय स्टेशनों में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिनमें भूली, तेतुलमारी, मतारी इत्यादि स्टेशन । भूली को एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी का गौरव प्राप्त है, परन्तु रेल सुविधाये नगण्य हैं ।	इन सभी स्टेशनों पर मानक के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध है।
11.6	धनबाद से पूरे भारत वर्ष को कोयले की आपूर्ति की जाती है एवं जगह–जगह कोयला साइडिंग रेलवे एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा संचालित है । इस क्षेत्र में निजी उधमियों को प्रवेश देने से रेलवे की आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी । इसमें पी.पी. पी. मोड़ में कोयला साइडिंग की शुरूआत की जाय ।	यह नितिगत मामला है। विचार के लिए नोट किया गया।
11.7	स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में काफी स्थान निजी निवेशकों/स्थानीय संस्थाओं को उपलब्ध कराकर दुकान आवंटन कर रेल के बचे हुए स्थान से एक बड़ी आय का साधन बनाया जा सकता है । उदाहरणार्थ धनबाद स्टेशन के दक्षिणी किनारे पर बेशकीमती जमीन उपलब्ध है जिसके व्यावसायिक उपयोग से रेलवे को काफी आय हो सकती है ।	वर्तमान नियमानुसार अस्थाई लाईसेंस नहीं दिया जा सकता है।
11.8	कतरासगढ़ स्टेशन पर गाड़ी संख्या 18627/18628 रॉची–हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस, 13425/13426 सूरत–मालदा टाउन एक्सप्रेस, 17005/17006 हैदराबाद–दरभंगा	ठहराव का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है। कतरासगढ़ में एक ही प्लेटफार्म है। तथापि प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजा जा रहा है।

	एक्सप्रेस एवं 12381/12382 भुवनेश्वर गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाय जिससे यात्री सुविधा के साथ–साथ रेल के आय में भी वृद्धि होगी ।	
11.9	धनबाद के सिंदरी में सेल द्वारा आधुनिक तकनीक से स्टील प्लांट, पॉवर प्लांट एवं खाद बनाने का प्रस्ताव है । सिंदरी स्टेशन में यात्री सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही साथ धनबाद पैसेंजर ट्रेन के फेरों को बढ़ाने की आवश्यकता है । इस ट्रेन का कम से कम एक फेरा रात्रि में चलाया जाय ।	धनबाद एवं सिन्दरी के बीच मेमू रेक चलाने की मांग रेलवे बोर्ड से की गई है । रेक के आपूर्ति होने पर फेरा बढ़ाने हेतु विचार किया जाएगा।
11.10	धनबाद जिले की आबादी लगभग 30 लाख है और धनबाद नगर निगम की आबादी 12 लाख है और धनबाद से गुजरने वाली ट्रेनों का सामान्य एवं आपातकालीन कोटा को बढ़ाने की आवश्यकता है । गाड़ी संख्या 12311 में एक तृतीय श्रेणी वातानुकूलित, 12321, 12307 में एक–एक द्वितीय, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित एवं स्लीपर श्रेणी एवं 13351 में द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित एवं स्लीपर श्रेणी में धनबाद के आबादी के अनुरूप अत्यावश्यक कोटा बढ़ाया जाय । धनबाद स्टेशन एवं सम्पूर्ण जिले की स्थिति को देखते हुए सभी ट्रेनों में सामान्य कोटा आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाय ।	प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है।
12.0	**श्री मोतीलाल छापड़िया, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
12.1	मुजफ्फरपुर से हजारों श्रमिक एवं व्यवसायिक रोजी–रोटी और व्यापार के लिए निरंतर छत्रपतिशिवाजी टर्मिनल एवं मीरज तक जाते हैं एवं उन्हें यात्रा करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसलिए गाड़ी संख्या 11033/11034 दरभंगा–पूणे एक्सप्रेस का पथ विस्तार छत्रपतिशिवाजी टर्मिनल अथवा मीरज तक किया जाए ताकि इसका परिचालन जो सप्ताह में मात्र एक दिन है उसे बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिया जाय साथ ही इसमें एक ए.सी. कोच भी बढ़ाया जाय ।	11033/11034 मध्य रेलवे की गाड़ी है । इस संबंध में मध्य रेलवे से पत्राचार किया जा रहा है।
12.2	गाड़ी संख्या 15108 मथुरा–छपरा एक्सप्रेस	उत्तर मध्य रेलवे/पूर्वोत्तर रेलवे से इस संबंध में

	का पथ विस्तार मुजफ्फरपुर तक किया जाना चाहिए ।	पत्राचार किया जा रहा है।
12.3	गाड़ी संख्या 15227/15228 मुजफ्फरपुर–यशवंतपुर एक्सप्रेस का फेरों में वृद्धि कर सप्ताह में इसका परिचालन तीन दिन किया जाना चाहिए ।	पूर्व में आईआरटीटीसी में इस संबंध में चर्चा की गई, लेकिन अन्य रेलवे में पाथ की कमी की वजह से रेलवे बोर्ड से स्वीकृत नहीं किया गया।
12.4	गाड़ी संख्या 14863/14865 मरूधर एक्सप्रेस का पथ विस्तार मुजफ्फरपुर तक किया जाना चाहिए क्योंकि इस गाड़ी का परिचालन होने से जोधपुर, जैसलमेर तक की यात्रा तथा बलोतरा, पाली जाने वालों को सुविधा एवं रेल राजस्व की भी वृद्धि होगी ।	यह पूर्वोत्तर रेलवे की स्वामित्व की गाड़ी है। इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है।
12.5	मुजफ्फरपुर से मुम्बई के लिए सीधी द्रुतगामी रेल सेवा का परिचालन किया जाना चाहिए ।	मुजफ्फरपुर से मुम्बई हेतु कई गाड़ियॉ परिचालित हो रही है। मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त गाड़ियों की अनुरक्षण की सुविधा नहीं है।
12.6	गोरखपुर से हावड़ा के लिए भाया मुजफ्फरपुर एक अति द्रुतगामी दुरोन्तो एक्सप्रेस का परिचालन किया जाना चाहिए ।	इसके लिए पूर्वोत्तर एवं पूर्व रेलवे को पत्र लिखा जा रहा है ।
12.7	गाड़ी संख्या 11066 पवन एक्सप्रेस में 03 ए. सी. कोच की संख्या बढ़ायी जाए क्योंकि इसमें प्रतीक्षा सूची पूरे वर्ष काफी लम्बी रहती है ।	11066 पवन एक्सप्रेस मध्य रेल की गाड़ी है । इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है।
12.8	गाड़ी संख्या 12149/12150 जो पटना से चलकर पूणे तक जाती है इसका पथ विस्तार छत्रपति साहू महराज टर्मिनल तक किया जाय ।	12149/12150 मध्य रेल की गाड़ी है। इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है।
12.9	मुजफ्फरपुर–हाजीपुर रेल खंड का दोहरीकरण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए क्योंकि इस रेल खंड पर गाड़ियों की संख्या अधिक है ।	वर्तमान में यह कार्य स्वीकृत नहीं है।
12.10	गाड़ी संख्या 19052 में ए.सी. कोच को बढ़ाया जाय तथा इसको सप्ताह में कम से कम तीन दिन किया जाय ।	12.10 पश्चिम रेलवे की गाड़ी है। इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है।
12.11	दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर से होकर दिल्ली जाने वाली रेल सेवाओं का पथ विस्तार भिवानी, लोहारू, सूरजगढ़ किया जाय । इससे दिल्ली जंक्शन पर गाड़ियों को	आपके प्रस्ताव को रेलवे को भेजा जा रहा है।

	रख–रखाव का भार कम होगा एवं गाड़ियों का परिचालन सुलभ तथा रेल राजस्व में अपेक्षित वृद्धि होगी ।	
13.0	**श्री संजय सारंगपुरी, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
13.1	पूर्व मध्य रेल जोन में सभी प्रमुख स्टेशनों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाई जाए ताकि यात्री एवं रेल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।	प्रमुख स्टेशनों के लिए कार्य स्वीकृत है।
13.2	गाड़ी संख्या 15228 यशवंतपुर–मुजफ्फरपुर शनिवार को शाम मुजफ्फरपुर में आती है और यशवंतपुर के लिए सोमवार को प्रस्थान होती है लगभग 30 घंटा यह गाड़ी वेवजह खड़ी रहती है इसे रक्सौल से यशवंतपुर के लिए चलाई जाए ताकि भारत–नेपाल के यात्री भी इसका भरपूर लाभ उठा सके और रेल की आय में बढ़ोत्तरी हो सके ।	वर्तमान में रक्सौल तक अमान परिवर्तन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। कार्य पूरा होने के बाद इस संभावना पर विचार किया जाएगा ।
13.3	गाड़ी संख्या 13021 मिथिला एक्सप्रेस जो रक्सौल से हावड़ा तक जाती है इस गाड़ी में नेपाल के यात्री भी यात्रा करते हैं । इस गाड़ी में पेन्ट्रीकार नहीं रहने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसलिए इस गाड़ी में पेन्ट्रीकार की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।	इस सम्बंध में पूर्व रेल को लिखा गया है।
13.4	मोतिहारी स्टेशन में एक भी शौचालय नहीं है इसके कारण यात्रियों को कई प्रकार से कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, स्टेशन परिसर में शीघ्र डिलक्स शौचालय की व्यवस्था की जाय ।	मेतिहारी स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 1 पर पेय एण्ड यूज शौचालय उपलब्ध है तथा वेटिंग हॉल (कॉमन) में महिला तथा पुरूष के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध है।
13.5	एफ.सी.आई. द्वारा लहरीयासराय के बेला में रेल रैक लगाने के लिए हाजीपुर को पत्र दिनांक 17.08.2012 एवं 25.09.2012 को भेजा गया है । रेल द्वारा इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए ताकि रेल को आय का लाभ हो सके ।	विदित हो कि दरभंगा माल गोदाम Loose consiongnment के आवक के लिए खुला हुआ है और प्रति माह औसत 16.05 रेक की होल्डिंग होती है। लहेरियासराय जो दरभंगा से 4.83 किलोमीटर की दूरी पर है, माल गोदाम खुला है। यहाँ Bagged onsiongnment की उतराई होती है। लहेरियासराय में प्रत्येक माह औसत आवक रेक 20.08 है। इसलिए एफसीआई के माल की उतराई लहेरियासराय में की जा सकती है। लहेरियासराय में एफसीआई की आवक रेक का प्रति रेक विलंबन

		20 घंटे है। जबकि दरभंगा में सभी लूज आवक रेक का प्रति रेक औसत विलंबन 43:05 मिनट है। स्पष्ट है कि Loose consiongnment रेक की विलंबन एवं रेक की संख्या को देखते हुए दरभंगा को विशेष रूप से Loose consiongnment एवं लहेरियासराय Bagged consiongnment के लिए खुला है।
13.6	गाड़ी संख्या 12557 सप्तक्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाती है इस गाड़ी में हमेशा प्रतीक्षा सूची 400–500 बना रहता है इस गाड़ी में एक तृतीय श्रेणी वातानुकूलित फुल कोच लगाई जाए ताकि रेल को वार्षिक तीन करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है और यात्रियों के कठिनाईयों को भी दूर किया जा सके ।	गाड़ी सं: 12557/12558 सप्तकांति एक्सप्रेस फुललोड (24 कोच) से चल रही है। इस गाड़ी में अतिरिक्त 3एसी कोच लगाना संभव नहीं है।
13.7	आरक्षण काउंटर पर लिंक स्लो होने के कारण एक टिकट पॉच मिनट में निकलता है इसलिए लिंक को रेल टेल से जोड़ा जाय ।	नोट किया गया । इसे सुधार किया जायगा ।
13.8	आरक्षण काउंटर पर नियमित रूप से डिस्पले बोर्ड लगाई जाए ।	प्रमुख स्टेशनों पर डिस्पले बोर्ड लगे हैं। शेष का कार्य स्वीकृत नहीं है।
13.9	मोतीहारी स्टेशन पर बहुत सारे उपकरण, प्रिंटर, की–बोर्ड, मॉनीटर इत्यादि खराब है इसे बदलकर नया उपकरण लगाया जाय ।	इसकी समीक्षा की जा रही है ।
13.10	गर्मी के कारण न केवल उपकरण फेल कर देता है और कर्मचारी भी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करते हैं । अतः यू.पी.एस एवं पी. आर.एस में ए.सी की व्यवस्था की जाय ।	यू0टी0एस, पी0आर0एस में ए0सी0 का प्रावधान रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देशित आदेश के अनुसार ही किये जाते हैं । छोटे स्टेशनों के लिए यू0टी0एस, पी0आर0एस में ए0सी0 लगाना तकनीकि दृष्टिकोण से उपयुक्त नही है क्योकि वहॉ पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत की आपूर्ति अनियमित है ।
13.11	मोतीहारी पार्सल कार्यालय में व्यापारियों को जाने के लिए स्टेशन के मुख्य गेट से अलग एक गेट का निर्माण किया जाय ।	मेतिहारी पार्सल कार्याल में व्यापारियों को जाने के लिय स्टेशन के मुख्य गेट से अलग एक अतिरिक्त गेट के निर्माण के लिए संभावना की तलाश की जा रही है।
13.12	मोतीहारी स्टेशन पर मॉडल स्टॉल कई वर्षो से बनकर तैयार है उसका निविदा फल एवं जूस की दुकान के लिए शीघ्र निकाली जाय	इसकी समीक्षा की जा रही है।

	।	
13.13	मोतीहारी स्टेशन पर पीएनआर चेक करने के लिए पीएनआर टच स्क्रीन मशीन लगाया जाय ।	इसको ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है।
13.14	दिनांक 06.10.2012 को 12558 सप्तक्रांति सुपर फास्ट ट्रेन में एक महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया । गोरखपुर के बाद उस महिला को 200 कि0मी0 गाड़ी चलने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट मोतिहारी में दिया गया । गाड़ी के वरीय टी.टी ने लगातार कई बार बगहा, नरकटियागंज, बेतिया स्टेशनों को मोबाईल से सहायता की मांग की । मगर उन्हें सहायता नहीं मिल सका, उक्त महिला को मोतिहारी में मेडिकल सहायता दिया गया वो भी पुरूष चिकित्सक के द्वारा जो सरासर गलत है, एक महिला को पुरूष चिकित्सक द्वारा नार काटने का कार्य किया गया जो उचित नहीं है, इसकी जॉच कर संबंधित पदाधिकारी पर शीघ्र कार्रवाई की जाय एवं नरकटियागंज स्टेशन पर मेडिकल उपचार की व्यवस्था हो ।	समस्तीपुर मंडल के बगहा, नरकटियागंज, बेतिया एवं मोतिहारी स्टेशनों में से केवल नरकटियागंज एवं मोतिहारी स्टेशन पर रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। मोतिहारी स्वास्थ्य केंन्द्र में पदस्थापित एक मात्र चिकित्सक हैं, जो नरकटियागंज स्वास्थ्य केंद्र का कार्य भी देखते हैं। ड्यूटी रोस्टर के अनुसार दिनांकः 06.10.12 को उक्त चिकित्सक की ड्यिूटी मोतिहारी स्वास्थ्य केन्द्र में था। अतः उक्त पीडित महिला को मोतिहारी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया गया। पूर्व मध्य रेल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रकिया की जा रही है। उपलब्धता के अनुसार चिकित्सक/महिला चिकित्सक की पदस्थापना की जाएगी।
14.0	**श्री पवन कुमार सुरेका, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
14.1	गाड़ी संख्या 12309 पटना–दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो पटना जंक्शन से 19.25 में खुलती है इसमें रात्रि भोजन रात 10.00 बजे के बाद दिया जाता है । कृपया इसे रात्रि 20.30 बजे से 21.00 बजे के बीच दिया जाना चाहिए ।	यह किया जाता है। फिरभी नोट किया जाता गया।
14.2	यात्री जागरूकता कार्यक्रम में यात्री जागरूकता शिविर लगाया जाना चाहिए तथा नुक्कड़ नाटक के द्वारा यात्रियों को जागरूक किया जाय ।	यह किया जाता रहा है।
14.3	मिथिला एक्सप्रेस एवं बाघ एक्सप्रेस में पेन्ट्रीकार की सुविधा प्रदान किया जाय ।	इस सम्बंध में पूर्व रेल को लिखा गया है ।
14.4	रेलगाड़ियों में एवं रेलवे स्टेशनों पर अवैध भेंडिंग समाप्त करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए ।	विशेष टिकट अभियान एवं अनधिकृत वेंडर के विरुद्ध चलाये जाने वाले अभियानों में ऐसे वेंडरों पर कार्यवाही की जाती है।

14.5	एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में जो सफाईकर्मी होते हैं वे वातानुकूलित डिब्बे की ही सिर्फ सफाई करते हैं । शयनयान एवं सामान्य डिब्बों में सफाई नहीं करते हैं । कृपया इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।	एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में जो सफाईकर्मी कार्यरत होते है वे वातानुकूलित डिब्बे एवं शयनयान डिब्बों में सफाई कार्य करते हैं। वर्तमान में सामान्य डिब्बों में इनके द्वारा सफाई कार्य नहीं किया जाता है।
14.6	रेलवे स्टेशनों या मंडल या क्षेत्रीय कार्यालय में कार्य करने हेतु जाने वाले रेलकर्मीगण वातानुकूलित डिब्बे में इस प्रकार बैठकर जाते हैं जिससे अधिकृत यात्रियों को बहुत ही परेशानियॉ होती है । अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे यात्रियों को परेशानी हो एवं रेलकर्मी भी अपनी यात्रा कर लें ।	टिकट चेकिंग अभियान में अनधिकृत रेल कर्मियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाती है।
14.7	सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी से नरकटियागंज के बीच यथाशीघ्र रेल सेवा हेतु चालू किया जाना चाहिए ।	रूनीसैदपुर –मुजफ्फरपुर के बीच नई लाईन बनने के बाद एवं बरगेनिया–नरकटियागंज के बीच अमान परिवर्तन होने के बाद गाड़ी चलाई जा सकती है।
14.8	फारबिसगंज–सहरसा रेलखंड का आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लायी जानी चाहिए । चूँकि यह कार्य काफी दिनों से चल रहा है ।	यह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है । वर्ष 2013–14 में फारबिसगंज से ललितग्राम (40 कि.मी) का बडी लाईन आमान परिवर्तन का कार्य पुरा करा लिया जाएगा । शेष कार्य सहरसा से ललितग्राम का आमान परिवर्तन वर्ष 2014–15 में पुरा किया जाएगा ।
14.9	गाड़ी संख्या 12557 सप्तक्रांति जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर से चलती है इसका विस्तार दरभंगा तक किया जाना चाहिए ।	इस गाड़ी की उपयोगिता 100 प्रतिशत से बहुत अधिक है। अतः इस गाड़ी का विस्तार संभव नहीं है ।
14.10	दरभंगा–समस्तीपुर के बीच रेल लाईन के दोहरीकरण की वर्तमान में क्या प्रगति है । कृपया इसकी जानकारी दी जाय ।	दोहरीकरण कार्य स्वीकृत नहीं है ।
14.11	फुट ओवर ब्रिज समस्तीपुर स्टेशन पर बहुत दिनों से लम्बित है । इसे यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए ।	एक फुट ओभर ब्रीज जिसका निर्माण आर.ई. संगठन के द्वारा कराया जा रहा है प्रगति पर है तथा दूसरा फुट ओभर ब्रिज जो ओपेन लाईन के द्वारा कराया जाना है का निविदा आमंत्रित की गई है एवं इसके स्वीकृति होते ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
14.12	मुजफ्फरपुर से देहरादून तक चलने वाली गाड़ी का विस्तार दरभंगा तक किया जाय ।	मुजफ्फरपुर से धनबाद चलने वाली गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे से संबंधित है। इस संबंध में संबंधित रेलवे को पत्राचार किया जा रहा है ।

14.13	गाड़ी संख्या 15281/15182 सहरसा–पटना, सहरसा–कोसी एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 18625/18626 पटना–हटिया, पटना एक्सप्रेस एक ही गाड़ी रैक है जिसे दो नामों पर चलाया जा रहा है । कृपया दोनों गाड़ी संख्या एक सहरसा–पटना–हटिया–पटना–सहरसा कोसी एक्सप्रेस नामकरण किया जाय ताकि सहरसा–हटिया–सहरसा वाया पटना के बीच के आरक्षण में यात्रियों को परेशानी एवं दिग्भ्रमित नहीं होना पड़े । इससे रेल की आमदनी भी बढ़ेगी ।	15281/15282 कोशी एक्सप्रेस 18625/18626 के रेक से चलाई जाती है । क्योंकि यह दक्षिण पूर्व रेलवे की स्वामित्व की गाड़ी है। अतः दोनों गाड़ियॉ एक नाम से नहीं चलाई जा सकती है।
14.14	गाड़ी संख्या 17005/17006 दरभंगा से सिकंदराबाद जानेवाली गाड़ी का फेरा बढ़ाया जाना चाहिए ।	दरभंगा–सिकन्दराबाद के बीच एक दूसरी नई गाड़ी का परिचालन सप्ताह में दो बार शुरू हो चुका है । अतः 17005/17006 का फेरा बढ़ाना वाणिज्यिक दृष्टिकोण से सही नहीं है ।
14.15	दरभंगा से पूरी जानेवाली गाड़ी को वाया टाटा कर दिये जाने से इसकी उपयोगिता वर्तमान उपयोगिता से दस गुणी बढ़ जायेगी ।	दरभंगा से पुरी से चलने वाली गाड़ी पूर्व तटीय रेलवे की है। इसे भाया टाटा चलाने के लिए पूर्व तटीय रेलवे एवं दक्षिण पूर्व रेलवे की सहमति जरूरी होगी । संबंधित रेलवे को पत्र लिखा जा रहा है ।
14.16	दरभंगा से दिल्ली की ओर जानेवाली गाड़ी में प्रतिक्षा सूची के आधार पर डुप्लीकेट 12565/12566 या 12561/12562 गाड़ी की व्यवस्था की जानी चाहिए ।	दरभंगा से दिल्ली डुप्लीकेट 2565/2566 अथवा 2561/2562 डुप्लीकेट गाड़ी चलाना परिचालन दृष्टिकोण से सही नहीं है । प्रतीक्षा सूची में ध्यान में रखते हुए 12561/12562 में एक अतिरिक्त शयनयान जोड़ने का प्रावधान किया जा रहा है ।
14.17	दरभंगा स्टेशन पर वहॉ के संवेदक जबरन पैसा वसूलते हैं जबकि प्राइवेट पार्किंग सुविधा निःशुल्क है ।	इस संबंध में मंडल को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।
14.18	दरभंगा स्टेशन पर अवस्थित लगा हाईप्रेशनजेट क्लीनिंग पम्प केवल खड़ा है । इसकी उपयोगिता कभी भी दरभंगा से गुजरने वाली गाड़ी में नहीं होता है । इसे व्यवहार में लाया जाना चाहिए ।	नोट किया गया। इसे व्यवहार में लाया जा रहा है।
14.19	जयनगर–दरभंगा खंड पर जहॉ भी अभी तक प्लेटफार्म ऊँचा नहीं किया गया है उसका निर्माण त्वरित गति से पूरा किया जाय ।	जयनगर–दरभंगा खंड पर सकरी में उच्चतल प्लेटफार्म एंव मधुबनी में आंशिक उच्चतलीय एवं आंशिक निम्नतलीय प्लेटफार्म उपलब्ध है। बाकी स्टेशनों पर निधि की उपलब्ध के आधार पर फेज

		वाईज में प्लेटफार्म उच्चीकरण का कार्य स्वीकृति हेतु परस्तावित किया जायगा।
15.0	श्री मनीष कुमार, सदस्य, जेडआरयूसीसी	
15.1	गाड़ी संख्या 02397/02398 डुप्लीकेट महाबोधि एक्सप्रेस एवं 12987 एवं 12988 अजमेर–सियालदह एक्सप्रेस का ठहराव डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन पर दिया जाय ।	इस संबंध में वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मांगा जा रहा है।
15.2	डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 को उच्च स्तर पर किया जाय ।	इसका प्रस्ताव पीडब्लूपी 2014–15 में भेजा जायेगा।
15.3	डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन के कोचिंग और गुड्स से वार्षिक 17 करोड़ रूपये की आय होती है इसलिए डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन को सुविधा एवं संरक्षा प्रदान किया जाय ।	डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन के कोचिंग एवं गुड्स से जो भी वार्शिक रेलवे राजस्व होती है उसकी सुरक्षा व्यवस्था नियमानुकूल प्रभारी निरीक्षक रेसुब पोस्ट डेहरी ऑन सोन द्वारा बराबर किया जाता है।
15.4	डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र करवाया जाय ।	डेहरी–ऑन–सोन में फुटओवर ब्रिज का कार्य लगभग 20प्रतिशत पुरा हो चुका है शेष कार्य 31. 05.2013 तक पुरा कर लिया जायेगा।
15.5	डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन पर वातानुकूलित रिटायरिंग रूम एवं वातानुकूलित वी.आई.पी. रूम की व्यवस्था की जाय ।	विचार किया जा रहा है।
15.6	गाड़ी संख्या 15021/15022 शालीमार–गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का ठहराव डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन पर दिया जाय ।	इस संबंध में वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मांगा जा रहा है ।
15.7	गाड़ी संख्या 12323/12324 हावड़ा–नई दिल्ली सुपर फास्ट का ठहराव डेहरी–ऑन–सोन एवं सासाराम स्टेशन पर दिया जाय ।	इस संबंध में वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मांगा जा रहा है ।
15.8	गाड़ी संख्या 12357/12358 हावड़ा–अमृतसर सुपर फास्ट का डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन पर ठहराव दिया जाय ।	इस संबंध में वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मांगा जा रहा है ।
15.9	सभी स्टेशनों पर ए.टी.एम की तर्ज पर ऑटोमेटिक टिकट इश्यु प्रणाली की शुरूआत की जाय ताकि यात्रियों को सुविधा हो एवं रेल राजस्व में भी वृद्धि हो तथा अनियमितताओं की संभावना न रहे ।	वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।
15.10	डेहरी–ऑन–सोन–बनजारी नई रेलवे लाईन के निर्माण की व्यवस्था शीघ्र करवाई जाय ।	यह कार्य पिंक बुक में स्वीकृत है । लेकिन निधि के अभाव में कार्य में कोई प्रगति नही हो रही है ।
15.11	गाड़ी संख्या 12311/12312 हावड़ा कालका	वाणिज्यिक औचित्य के साथ आपके प्रस्ताव को

	मेल का अनुग्रहनारायण रोड स्टेशन पर ठहराव दिया जाय ।	रेलवे बोर्ड भेजा जा चुका है।
16.0	**श्री विक्रम पाण्डेय, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
16.1	गाड़ी संख्या 18609/18610 हटिया–लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का ठहराव पारसनाथ स्टेशन पर दिया जाय ।	वाणिज्यिक औचित्य के साथ आपके प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजा जा चुका है।
16.2	गाड़ी संख्या 18103/18104 टाटा–अमृतसर जलियावाला बाग एक्सप्रेस का ठहराव चन्द्रपुरा स्टेशन पर दिया जाय।	वाणिज्यिक औचित्य के साथ आपके प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजा जा चुका है।
16.3	गाड़ी संख्या 15027/15028 हटिया–गोरखपुर एक्सप्रेस का ठहराव फुलारीटांड़ स्टेशन पर दिया जाय ।	वाणिज्यिक औचित्य के साथ आपके प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजा जा चुका है।
16.4	गाड़ी संख्या 11447/11448 हावड़ा–जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव जारंगडीह स्टेशन पर दिया जाय ।	ठहराव का वाणिज्यिक औचित्य नही है ।
16.5	गाड़ी संख्या 19605/19606 कोलकाता–अजमेर एक्सप्रेस का गोमिया स्टेशन पर ठहराव दिया जाय ।	ठहराव का वाणिज्यिक औचित्य नही है ।
16.6	गाड़ी संख्या 12365/12366 रॉची–पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव चन्द्रपुरा स्टेशन पर दिया जाय ।	वाणिज्यिक औचित्य के साथ आपके प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजा जा चुका है।
16.7	बरकाकाना–आसनसोल के बीच ई.एम.यू सवारी गाड़ी चलाने की आवश्यकता है ।	आपके प्रस्ताव की जॉच की जा रही है।
16.8	बोकारो थर्मल–गोमिया के बीच स्वांग में हॉल्ट का निर्माण कराया जाय ।	साईट सर्वेक्षण कराया जा चुका है आगे की आवश्यक कार्यवाही के पश्चात हाल्ट खुलने के संबंध में निर्णय लिया जायगा।
16.9	फुसरो स्टेशन को आदर्श स्टेशन घोषित हुए लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक का समय हो गया परन्तु इससे संबंधित सुविधाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाये हैं । अतः इसपर यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराते हुए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें ।	फुसरो स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। कार्य समापन की अनुमानित तिथि 31.03.2013 है।
16.10	गोमो–बरकाकाना रेलखंड के फुसरो स्टेशन जो मेरा गृह स्टेशन है तथा बेरमो कोयलांचल क्षेत्र का भी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है । इस स्टेशन पर रविवार को भी 08.00 से 02.00 बजे तक पी.आर.एस खोला जाय ।	कर्मचारी की उपलब्धता होने पर इस पर विचार किया जायगा।
16.11	बरवाडीह–मुगलसराय रेलखंड अंतर्गत बड़की	बड़की सलैया स्टेशन 'ई' कैटेगरी में आता है तथा

	सलैया स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊँचा किया जाय ।	मानक के अनुरूप रेल लेवल प्लेटफार्म उपलब्ध है।
16.12	बड़की सलैया स्टेशन के दोनों तरफ विधालय एवं घनी आबादी है अतः दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए उपरीगामी पैदल पथ का निर्माण करवाया जाय ।	आगे की कार्यवाही की जायेगी।
16.13	बेरमो स्टेशन में उपरीगामी पैदल पथ का निर्माण अतिआवश्यक है क्योंकि दूसरी तरफ घनी आबादी के कारण यात्रियों को प्लेटफार्म के तरफ जाने में कठिनाई होती है ।	इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।
16.14	फुसरो स्टेशन पर कैन्टीन की व्यवस्था की जाय एवं पूछताछ हेतु लैंड लाईन फोन नम्बर 06549–222754 जो हमेशा खराब रहती है उसको चालू कराया जाय और फोन रिसिव कर जवाब देने की व्यवस्था कराई जाय ।	पूछ ताछ हेतु फोन कार्यरत हैं।
16.15	अमलो ब्लॉक हॉल्ट पर प्लेटफार्म, शेड निर्माण, पेयजल सुविधा एवं बिजली की व्यवस्था के साथ–साथ उत्तरी–दक्षिणी छोर को जोड़ते हुए उपरिगामी पैदल पथ का निर्माण किया जाय क्योंकि रेलवे साइडिंग होने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ।	अमलो ब्लॉक हाल्ट पर 20.00 बजे के बाद किसी भी यात्री ट्रेन का ठहराव नही है। प्लेटफॉर्म के मध्य में स्थित केवीन के दोनो साईड प्रकाश की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त साईडिंग एरिया में डीवीसी के द्वारा बीजली सप्लाई की व्यवस्था उपलब्ध है। प्लेटफार्म शेड निर्माण इत्यादि से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं आया है। पानी की सुविधा उपलब्ध है।
16.16	गाड़ी संख्या 53360 डाउन बरकाकाना–गोमा पैसेंजर गाड़ी का मेल गोमो स्टेशन पर धनबाद–गया इंटरसिटी एक्सप्रेस 10035/10036 से कराया जाय । डाउन पैसेंजर गाड़ी तेलो स्टेशन से गोमो की दूरी 30 मिनट में तय करती है जबकि इसकी दूरी 10 कि0मी0 के आस–पास है । गौरतलब है कि पिछले दो बैठकों में भी इस मुद्दे को मैंने उठाया था जिसपर बताया गया था कि समय सारणी बनाने के समय इस प्रस्ताव की जॉच की जायेगी परन्तु पिछले समय सारणी प्रकाशित होने पर भी ध्यान नहीं दिया गया जो कि नये समय सारणी का समय आ गया है ।	वर्तमान में यह गाडी 03:30 बजे बरकाकाना से चलती है और 06:50 बजे गोमो पहुँचती है। इंटरसिटी से मेल कराने के लिए इसे 30 मिनट पहले चलाना होगा जिससे वर्तमान में इस खंड के यात्रियों को काफी असुविधा होगी।
16.17	गाड़ी संख्या 18623/18624 हटिया–	18623/18624 से एक दूसरी गाड़ी राजेन्द्रनगर से

	राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस का विस्तार बक्सर तक किया जाय ।	इस्लामपुर के बीच चलाई जाती है । अतः यह संभव नहीं है ।
16.18	मंडल रेल प्रबंधक सहित मंडल के जो भी पदाधिकारी यात्री सुविधाओं पर अथवा विकास कार्यों पर स्टेशन का निरीक्षण करते हैं उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के जेडआरयूसीसी के सदस्यों को दिया जाना चाहिए ।	सुझाव नोट किया गया।
17.0	**श्री पं0 राजेश शुक्ला 'टिल्लू', सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
17.1	पटना साहिब रेलवे स्टेशन को ए श्रेणी में किया जाय । वर्ष 2007 के पूर्व में यह ए श्रेणी में था इसके बाद इसे बी श्रेणी में कर दिया गया है । जबकि आय की दृष्टि से भी यह स्टेशन ए श्रेणी का है । पटना साहिब रेलवे स्टेशन के साथ सौतेला व्यवहार बंद किया जाय ।	स्टेशनों का वर्गीकरण आय के आधार पर किया जाता है।
17.2	पटना साहिब स्टेशन के दूसरे नये पुल का विस्तार बाहरी बेगमपुर तक किया जाय जिससे वहॉ के निवासी सीधे स्टेशन से बाहर चले जायें ।	इस कार्य को वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित किया जायेगा।
17.3	पटना साहिब स्टेशन के बाहर लगभग 50 एकड़ जमीन बेकार पड़ी है उसका इस्तेमाल करते हुए वाशिंग पिट का निर्माण कराया जाय ।	अगले वित्तीय वर्ष में इस पर विचार किया जायेगा।
17.4	पटना घाट लोकल पैसेंजर ट्रेन का फेरा बढ़ाया जाय और इस ट्रेन का गलत समय पर परिचालन हो रहा है इसकी अविलम्ब समीक्षा किया जाय ।	पटनाघाट लोकल गाड़ी का फेरा बढ़ाना परिचालन दृष्टिकोण से संभव नहीं है ।
17.5	गाड़ी संख्या 13331/13332 पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, 12567/12568 सहरसा–पटना राजरानी एक्सप्रेस, 13241/13242 राजेनद्रनगर–बॉका एक्सप्रेस, 15109/15110 वाराणसी–राजगीर बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस, 12333/12334 इलाहाबाद–हावड़ा विभूति एक्सप्रेस, 12569/12570 जयनगर–निजामुद्दीन गरीबरथ एक्सप्रेस, 22405/22406 भागलपुर–आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस को अविलम्ब पटना साहिब स्टेशन पर ठहराव दिया जाय ।	इस संबंध में वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मांगा गया है। प्राप्त होने पर रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाएगा।

17.6	गाड़ी संख्या 12317/12318 हावड़ा–अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस को प्रतिदिन किया जाय ।	12317/12318 पूर्वा एक्सप्रेस की पाथ पर चलती है । अतः इसका फेरा बढ़ाना संभव नहीं है।
17.7	कुलियों का बीमा कराया जाय । रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कुलियों के भविष्य एवं उनके परिवार की सुरक्षा के दृष्टि से कुलियों का सामूहिक जीवन बीमा कराया जाना क्योंकि कुल रेल के मित्र होता है और जरूरत पड़ने पर हर परिस्थितियों में वे रेलवे की मदद करते हैं । स्टेशन की शान कुली है इनके लिए कुली विश्रामगृह बनाया जाए उसमें कूलर, पंखा और टेलीविजन लगाया जाय ।	नोट किया गया । यह नितिगत मामला है।
17.8	पटना साहिब स्टेशन का रोड पिछले 05 वर्षों से टूटा हुआ है इसको अविलम्ब बनाया जाय क्योंकि रोज दुर्घटना हो रही है ।	यह सड़क बिहार सरकार से संबंधित है।
17.9	कभी–कभी देखा गया है कि पटना साहिब स्टेशन का पानी का मोटर जल जाती है जिससे स्टेशन पर जलसंकट पैदा हो जाता है इसके राहत के लिए हैंड पम्प लगाया जाय ।	01 स्टैण्ड वाई डीप ट्यूवेल का कार्य स्वीकृत हो चुका है। टेन्डर की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
17.10	पटना साहिब स्टेशन पर वी.आई.पी. प्रतिक्षालय बनाया जाय तथा स्टेशन मास्टर के रूम में कुलर या ए.सी. लगाया जाय ।	पटना साहिब स्टेशन पर वीआईपी प्रतिक्षालय उपलब्ध है।
17.11	पार्सल कार्यालय का छत टुटा हुआ है जिसके कारणवश काफी नुकसान हो रहा है इसे अविलम्ब मरम्मत कराया जाय ।	जोन कार्य 2012–13 में इस कार्य को कराया जायेगा ।
17.12	कर्मचारियों के रेल आवास का खस्ताहाल है इसे अविलम्ब मरम्मत कराया जाय ।	इस कार्य के लिए मंडल द्वारा स्पेशल रेवेन्यू रिपेयर का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
17.13	रेलवे क्वाटर में भी हैंड पम्प की व्यवस्था की जाय ।	मंडल द्वारा वर्तमान जोन कार्य में व्यवस्था कराया जा रहा है।
17.14	महिला शौचालय की तुरन्त व्यवस्था किया जाय ।	महिला शौचालय उपलब्ध है।
17.15	गुलजारबार स्टेशन को डी श्रेणी से बढ़ाकर इसे बी श्रेणी में किया जाय ।	स्टेशनों का वर्गीकरण आय के आधार पर किया जाता है।
17.16	गुलजारबाग स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 02 पर न तो वेटिंग हॉल है और ना ही शेड है । एक शेड है परन्तु बहुत ही छोटा तथा टूटा–फूटा है । यात्री सर्दी, गर्मी तथा बरसात	एलएसजी 2013–14 में यह कार्य स्वीकृत कराया जायेगा।

	तीनों मौसम में प्रभावित होते हैं । इसलिए प्लेटफार्म संख्या 02 पर एक नया यात्री शेड का निर्माण कराया जाय ।	
17.17	गुलजारबाग स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की कमी के कारण दिन के दस बजे के बाद शाम सात बजे तक ट्रेन का यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है । जबकि पैसेंजर की सौ गुना वृद्धि हुई है परन्तु गाड़ी नहीं है इसकी समीक्षा की जाय ।	गुलजारबाग स्टेशन पर 10:00 बजे दिन के बाद एवं शाम 07:00 बजे के बीच अप एवं डाउन दोनों दिशा में चार–चार सवारी गाड़ियों का ठहराव है।
17.18	गुलजारबार स्टेशन पर भागलपुर–दानापुर, साहेबगंज–दानापुर, कमला गंगा इंटरसिटी एवे दानापुर–हावड़ा जैसे चार जोड़ी ट्रेनों का ठहराव दिया एवं इसके अतिरिक्त पैसेंजर गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की जाय ।	समीक्षा के उपरान्त इस पर विचार किया जायगा।
17.19	गुलजारबाग स्टेशन पर इनक्वायरी काउंटर नहीं है तथा राष्ट्रीय मार्ग–30 से जुड़े होने के कारण यात्रियों की संख्या हमेशा बढ़ी रहती है । ठंडे पानी की मशीन नहीं हैं । यथाशीघ्र इसकी व्यवस्था की जाय ।	सुविधा प्रदान कर दी गयी है। यद्पि गुलजारबाग स्टेशन डी कैटेगरी स्टेशन के अर्न्तगत आता है जहॉ रेलवे बोर्ड के नियमानुसार बाटर कूलर का प्रावधान नही है । पैसेंजर की अतिरिक्त मॉग के अर्न्तगत इस स्टेशन पर एक वाटर कूलर की व्यवस्था कर दी गयी है जिससे गर्मी में यात्रियों को ठंडा पानी मिल सके ।
17.20	कभी–कभी देखा गया है कि गुलजारबाग स्टेशन के पानी की मोटर जल जाती है जिसके कारण स्टेशन पर जल संकट पैदा हो जाता है । इसके राहत के लिए समीक्षा कर 05 हैंड पम्प लगाया जाय ।	वर्तमान जोनल कार्य में यह कार्य कराया जायेगा।
18.0	**श्री विनोद कुमार गुप्ता, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
18.1	मुजफ्फरपुर–समस्तीपुर, समस्तीपुर–दरभंगा, समस्तीपुर–खगड़िया एवं समस्तीपुर–बरौनी रेलखंड पर डीएमयू सेवा प्रारंभ किया जाय ।	प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के भेजा गया है । रेक मिलने पर सेवा दी जा सकती है।
18.2	जयनगर से मुम्बई एवं सहरसा से मुम्बई के लिए एक्सप्रेस गाड़ी चलाया जाय ।	प्रस्ताव विचाराधीन है।
18.3	जयनगर–आनन्द विहार गरीब रथ प्रतिदिन किया जाय ।	यह प्रस्ताव आगामी आईआरटीटीसी में रखा जा रहा है ।
18.4	मुजफ्फरपुर–पोरबन्दर एक्सप्रेस को समस्तीपुर से चलाया जाय ।	समस्तीपुर में सेकेंडरी मेन्टेंस के लिए अतिरिक्त स्लॉट उपलब्ध नहीं है एवं पाथ का भी अभाव है।

18.5	दरभंगा–न्यूजलाईगुड़ी एक्सप्रेस को गुवाहाटी तक चलाया जाय और सप्ताह में कम से कम तीन दिन चलाया जाय ।	दरभंगा–न्युजलपाईगुड़ी एक्सप्रेस पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की स्वामित्व की गाड़ी है । प्रस्ताव को संबंधित रेलवे को भेजा जा रहा है ।
19.0	**श्री हरि प्रकाश केजरीवाल, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
19.1	गया स्टेशन के इनक्वायरी ऑफिस में लैण्ड लाईन फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है । गया में सालों भर पिण्ड दानी एवं बौद्धपर्यटक आते रहते हैं, कई बार 139 से अपडेट सूचना नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ता है । पूर्व में लैण्ड लाईन की सुविधा थी परन्तु बकाया भुगतान न होने के कारण बीएसएनएल द्वारा फोन कनेक्शन काट दिया गया है । अतः इसे जल्द चालू कराने की आवश्यकता है ।	रेल संबंधी सभी जानकारियॉ कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के द्वारा दूरभाश सं. 139 के माध्यम से दी जा रही है एवं रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार अन्य दूरभाश का प्रावधान नहीं है।
19.2	पिछले लगभग 8–10 महीने पहले गया स्टेशन के प्लेटफार्म पर कोच लोकेशन इंडिकेटर सिस्टम लगाया था जो आज तक चालू नहीं हो सका है । गया के अंतराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु इसे अविलंब चालू कराया जाना चाहिए ।	गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म क.सं 01, 02, 03, 04 एवं 05 पर कोच इंडीकेटर प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इसके उपकरणों को लोकल पावर सप्लाई से जोड़ा गया है तथा ट्रैक्शन सप्लाई भी उपलब्ध है।
19.3	गया से दिल्ली हेतु महाबोधि ट्रेन में यात्रियों के भीड़ को देखते हुए संभव हो तो कोचों की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए ।	महाबोधि एक्सप्रेस 24 कोच से चलती है। डिब्बो की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है।
19.4	मुगलसराय मंडल के अंतर्गत अधिकतर स्टेशनों पर रेल नीर की कमी बराबर रहती है । खासकर गर्मी के दिनों में विशेष कमी रहने के कारण धड़ल्ले से लोकल बोतल बंद पानी की बिक्री होती है अतः रेलवे के राजस्व वृद्धि के साथ–साथ यात्री हित में एक और वाटर बोटलिंग प्लांट लगाया जाना चाहिए ।	गर्मी के दिनों में प्रमुख स्टेशनों पर रेल नीर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाये जाते हैं तथा इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाती है।नया *Bottling Plant* लगाया जाना एक नीतिगत विषय है।
19.5	गया के अंतराष्ट्रीय महत्व तथा सालोंभर आनेवाले यात्रियों की सुविधा हेतु गया रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन कार्यालय के उत्तर दिशा में उपलब्ध पर्याप्त भूमि पर एक यात्री निवास का निर्माण किया जाना चाहिए । इससे रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी तथा यात्रियों को भी सुविधा प्राप्त होगी ।	गया स्टेशन पर वर्तमान में 06 रिटायरिंग रूम (ए.सी.–02, सामान्य–04) एवं ए.सी. शयनागार (10 बेड) उपलब्ध है जो कि पर्याप्त है। गया को अन्तराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इसका विकास अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कीये जाने हेतु पर्यटन विभाग के सहयोग से लगभग 10 करोड़ का कार्य स्वीकृत हुआ है। जिसका विस्तृत प्राक्कलन तथा नक्शा

		तैयार किया जा रहा है। इस कार्य को शीघ्र आरंभ किया जायेगा।
19.6	गया स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 7, 8 एवं 9 से खुलने वाली ट्रेनों में से काफी यात्रियों का आवागमन होता है इन प्लेटफार्मों पर यात्री सुविधा हेतु प्लेटफार्म पर शेड, बिजली , पीने के पानी की नल की व्यवस्था एवं अन्य सुविधायें जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।	प्लेटफार्म सं0 8/9 पर 18 *water taps* प्रदत्त हैं। प्लेटफार्म सं0 7 पर 165 *sqm* का प्लेटफार्म शेड तथा प्लेटफार्म सं0 8/9 पर 196 *sqm* का प्लेटफार्म शेड प्रदत्त हैं। पेय जल की व्यवस्था में समुचित सुधार हेतु कार्य *"Provision of adequate watering arrangement at PF No. 7, 8/9* प्रगति पर है। मानक के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध है।
19.7	गाड़ी संख्या 19306 शिप्रा एक्सप्रेस, 12307 जोधपुर एक्सप्रेस, 12321 मुम्बई मेल एवं 12802 पुरूषोतम एक्सप्रेस में गया स्टेशन से आरक्षण कोटा बढ़ाया जाना चाहिए ।	कोटा उपयोगिता को देखते हुए उल्लेखित गाड़ियों में गया को आव्रटित आरक्षण कोटा पर्याप्त है। नयी पी.आर.एस. प्रणाली के अन्तर्गत गया को आसनसोल–धनबाद–मुगलसराय से जोडकर *Pool system* द्वारा विभिन्न ट्रेनों में आरक्षण की सुविधा में विस्तार किया गया है। ऐसा होने से *First come first serve* के आधार पर आरक्षण की सुविधा में वृद्धि हुई है।
19.8	गया से हावड़ा जाने हेतु गाड़ी संख्या 12308 जोधपुर एक्सप्रेस, 12176 चम्बल एक्सप्रेस एवं 13010 दून एक्सप्रेस में तृतीय श्रेणी वातानुकूलित एवं स्लीपर श्रेणी में पर्याप्त कोटा बढ़ाया जाय ।	वर्तमान में गाड़ी संख्या 13024/13023 (गया हावड़ा एक्सप्रेस) प्रतिदिन चलती है। गया से डाउन में हावडा/कोलकाता जाने के लिए रिजर्वेशन कोटा निम्न ट्रेनों में उपलब्ध है।:– ट्रेन सं0 उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा स्लीपर 1एसी 2एसी 3एसी 13010 36 – – 02 13024 96 – – 44 12382 63 – – – 12176 61 – 4 4 12178 70 – 4 4 12302 – 01 06 12 21314 – 02 04 08 हावड़ा हेतु ट्रेन सं0 2312 एवम् 2308 में कोटा प्रदत्त नहीं है। सी.सी.एम./पी.एम/ कोलकता एव नई दिल्ली को पत्र सं0 *Com/PA/PRS/Quota/GYA/09*, दिनांक 23.6.2011 द्वारा ट्रेन सं0 12312, 12308, में सामान्य आरक्षण कोटा हेतु अनुरोध किया गया है।
19.9	गाड़ी संख्या 12987 सियालदह–अजमेर एक्सप्रेस, 12938 गॉधीधाम–अहमदाबाद एक्सप्रेस, 13151 सियालदह–जम्मूतवी एक्सप्रेस एवं 12357 कोलकाता–अमृतसर एक्सप्रेस जो गया स्टेशन होकर जाती है इन	ट्रेन सं0 12357, 12938, 12942, 12496, 18103, 15021, 12175/77, 19306 में आसनसोल–मुगलसराय पुल में कोटा है।नयी पी.आर.एस. प्रणाली के अन्तर्गत गया को आसनसोल–धनबाद–मुगलसराय से जोडकर *Pool*

	सभी ट्रेनों में द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित एवं स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा दिया जाय ।	*System* द्वारा आरक्षण की सुविधा में विस्तार किया गया है। ऐसा होने से *First come first serve* के आधार पर आरक्षण की सुविधा में वृद्धि हुई है। गाडी सं0 13151 में गया कोटा प्रदत्त नहीं है तथा गया द्वारा पूर्ववर्ती कोटा लोकेशन धनबाद को access किया जाता है।
19.10	गाड़ी संख्या 12321 हावड़ा–मुम्बई मेल, 13151 सियालदह–जम्मूतवी एक्सप्रेस एवं 12312 सियालदह–दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इन सभी गाड़ियों में आपातकालीन आरक्षण कोटा देना अतिआवश्यक है ।	गाड़ी सं0 12321 में गया को प्रदत्त आरक्षण कोटा *(General & Emergency)* निम्नवत है:– ट्रेन उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा उपलब्ध HO आरक्षण कोटा सं0 1एसी 2एसी 3एसी स्लीपर 1एसी 2एसी 3एसी स्ली 2321 02 08 10 69 – – – 03 इस ट्रेन में मुगलसराय को 2एसी श्रेणी में 02 बर्थ, 3एसी श्रेणी में 02 बर्थ तथा स्लीपर श्रेणी में 06 बर्थ का इमरजेन्सी कोटा प्रदत्त है जिसका उपयोग इस ट्रेन के गया से यात्रा आरम्भ होने वाले 2एसी एवं 3एसी तथा स्लीपर श्रेणी के टिकटों के लिये भी आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाता है। गया स्टेशन को अलग से सामान्य आरक्षण कोटा पर मुख्यालय विचार कर सकते हैं। गाड़ी सं013151 सियालदह–जम्मू तवि ए0 में मुगलसराय मंडल को आपातकालिन कोटा प्रदत्त नहीं है **इसकी समीक्षा की जा रही है।**
19.11	गाड़ी संख्या 12321 हावड़ा–मुम्बई मेल में आपातकालिन कोटा दिया गया वह मुगलसराय में है अतः यह कोटा गया में होना चाहिए । क्योंकि मुगलसराय में मुम्बई के लिए अन्य ट्रेनों में आपातकालीन कोटा दिया हुआ है ।	इस ट्रेन में मुगलसराय को 2एसी श्रेणी में 02 बर्थ, 3एसी श्रेणी में 02 बर्थ तथा स्लीपर श्रेणी में 06 बर्थ का इमरजेन्सी कोटा प्रदत्त है जिसका उपयोग इस ट्रेन के गया से यात्रा आरम्भ होने वाले 2एसी एवं 3एसी तथा स्लीपर श्रेणी के टिकटों के लिये भी आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाता है।
19.12	गाड़ी संख्या 13009/13010 में पहले दो स्लीपर श्रेणी के कोचा हावड़ा–गया–मुगलसराय के बीच लगता था जिसका सभी कोटा गया के लिए निर्धारित था इन दोनों कोचों में से कोटा काटकर मुगलसराय को दे दिया गया जिससे गया के यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है । अतः इन दोनों कोचों को पूरा कोटा पूर्ववत की तरह गया को मिलना चाहिए ।	गाड़ी सं0 13009/13010 में दो कोच सं0 S/9 एवं S/10 परिचालनिक बाध्यताओं के कारण मुगलसराय में जोड़े जाते हैं। ये दोनो कोच गया कोच हैं जो मुगलसराय एवं गया के बीच अनारक्षित रहते हैं तथा इनमें आरक्षण की सुविधा गया स्टेशन से हावड़ा स्टेशन तक तथा वापसी में गया तक उपलब्ध होती है। इस गाड़ी में पूर्व में SL श्रेणी में 127 बर्थ सामान्य कोटा के अन्तर्गत गया स्टेशन को उपलब्ध थे जो आज भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसमें AC/3 श्रेणी में 02 बर्थ का अतिरिक्त कोटा भी उपलब्ध करा दिया गया है।
19.13	हावड़ा–धनबाद के बीच पूर्व से ही दो ट्रेनें	यह गाड़ी 12.45 बजे धनबाद आती है और धनबाद

	एक कोल फील्ड एक्सप्रेस तथा दूसरा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस चल रही है । अभी कुछ दिन पहले हावड़ा–धनबाद के बीच एक नई ट्रेन संख्या 12385/12386 डबल डेकर वातानुकूलित ट्रेन शुरू की गई है । चूँकि हावड़ा–धनबाद के बीच पूर्व से दो ट्रेनें चल रही है इसलिए नये चालू किये गये ट्रेन संख्या 12385/12386 को गया तक विस्तार किया जाना चाहिए ।	से 18.30 बजे खुलती है । इसका लाई ओवर 05. 45 है । उक्त अवधि में इस गाड़ी को गया नहीं बढ़ाया जा सकता है।
19.14	गया से मुम्बई, गया से बंगलुरू के लिए नई ट्रेन चलाने की आवश्यकता है क्योंकि इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या काफी अधिक है । साथ ही गया से चेन्नई एवं कामख्या के लिए चलने वाली साप्ताहिक ट्रेनों को सप्ताह में दो दिन किया जाना चाहिए ।	प्रस्ताव विचाराधीन है।
19.15	गया स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की श्रेणी में विकसित किया जाना प्रस्तावित है परन्तु इस काम में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है । अतः इस पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है ।	प्रस्ताव विचाराधीन है।
19.16	गया के अंतराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए आने वाले विदेशी पर्यटकों को देखते हुए पूरे स्टेशन परिसर में तथा प्लेटफार्मों पर एवं प्लेटफार्म से लगे रेल लाईनों पर जो सफाई रहनी चाहिए उसका घोर अभाव है इस ओर तत्काल समुचित कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है ।	गया स्टेशन की साफ–सफाई की व्यवस्था डॉ0 भी0 भी0 सिंह वमचिधि/गया के निरीक्षण एवं एचआई के पर्यवेक्षण में आउटसोर्सिंग द्वारा कराया जा रहा है। डॉ0 भी0 भी0 सिंह वमचिधि/गया द्वारा दि0 12.11.12 को निरीक्षण के दौरान सफाई में कमी पाये जाने पर कॉन्ट्रैक्टर श्री किशन सिंह पर पत्रांकः एच/एसएएन/21/12, दि0 12.11.12 द्वारा 2000/–रू0 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि भविष्य में सफाई व्यवस्था सुदृढ होना चाहिए। पुनः दि0 30.11.12 को निरीक्षण के दौरान ट्रैक की सफाई संतोषजनक नहीं पाये जाने पर रू0 1000/– का आर्थिक दण्ड दिया गया है। साथ ही वैद्यता समाप्त करने की चेतावनी भी दी गई है।
19.17	गया में देशी–विदेशी पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए प्लेटफार्म संख्या एक पर वातानुकूलित प्रतीक्षालय बनाया जाना चाहिए ।	नोट किया गया।

Mr Ashok Kumar
Mr NICSnja
A2-3
9A3005426

20.0	श्री दुर्गेश कुमार राय, सदस्य, जेडआरयूसीसी	
20.1	समस्तीपुर–उजियारपुर रेलखंड में समस्तीपुर जंक्शन से अटेरन चौक गुमटी के बीच अव्यवस्थित सिंगनल को अटेरन चौक रेल गुमटी से दक्षिण उजियारपुर की ओर किया जाय ।	इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं इसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।
20.2	दलसिंहसराय–नाजीरगंज रेलखंड पर गुमटी संख्या 32सी पर राज्य सरकार की सहमति प्राप्त है इसे अविलम्ब निर्माण कराया जाय ।	दलसिंग सराय–नाजिरगंज रेल खंड पर समपार सं0 32 पर आरओबी का निर्माण स्वीकृत है। यह कार्य किया जाना है।
20.3	बसदिया हॉल्ट पर एक जोड़ी अतिरिक्त सवारी गाड़ी का ठहराव दिया जाय ।	वाणिज्यिक औचित्य हेतु वाणिज्य विभाग में भेजा जा रहा है।
20.4	स्टेशनों एवं गाड़ियों में रेल नीर या रेल द्वारा मान्य पेय जल ही मान्य दर पर बिक्री की गारंटी किया जाय । धड़ल्ले से नकली पानी का बोतल 15 रूपये से 20 रूपये में स्थानीय अधिकारियों के मिलीभगत से बिक रहा है इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है ।	रेल नीर को निर्धारित एम.आर.पी पर ही बेचा जाय इस हेतु निगरानी रखी जा रही है अधिक मूल्य वशूलने वाले के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।
20.5	समस्तीपुर मंडल मुख्यालय में माधुरी चौक स्थित फुट ओवर ब्रिज का जीर्णोधार कर अविलम्ब चालू किया जाय ।	समस्तीपुर मंडल मुख्यालय में माधुरीचौक स्थित फुटओभर ब्रिज जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त रहने के कारण आवागमन हेतु बंद है जिसे रेल विद्युतीकरण कार्य के अंतर्गत मरम्मति सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण कर चालू किया जाना है।
20.6	दरभंगा से भागलपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाया जाय ।	दरभंगा से भागलपुर इन्टरसिटी का परिचालन परिचालनिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर से भागलपुर हेतु इन्टरसिटी चल रही है।
20.7	मुजफ्फरपुर–भागलपुर इंटरसिटी (जनसेवा एक्सप्रेस) में तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कोच लगाया जाय ।	वर्तमान में इस रेलवे में वातानुकूलित कोच का अभाव है। उपलब्ध होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
20.8	विधापतिनगर स्टेशन का प्लेटफार्म का ऊँचीकरण किया जाय ।	नोट किया गया।
20.9	उजियारपुर स्टेशन के प्लेटफार्म का मरम्मत कराया जाय ।	उजियारपुर स्टेशन के प्लेटफार्म का मरम्मत करा दिया गया है।
20.10	उजियारपुर स्टेशन पर स्टेशन से उपरी पुल तक शेड का निर्माण कराया जाय ।	नॉर्म्स के अनुसार प्लेटफार्म शेड उपलब्ध है।
20.11	उजियारपुर स्टेशन पर यात्रियों के बैठने के लिए यात्री शेड एवं कुर्सी की व्यवस्था किया जाय ।	नॉर्म्स के अनुसार प्लेटफॉर्म शेड एवं कुर्सी उपलब्ध है।

20.12	दलसिंहसराय स्टेशन पर नियमित रूप से गंदगी का सफाई कराया जाय ।	गंदगी की सफाई कराया जा रहा है।
20.13	मेहिउद्दीन नगर स्टेशन पर प्लेटफार्म का ऊँचीकरण एवं उपरी पुल का निर्माण कराया जाय ।	मेहिउद्दीननगर स्टेशन पर प्लेटफार्म सं0 01 उच्चतल का है। इसके सरफेस को ठीक करने एवं दूसरे प्लेटफार्म का प्रावधान करने का कार्य स्वीकृत है। एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण ठेका को निरस्त कर दिया गया है। पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
20.14	मुजफ्फरपुर से कटिहार तक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाया जाय ।	मुज्जफरपुर–कटिहार के बीच कई सीधी सेवा उपलब्ध है। नई गाड़ियों का परिचालन परिचालनिक दृष्टिकोण से वर्तमान में संभव नहीं है।
20.15	बरौनी–लखनऊ एक्सप्रेस का भागलपुर तक विस्तार किया जाय ।	नई गाड़ियों का परिचालन परिचालनिक दृष्टिकोण से वर्तमान में संभव नहीं है।
20.16	दरभंगा जंक्शन के सभी विश्रामालयों का जीर्णोद्वार कर आधुनिक रूप दिया जाय ।	दरभंगा जंक्शन स्थित विश्रामालयों की स्थिति की जायजा ली जा रही है। आगे की कार्यवाही की जायगी।
20.17	नशाखुरानी से यात्री परेशान हैं इस पर कठोर निगरानी रखा जाय । इसमें लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाय ।	नशाखुरानी से यात्री परेशानी को दूर करने के लिए सुरक्षा विभाग द्वारा नशाखुरानी निरोधक टीम का गठन किया गया है। ट्रेनों में पोस्टर का चिपकाया जाना, स्टेशनों पर नशाखुरानी संबंधि उद्घोशणा बराबर किया जाना एवं नुक्कड़ नाटक कर के नशाखुरानों से यात्री को बचाने के लिए सुरक्षा विभाग द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है। नशाखुरानी से यात्रियों को बचाने के लिए पूर्व मध्य रेल से आसनसोल एवं नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर संयुक्त रूप से जॉच के रेसुब कर्मचारियें की प्रतिनियुक्ति की गयी है और अलग से छपरा, इलाहाबाद अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी रेसुब कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। परिणामस्वरूप वर्श 2012 के माह नवम्बर तक नशाखुरानी में लिप्त कुल 40 अपराधी को रा0रे0पु0 एवं रेसुब द्वारा गिरफ्तार कर उनपर न्यायसंगत कानूनी कार्यवाही की गयी है। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप नशाखुरानी सम्बंधी मामलों में काफी सुधार एवं कमी आयी है।
20.18	दरभंगा से पटना के बीच दरभंगा से प्रातः 5 बजे एक अतिरिक्त इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रतिदिन चलाया जाय ।	बरौनी–रामपुर डुमरा के बीच खंडीय क्षमता 160 प्रतिशत से अधिक है। अतः नई गाड़ी का परिचालन फिलहाल संभव नहीं है।

20.19	सोनपुर से बलसाड तक चलने वाली गाड़ी का विस्तार समस्तीपुर तक किया जाय ।	समस्तीपुर में मेंनटेंस के लिए अतिरिक्त स्लॉट का अभाव है। अतः वर्तमान में यह संभव नहीं है।
20.20	मुजफ्फरपुर से भागलपुर के बीच प्रातःकालीन इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाया जाय ।	नई गाड़ियों का परिचालन परिचालनिक दृष्टिकोण से वर्तमान में संभव नहीं है।
20.21	समस्तीपुर स्टेशन पर निर्माणाधीन उपरी पुल का निर्माण अविलम्ब कराया जाय ।	एक फुट ओभर ब्रीज जिसका निर्माण आर.ई. संगठन के द्वारा कराया जा रहा है प्रगति पर है तथा दूसरा फुट ओभर ब्रिज जो ओपेन लाईन के द्वारा कराया जाना है का निविदा निष्पादित है, कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा।
20.22	सिंधियॉघाट (नरहन) रेलवे स्टेशन आनेवाली रेल सड़क का जीर्णोधार कराया जाय ।	सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र ही हाथ में लिया जायेगा।
20.23	अंगारघाट रेलवे स्टेशन के गुमटी पर बन रही रेल सड़क का अविलम्ब निर्माण पूरा किया जाय ।	कार्य प्रगति पर है एवं शीघ्र पुरा कर लिया जायेगा।
20.24	जानकी एक्सप्रेस का ठहराव सिंधियॉघाट (नरहन) स्टेशन पर दिया जाय ।	इस संबंध में वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मांगा जा रहा है।
20.25	दरभंगा से बंगलुरू चलने वाली गाड़ी संख्या 12577 / 12578 को प्रतिदिन चलाया जाय ।	12577 / 12578 का फेरा बढ़ाने हेतु आईआरसीटीसी में प्रस्ताव को रखा जा रहा है।
20.26	उजियारपुर स्टेशन परिसर में साईकिल, मोटरसाईकिल एवं टैक्सी स्टैंड कोटेशन के आधार पर खोला जाय ताकि विज्ञापन प्रक्रिया में लगने वाले विलम्ब से बचा जा सके ।	सोनपुर मंडल द्वारा इसकी समीक्षा की जायगी।
20.27	उजियारपुर स्टेशन पर रैक प्वाइंट का निर्माण कराया जाय ।	नोट किया गया ।
20.28	समस्तीपुर जंक्शन के दक्षिणी ओर कारखाना गेट के निकट टैक्सी स्टैंड खोला जाय ।	समस्तीपुर जंक्शन के दक्षिणी ओर कारखाना गेट के निकट साईकल सह स्कूटर स्टैण्ड उपलब्ध है परंतु जगह के अभाव में वर्तमान में टैक्सी स्टैण्ड खोला जाना संभव नहीं है।
20.29	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय समस्तीपुर का पीछे वाला बंद गेट को खोला जाय क्योंकि बस से आने वाले कर्मचारियों को गेट बंद होने से लगभग एक किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है जिस कारण उन्हें कभी–कभी विलम्ब हो जाता है । इसके अलावा भोजनावकाश में काफी कर्मचारी पोस्ट ऑफिस, समाहरणालय	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय समस्तीपुर के पीछे वाला गेट को बंद, सुरक्षा की दृष्टीकोण से कराया गया है। यूनियन की ओर से गेट को खोलवाने हेतु कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

	एवं कोर्ट का कार्य इसी गेट से करते थे । गेट बंद होने के कारण कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है । क्योंकि घूमकर जाने पर निर्धारित समय में कार्य कर पाना असंभव है ।	
20.30	समस्तीपुर–खगड़िया रेल खंड पर रात्रि 8–9 बजे समस्तीपुर से एक सवारी गाड़ी चलाया जाय ।	प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
21.0	**श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
21.1	गाड़ी संख्या 3225/3226 दानापुर–जयनगर इंटरसिटी में यात्रियों के भीड़ को देखते हुए बोगी की संख्या बढ़ायी जाय ।	वर्तमान में इस रेलवे में कोच का नितांत अभाव है। उपलब्ध होने पर कोच की संख्या बढ़ा दी जाएगी।
21.2	निर्मली–रायगढ़ के बीच रेल परिचालन शीघ्र चालू किया जाय क्योंकि कोशी नदी पर पुल का निर्माण हो चुका है ।	बडी लाईन निर्माण का कार्य प्रगति पर है । इसे वर्ष 2013–14 में पुरा करा लिया जाएगा ।
21.3	सहरसा–फारबिसगंज बड़ी रेल लाईन कब तक बनकर तैयार होगा तथा रेल परिचालन कब तक चालू होगा ।	यह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। फारबिसगंज से ललितग्राम (40 कि.मी) का बडी लाईन आमान परिवर्तन का कार्य वर्ष 2013–14 में पुरा कर लिया जाएगा । शेष कार्य सहरसा से ललितग्राम का आमान परिवर्तन वर्ष 2014–15 में पुरा किया जाएगा ।
21.4	गया से चतरा रेल खण्ड का शिलान्यास वर्ष 2004 में हुआ था उसकी अधतन स्थिति क्या है ?	यह कार्य स्वीकृत है लेकिन अपर्याप्त निधि के कारण कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है। यहॉ तक की एक गॉव के जमीन अधिग्रहण के लिए भी प्रर्याप्त निधि आबंटित नहीं है ।
21.5	गाड़ी संख्या 12315/12316 अनन्या एक्सप्रेस में पेन्ट्रीकार की व्यवस्था की जाय ।	यह गाड़ी पूर्व रेलवे की स्वामित्व की गाड़ी है। संबंधित रेलवे को पत्र लिखा जा रहा है।
21.6	गाड़ी संख्या 12365/12366 पटना–रॉची जनशताब्दी एक्सप्रेस जो पटना से रॉची वाया गया होकर जाती है उसका ठहराव ऐतिहासिक स्थल तरेगना स्टेशन पर किया जाय ।	वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मॉगा जा रहा है।
21.7	गाड़ी संख्या 12023/12024 पटना–हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव बख्तियारपुर जंक्शन पर दिया जाय क्योंकि यहॉ से	वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मॉगा जा रहा है।

	राजगीर, नालंदा, पावापुरी आदि तीर्थ स्थल पर यात्रियों को जाना होता है ।	
21.8	पत्रकारों को जारी की जाने वाली सुविधा पास नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ स्टेशन पर अनुपलब्ध है इसे शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ।	इस पर कार्यवाही की जा रही है।
21.9	पाटलीपुत्रा स्टेशन को अतिशीघ्र चालू करवाने की कार्रवाई की जाय ।	कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सी.आर.एस का निरीक्षण भी हो चुका है। आगे की कार्यवाही की जानी है।
21.10	पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए खासकर के विदेशी पर्यटकों के लिए ठहरने आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाय ।	पटना में रिटायरिंग रूम एसी एंव नन एसी उपलब्ध है जो कि विदेशी पर्यटको के लिए रहने योग्य है।
21.11	राजेन्द्रनगर स्टेशन से पटना जंक्शन रेलवे लाईन के दोनों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाय ।	निर्माण कार्य 90 प्रतिशित पूरा हो चूका है।
21.12	राजेन्द्रनगर स्टेशन के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में बने फ्लाई ओवर पर आने–जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण कराया जाय ।	पूर्वी फ्लाई ओवर पर सीढ़ी का निर्माण हो गया है।पश्चिमी सीढ़ी का निर्माण कराया जायगा।
21.13	राजेन्द्रनगर स्टेशन पर एक बड़ी घड़ी लगाया जाय ।	इसका कार्य अभी स्वीकृत नहीं है।
21.14	ट्रेनों में नशाखुरानी गिरोह पर रोक लगायी जाय ।	नशाखुरानी से यात्री परे ाानी को दूर करने के लिए सुरक्षा विभाग द्वारा नशाखुरानी निरोधक टीम का गठन किया गया है। ट्रेनों में पोस्टर का चिपकाया जाना, स्टेशनों पर नशाखुरानी संबंधि उद्घोशणा बराबर किया जाना एवं नुक्कड़ नाटक कर के नशाखुरानों से यात्री को बचाने के लिए सुरक्षा विभाग द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है। नशाखुरानी से यात्रियों को बचाने के लिए पूर्व मध्य रेल से आसनसोल एवं नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर संयुक्त रूप से जॉच के रेसुब कर्मचारियें की प्रतिनियुक्ति की गयी है और अलग से छपरा, इलाहाबाद अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी रेसुब कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। परिणामस्वरूप वर्श 2012 के माह नवम्बर तक नशाखुरानी में लिप्त कुल 40 अपराधी को रा0रे0पु0 एवं रेसुब द्वारा गिरफ्तार कर उनपर न्यायसंगत कानूनी कार्यवाही की गयी है। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप नशाखुरानी सम्बंधी मामलों में काफी सुधार एवं कमी आयी है।
21.15	अवैध वेन्डरों के विरुद्ध अनुज्ञप्ति जारी की जाय और नही तो उसे ट्रेनों में बेचने की अनुमति नहीं दी जाय । क्योंकि अवैध वेन्डरों	अवैध वेंडरों के विरुद्ध समय समय पर अभियान चला कर कार्यवाही की जाती है।

	के माध्यम से नशाखुरानी का प्रवेश होता है ।	
21.16	मुख्यालय के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर टिकट काउंटर बढ़ाया जाना चाहिए ।	सभी प्रमुख स्टेशनों पर वर्तमान में यात्रियों की संख्या आधारित मानक के अनुरूप टिकट काउंटर उपलब्ध है जनसाधारण टिकट बुकिंग सेबक (एसबीटीजे) का विस्तार किया जा रहा है।
21.17	डीएमयू ट्रेन में 12 बोगी की जगह पर 20 बोगी की जाय ।	डेमू ट्रेन को 20 बोगी से चलाने का प्रावधान नहीं है।
21.18	सभी स्टेशनों पर पूछताछ की उत्तम व्यवस्था की जाय ।	नोट किया गया ।
21.19	आरा स्टेशन पर आर.ओ.बी का निर्माण जल्द कराया जाय ।	कार्य किया जायेगा।
21.20	बिहटा से शेखपुरा वाया बिहारशरीफ रेलवे लाईन का परिचालन शीघ्र कराया जाय ।	यह कार्य स्वीकृत है। इसमें विहटा–पुनपुन–दनियॉवा एवं बरबीधा– शेखपुरा खंड कार्य आर.भी. एन.एल द्वारा किया जाना है। उनका भूमि अधिग्रहण एवं निविदा देने का कार्य प्रगति पर है। दनियॉवा से बिहारशरीफ का कार्य तेज गति से चल रहा है तथा प्रर्याप्त धन आवंटित होने पर इस कार्य को वर्ष 2013–14 में पुरा कर लिया जाएगा।
21.21	जहानाबाद से बिहारशरीफ तक नई रेलवे लाईन का निर्माण कराया जाय ।	यह कार्य अभी स्वीकृत नहीं है।
21.22	इस्लामपुर स्टेशन से गया वाया खिजरसराय तक नई रेलवे लाईन का विस्तार किया जाय ।	इस्लामपुर से गया (नटेसर होकर) नई लाइन का कार्य स्वीकृत है किन्तु धनराशि का प्रर्याप्त अवंटन नही होने से कार्य की प्रगति धीमी है ।
21.23	नवादा स्टेशन पर आरक्षण खिड़की के सामने शेड का निर्माण कराया जाय ।	निर्माण कार्य वर्तमान जोन में कराया जायेगा। कार्यादेश जारी कर दिया गया है।
21.24	विकलांगों के ठहरने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।	इसका प्रस्ताव पीडब्लूपी2014–15 में प्रस्तावित किया जायेगा।
21.25	गाड़ी संख्या 12310 राजधानी एक्सप्रेस में खान–पान में सुधार किया जाय ।	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुरूप भोजन दिया जाता है।
21.26	डीआरयूसीसी एवं जेडआरयूसीसी के सदस्यों को स्टेशन पर बने विश्रामालय में ठहरने की व्यवस्था पे एंड यूज के आधार पर किया जाय ।	भुगतान के आधार पर विश्रामालय की सुविधा सर्व साधारण को उपलब्ध है।
21.27	माननीय डीआरयूसीसी तथा जेडआरयूसीसी के सभी सदस्यों को क्षेत्राधीन सुविधा पास की	ZRUCC/DRUCC के सदस्यों को मीटिंग में शामिल होने हेतु यात्रा पास देने का प्रावधान है।

	व्यवस्था की जाय जबकि 1996 तक इस तरह की व्यवस्था थी ।	
21.28	स्टेशनों पर औचक निरीक्षण के लिए माननीय सदस्यों की जॉच टीम का गठन किया जाय जिसमें रेलवे के एक अधिकारी को भी शामिल किया जाय ।	यह नीतिगत मामला है।
21.29	बिहारशरीफ स्टेशन का विश्रामालय तथा शौचालय आदि हमेशा बंद रहता है । वहॉ पर खान–पान के लिए कैंटीन का निर्माण कराया जाय ।	विश्रामालय हेतु फर्नीचर खरीदे जा रहे हैं पे एण्ड यूज की प्रकिया पूरी होने वाली है।
21.30	दनियावॉ–बिहारशरीफ रेलवे लाईन में मध्य विधालय बंमपुर, चंडी नालंदा के पास आर.ई. ओ सड़क को पार करती है परन्तु वहॉ पर डायर्वशन का निर्माण नहीं कराया गया जिससे किसानों एवं आमजन को आने–जाने में कठिनाई हो रही है इसे जॉच करवाकर डायर्वशन /पार पथ बनवाने की व्यवस्था की जाय ।	कार्रवाई हेतु नोट किया गया।
21.31	राजगीर स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जाय ताकि ऐतिहासिक स्थल पर आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों को अधिक सुविधा उपलब्ध हो सके ।	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
21.32	दानापुर–राजगीर पैसेंजर ट्रेन जो शाम 06 बजे पटना जंक्शन से खुलती है और वह ट्रेन काफी विलम्ब से बिहारशरीफ, राजगीर जाती है उसे समय पर चलाने की व्यवस्था की जाय ।	नोट किया गया।
21.33	बिहारशरीफ स्टेशन पर टिकट काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता है ।	मानक के अनुसार बी श्रेणी के स्टेशनों पर 6 काउंटर होना चाहिए जो उपलब्ध है यात्री की सुविधा के लिए एसबीटी भी खोला जा रहा है।
21.34	जिस तुलना में जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है उस अनुपात में सभी स्टेशनों पर यात्री सुविधा में विकास नहीं हो पा रहा है ।	स्टेशन के वर्तमान श्रेणियों के मानक के अनुरूप यात्री सुविधा सभी स्टेशनों पर उपलब्ध है अतिरिक्त , तथापि क उपलब्ध भी सुविधाराई जा रही है।
21.35	पटना जंक्शन के स्टेशन प्रबंधक कभी भी अपने स्थान पर उपस्थित नहीं रहते हैं ।	नोट किया गया।
22.0	श्री रोहन लाल मेहता, सदस्य, जेडआरयूसीसी	

22.1	स्टेशनों पर सफाई की बड़ी निगाहें दी जाय ।	सभी स्टेशनों की सफाई व्यवस्था की देख–रेख हेतु चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है, जो समय –समय पर चिकित्साधिकारियों द्वारा निरीक्षित किये जाते हैं।
22.2	वर्षों–वर्षों से एक ही स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अविलम्ब स्थानांतरण किया जाय क्योंकि वे कार्य पर लापरवाही और यात्रियों से अव्यवहारीकता करते हैं ।	नोट किया गया।
22.3	स्टेशनों या स्टेशन परिसर के सभी स्टॉलों पर कड़ी निगाहें रखी जाए क्योंकि एक ही अनुज्ञप्ति पर कई अन्य स्टॉल चल रहे हैं जिससे कर्मचारियों को फायदा है पर रेल राजस्व का नुकसान हो रहा है ।	इस प्रकार के स्टालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।
22.4	रेलगाड़ियों में जो ठेकेदार द्वारा खान–पान की व्यवस्था की गई है उसमें खामियॉ प्रायः देखा जा रहा है । खाना तथा पानी बोतल में यात्रियों से नाजायज पैसे लिए जाते हैं । यात्रियों द्वारा टोका–टोकी करने पर ठेकेदार के आदमी गैंगवार मारपीट तथा बदसलूकी करते हैं । मीनू के अनुसार खाना तथा खाना देने वाले कर्मचारियों मे कमी पाया जाता है । इसमें सुधार आवश्यक है ।	रेल अधिकारियों के द्वारा समय समय पर निरीक्षण किये जाते हैं और कमी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाती है।
22.5	सभी मंडल कार्यालयों को निर्देश दिया जाय कि सभी स्टेशनों में सदस्यगण का नेम–प्लेट लगाया जाय ।	सभी मंडलों में निर्देर्शित है।
22.6	पटना स्टेशन के प्रबंधक श्री बी. के. चौधरी अव्यवहारिक आदमी हैं । राजधानी जैसे स्टेशन के लायक नहीं है । कृपया उन्हें पटना स्टेशन से स्थानांतरण किया जाय ।	नोट किया गया।
22.7	सदस्यगण को गाड़ी या स्टेशनों के चेकिंग या सुधार संबंधित कार्यों के अवलोकन में अपने स्टेशन प्रबंधक, टी.टी.ई तथा पुलिस पदाधिकारियों को मदद देने का निर्देश दिया जाय ।	ZRUCC एक परामर्शदात्री संस्था है। तथापि सुझाव उचित कार्रवाई हेतु नोट किया गया।
22.8	डिहरी–पटना इंटरसिटी के वातानुकूलित कोच की व्यवस्था में सुधार किया जाय क्योंकि उसपर कर्मचारियों तथा पुलिस का कब्जा	इस सम्बंध में सम्बंधित मण्डलों को वालानुकूलित कोच की जॉच करने एवं अवैध लोगो को बाहर करने व उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया गया है।

	पाया जाता है ।	
22.9	बी.डी. लाईन में डिहरी से डाल्टेनगंज, बरवाडीह तक 5 बजे सुबह और 11 बजे दिन में कोई यात्री ट्रेन नहीं है । इस समय में कम से कम एक पैसेंजर ट्रेन दिया जाय ।	आपका प्रस्ताव विचाराधीन है।
22.10	टंकोढ़ा स्टेशन पर यात्री शेड और प्लेटफार्म का निर्माण कराया जाए । वहॉ पर रेलवे का जमीन काफी खाली है । इसलिए रेल यार्ड या अन्य उचित कार्य किया जाए क्योंकि बगल में बिजली का परियोजना का बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है।	सुझाव नोट किया गया।
22.11	भभुआ रोड स्टेशन, कुदरा स्टेशन, सासाराम स्टेशन, डिहरी स्टेशन और अनुग्रहनरायण रोड स्टेशन पर ए.टी.एम की व्यवस्था की जाय ।	सासाराम स्टेशन पर राष्ट्रीयकृत बैंक का ए.टी.एम. प्रदत्त है। डेहरी ऑन सोन एवं भभुआ रोड स्टेशनों पर राष्ट्रीयकृत बैंक के ए.टी.एम. को उपलब्ध कराने का कार्य प्रकियाधीन है। अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन एवं कुदरा स्टेशन पर इस सुविधा को उपलब्ध कराने हेतु साध्यता जॉच कराकर आवश्यक कदम उठाये जायेगे।
22.12	भभुआ रोड स्टेशन, कुदरा स्टेशन, सासाराम स्टेशन, डिहरी स्टेशन और अनुग्रहनरायण स्टेशन पर विकलांगों एवं रोगियों की सुविधा हेतु पाथ का निर्माण कराया जाय ।	इसका प्रस्ताव पीडब्लूपी 2014–15 में प्रस्तावित किया जायेगा।
22.13	भभुआ रोड स्टेशन पर कुली और शौचालय का शिकायत दूर किया जाए तथा गाड़ी संख्या 28091 निलांचल एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए ।	भभुआ रोड स्टेशन पर आवश्यक सुविधायुक्त कुली विश्राम गृह का प्रावधान किया जा रहा है। वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मॉगा जा रहा है।
22.14	सासाराम स्टेशन पर यात्रियों का शिकायत है कि वेटिंग रूम में हमेशा ताला बंद रहता है। लेडिज केयर टेकर हमेशा मनमानी करती है ।	मामले की जॉच करायी गयी एवं यह दृष्टिगोचर हुआ है कि उच्च श्रेणी के वेटिंग रुम की सुविधा सिर्फ उच्च श्रेणी का यात्रा प्राधिकार धारक उचित यात्री ही ले सकें , इसके लिए केयर टेकर द्वारा यात्रियों से एक पंजिका में यात्रा प्राधिकार का विवरण दर्ज करने का आग्रह किया जाता है।
22.15	सासाराम स्टेशन पर पूर्वा एक्सप्रेस और कोई एक राजधानी का ठहराव अतिआवश्यक है क्योंकि श्रीमती मीरा कुमार, लोकसभा अध्यक्षा का क्षेत्रीय मुख्य स्टेशन है तथा शेरशाहशूरी का मकबरा, ताराचण्डी धाम जाने का यही एक स्टेशन है ।	वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मॉगा जा रहा है।

22.16	डिहरी स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या को ऊँचा करना तथा गाड़ी 12987 का ठहराव दिया जाय । डिहरी स्टेशन पर टी.टी.ई. कर्मचारियों के कार्यालय में शौचालय, कुर्सी, टेबुल की व्यवस्था की जाय ।	अगली कार्य योजना में इसे प्रस्तावित करने हेतु विचार किया जाएगा। डेहरी ऑन सोन स्टेशन पर कार्यरत टी.टी.ई कर्मचारियों के कार्यालय में कुर्सी टेबुल की व्यवस्था उपलब्ध है। अलग से शौचालय की व्यवस्था हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य मॉगा जा रहा है।
22.17	कोचस रोहतास, कैमूर, बक्सर एवं भोजपुर जिला का नजदीक सीमा चौराहा है जहॉ से 2–2 नेशनल हाइवे रोड गुजरता है एवं व्यापारिक मंडल है । श्रीमती मीरा कुमार, लोकसभा अध्यक्षा जी की हार्दिक इच्छा है कि वहॉ पर रेल टिकट बुकिंग तथा रेल आरक्षण केन्द्र कार्यालय की स्थापना की जाए क्योंकि वहॉ से कोई भी रेल स्टेशन 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है जिससे रेल राजस्व की काफी प्राप्ति होगी ।	मामले की समीक्षा की जा रही है।
23.0	**श्री डॉ0 संजीब कुमार सिन्हा, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
23.1	पटना जंक्शन पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग विश्रामालय रूम की व्यवस्था की जाय ।	पटना में एसी एंव नन एसी दोनों तरह का वेटिंग रूम उपलब्ध है। जिसमें वरि0 नागरिक विश्राम कर सकते है।
23.2	पूर्व मध्य रेल कार्यालय के समीप दिग्घी गुमटी पर रेल ओवर ब्रिज का कार्य बहुत ही धीमा है, इस गुमटी पर ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि गुमटी कम समय के लिए बंद हो क्योंकि यह मार्ग उत्तर बिहार का लाईफ लाईन है ।	यह कार्य एन.एच.ए.आई द्वारा किया जा रहा है ।
23.3	रेल मुख्यालय का स्टेशन हाजीपुर को आदर्श स्टेशन के रूप में और अधिक विकसित किया जाय ।	किसी स्टेशन को आदर्श स्टेशन की श्रेणी में घोषित रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है पर स्टेशन हाजीपुर तथापि उपलब्ध सुविधा यात्री अनुरूप के मानकहै ।
23.4	हाजीपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाय ।	नोट किया गया।
23.5	पटना–इन्दौर एक्सप्रेस में पेन्ट्रीकार की व्यवस्था की जाय ।	इस पर कार्यवाही पश्चिम रेलवे द्वारा लिया जाना है।
23.6	मिथिला एक्सप्रेस में बरौनी से मुजफ्फरपुर के बीच नशाखुरानी के मामले अधिक होते हैं इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।	मिथिला एक्स0 गाडी सं0 13021 में बरौनी से मुजफ्फरपुर के बीच वर्श 2012 के माह नवम्बर तक नशाखुरानी का कुल 03 मामला सुरक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा पकड़ा गया हे

		जिस मामले को सम्बंधित पोस्टों के अन्तर्गत केस दर्ज कर न्यायालय को अग्रसारित किया जा चुका है और इस खण्ड पर यात्रियों को नशाखुरानी से बचने के लिए वि ोश निगरानी रखी जा रही है।
23.7	हाजीपुर से नई दिल्ली तथा हावड़ा तक ट्रेन चलायी जाय ।	हाजीपुर स्टेशन पर मूलभूत सुविधा यथा वाशिंग पिट, स्टेवलिंग लाईन एवं सिक लाईन का अभाव है। अतः वर्तमान में हाजीपुर से नई दिल्ली तथा हावड़ा के लिए नई गाड़ी का परिचालन संभव नहीं है।
23.8	सहदेई बुजुर्ग और महनार स्टेशन का विकसित किया जाए तथा दोनों स्टेशनों पर आरक्षण काउंटर की व्यवस्था की जाय ।	नोट किया गया।
23.9	बरौनी से हाजीपुर आनेवाली ट्रेन को अनावश्यक तथा बिना कारण बिदुपुर/अक्षयवट राय नगर स्टेशन पर रोक दिया जाता है जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है ।	आपके प्रस्ताव की जॉच की जा रही है।
23.10	हावड़ा से पटना आनेवाली ट्रेन को अक्सर पटना साहिब/फतुहा के आस–पास स्टेशनों पर अनावश्यक रूप से रोक दिया जाता है ।	प्रस्ताव की जॉच की जा रही है।
23.11	हाजीपुर से कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया शाहपुर पटौरी होते हुए चलाने की व्यवस्था की जाय ।	आपके प्रस्ताव की जॉच की जा रही है।
24.0	**श्री सत्येन्द्र कुमार, सदस्य, जेडआरयूसीसी**	
24.1	धनबाद से दिल्ली के लिए एक सीधी ट्रेन चलाई जाय या गया से दिल्ली महाबोधी एक्सप्रेस का विस्तार धनबाद से किया जाय ।	आगामी आईआरटीटीसी में आपका प्रस्ताव प्रस्तावित है।
24.2	धनबाद से पटना वाया गया एक ट्रेन चलाई जाय । जब तक यह सेवा प्रारंभ नहीं होती है तब तक गंगा दामोदर एक्सप्रेस में दो कोच बढ़ाया जाय ।	वर्तमान में इस रेलवे में कोच का नितांत अभाव है। उपलब्ध होने पर कोच की संख्या बढ़ा दी जाएगी।
24.3	धनबाद–एल्लेप्पी एक्सप्रेस का परिचालन सीधा धनबाद से हो न कि टाटा के साथ जोड़कर । इस कारण रेल उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत हो रही है ।	आपका प्रस्ताव आगामी आईआरटीटीसी में प्रस्तावित है।
24.4	रॉची–यशवंतपुर एक्सप्रेस का विस्तार धनबाद से किया जाय ।	रॉची–यशवंतपुर एक्सप्रेस इस रेलवे की स्वामित्व की गाड़ी नहीं है। संबंधित रेलवे को इस संबंध में

		पत्र लिखा जा रहा है।
24.5	धनबाद रेल स्टेडियम में एक अत्याधुनिक व्यायामशाला (जिम) का निर्माण किया जाय ।	नोट किया गया।
24.6	धनबाद जिला के सभी पोस्ट ऑफिस में रेल आरक्षण की व्यवस्था की जाय ।	झरिया, कतरास, गढ, सिंदरी, निरसा चट्टी, कुसुन्डा, धनबाद/एम.एस.आई,धनबाद बाजार,, बी.सी.सी.एल टाउनशिप, गोबिन्दपुर,राजधनवार,गोमो आदि जगहों पर इंडिया पोस्ट के संचालन हेतु प्रक्रियाधीन है।
24.7	पारसनाथ एक्सप्रेस में पेन्ट्रीकार लगाया जाय एवं इस गाड़ी को सप्ताह में दो दिन किया जाय ।	वाणिज्यिक औचित्य प्राप्त होने पर रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाएगा ।
24.8	सियालदह–अजमेर एक्सप्रेस का ठहराव नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्टेशन गोमों में किया जाय ।	मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है तथापि आपके प्रस्ताव पर वाणिज्यिक औचित्य के लिए वाणिज्य विभाग को लिखा जा रहा है । वाणिज्यिक औचित्य प्राप्त होने पर रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाएगा । मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है तथापि आपके प्रस्ताव पर वाणिज्यिक औचित्य के लिए वाणिज्य विभाग को लिखा जा रहा है । वाणिज्यिक औचित्य प्राप्त होने पर रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाएगा ।
24.9	अजमेर जाने वाली ट्रेन का ठहराव रेनुकूट स्टेशन पर किया जाय ।	वाणिज्यिक औचित्य प्राप्त होने पर रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाएगा ।
24.10	धनबाद से शक्ति नगर के लिए ट्रेन चलाई जाय ।	वर्तमान में शक्तीनगर में मुलभूत सुविधा यथा वाशिंग पीट, स्टेवलिंग लाईन एवं सीक लाईन का अभाव है । अतः परिचालनिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है ।
24.11	गाड़ी संख्या 12301 एवं 12313 का ठहराव कोडरमा स्टेशन पर दिया जाय ।	मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है तथापि आपके प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है ।
24.12	हटिया–पटना सुपर फास्ट एक्सप्रेस का ठहराव परसावाद स्टेशन पर हो ।	पटना–हटिया सुपरफास्ट का ठहराव परसाबाद स्टेशन पर दे दिया गया है ।
24.13	सभी ट्रेनों में आपातकालीन कोटे बढ़ाये जायें ।	इसकी समीक्षा की जायगी।
24.14	आरक्षण के काउंटर पर टिकटों की दलाली एक गंभीर समस्या है । इसे रोकने के लिए कदम उठाये जायें ।	काउंटर पर कतारबद्ध लोगों की निगरानी मुख्य स्टेशनों पर आरक्षण कार्यालयों में अंदर तथा बाहर सी.सी.टी.बी कैमरा लगाया गया है जिसके द्वारा कर्मचारियों देख–रेख की जाती है तत्काल टिकट के यात्रियों के आरक्षण मांग पत्रों पर क्रमानानुसार

		संख्या अंकित की जाती है एवं तदनुसार मांग पत्र स्वीकार किये जाते हैं समय समय पर रेल अचिकारियों एवे निरीक्षकों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है एवे अनियमितताओं के प्रकाश में प्रमुख स्टेशनों के आरक्षण कार्यालय के बाहर आर. पी.एफ की तैनाती की जाती है।
24.15	रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों का नाम एवं फोन नम्बर स्टेशन के प्राइम लोकेशन पर लगाया जाय ।	सभी मंडल को निर्देशित है।
24.16	ट्रेन आने पहले प्लेटफार्म के सारे नल बंद कर दिये जाते हैं, ताकि यात्रियों को पीने के पानी के लिए भेंडरों का ही सहारा लेना पड़े । यात्रियों को इस प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए प्रभावी कदम उठाये जायें ।	पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है।
24.17	धनबाद मंडल के प्रधानखांटा स्टेशन के पास एक फ्लाईओवर बनाया जाय ।	पी0ई0टी0 सर्वे का प्रस्ताव भेजा गया है।
24.18	बरकाकाना में राजधानी एवं गरीब रथ एक्सप्रेस के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाय । तकनीकी कारणों से दोनों ट्रेनों का ठहराव है लेकिन आरक्षण की व्यवस्था नहीं है ।	इसकी समीक्षा की जायगी।
24.19	लगेज के लिए भुगतान के आधार पर ट्राली मुहैया कराया जाय ।	प्रस्ताव विचाराधीन है।
24.20	स्टेशन पर बनाये गये कैन्टीन का रेट उचित नहीं होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है । कैन्टीन का उचित रेट तय किया जाय ।	इसकी समीक्षा की जायगी।
24.21	आई.आर.सी.टी.सी. के माध्यम से लोकल ट्रेनों का भी टिकट जारी करने की व्यवस्था की जाय ।	नोट किया गया । यह नीतिगत मामला है।
24.22	पटना जंक्शन से हाजीपुर रेल बस सेवा प्रारंभ की जाय ताकि दूसरे रेल, मंडल से आने वाले कर्मचारी समय पर मुख्यालय जाकर अपना काम कराकर वापस अपनी सेवा समय पर दे सकें ।	पटना से हाजीपुर मुख्यालय आने जाने हेतु 05 बस संचालित है । एक और नये बस खरीद की प्रक्रिया चल रही है। दो माह के अन्दर नया बस परिचालित हो जाएगा।
24.23	धनबाद मंडल से जितना राजस्व रेल मंत्रालय को देता है उस अनुपात में इस रेल मंडल के विकास में खर्च अवश्य किया जाय ।	यह नीतिगत विषय है

जेड. आर. यू. सी. सी. (ZRUCC)

पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रस्तावित उप–विधि

1.0 प्रस्तावना :

1.1 रेल उपयोगकर्ता का बेहतर एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने, पूर्व मध्य रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच इस रेल द्वारा प्रदत्त सेवा से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श के अधिक अवसर उपलब्ध कराने एवं सेवा की दक्षता में सुधार हेतु पूर्व मध्य रेल के प्रधान कार्यालय, हाजीपुर में क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति बनाई गई है, (जिसे अब से जेड.आर.यू.सी.सी. ZRUCC कहा जाएगा) साथ ही दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर के मंडल मुख्यालयों में पांच डी.आर.यू.सी.सी. भी गठित की गई है।

1.2 क्षे.रे.उ.प.स. (ZRUCC) का उद्देश्य : जेड.आर.यू.सी.सी. के गठन का उद्देश्य स्टेशनों और गाड़ियों दोनों पर यात्री–सुविधाओं को रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए यथासंभव लाभदायक बनाने के लिए सदस्यों के परामर्श से जनमत प्राप्त करने का प्रावधान करना, और इस प्रकार रेलवे प्रशासन को जनमत और आवश्यकता के अनुरूप पूर्णतः सही एवं शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है ताकि रेलवे के पास उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम उपयोग हो सके और बिना अतिरिक्त खर्च के अधिक वांछित काम पूरा किया जा सके।

2.0 समिति का गठन :

2.1 जेड.आर.यू.सी.सी. में इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य क्षेत्र में सामान्य रेलवे उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधित्व हेतू माननीय रेल मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे जिसे नीचे दर्शाया गया है :–

2.1.1 (क) केवल 10 संसद सदस्य (07 लोक सभा और 03 राज्य सभा) नामित किए जाएंगे।

(ख) जेड.आर.यू.सी.सी. में प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जो पूर्व मध्य रेल सेवित क्षेत्र में स्थित हो प्रतिनिधित्व हेतु उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

2.1.2 इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित प्रत्येक विधान मंडल का एक सदस्य।

2.1.3 इस रेलवे द्वारा सेवित प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जैसा कि उस सरकार द्वारा अनुशंसित हो।

2.1.4 प्रमुख चेम्बर ऑफ कामर्स के अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि तथा/या जिस व्यापार संघ का स्थायित्व पांच साल से कम न हो।

2.1.5 राज्य सरकार अथवा सरकारी कृषि संगठन एवं अन्य निकायों के दो से अधिक प्रतिनिधि नहीं, जो उपर्युक्त 2.1.4 में उल्लिखित चेम्बर आफ कामर्स से संबद्ध या शामिल नहीं है।

2.1.6 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक एक या दो पंजिकृत यात्री संगठनों का एक प्रतिनिधि।

2.1.7 "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए रेलवे के महाप्रबंधक की सिफारिश पर नामित एक सदस्य।

2.1.8 माननीय रेल मंत्री द्वारा "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में नामित आठ सदस्य।

2.1.9 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत उपयोगकर्ता संरक्षण स्वैच्छिक संगठन (कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालन्टरी आरगेनाइजेशन) का एक प्रतिनिधि।

2.1.10 इस रेलवे के प्रत्येक मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से चुने हुए एक गैर सरकारी प्रतिनिधि।

2.2 जिन व्यक्तियों के पास रेलवे से जुडे. मुनाफे का कार्यभार जैसे खानपान एवं बिक्री ठेकेदारों आउट एजेन्सी ठेकेदारों, हैंडलिंग ठेकेदारों, इन्जीनियरिंग ठेकेदारों सहित ट्रैवलिंग एजेंसियाँ अथवा वे, जो मालगोदाम पार्सल कार्यालयों आदि के साथ दिन–प्रतिदिन के काम में घनिष्ट और सीधे जुड़े हैं, जैसे फारवडिंग एजेंटों आदि क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति एवं राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामशदात्री परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं।

2.2.1 यदि किसी सदस्य को विशेष हित की कोटि के अन्तर्गत मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति और क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति दोनों के लिए नामित किया जाता है तो उस व्यक्ति की सदस्यता केवल एक ही समिति अर्थात मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में ही मान्य होगी तथा क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए।

2.3 पूर्व मध्य रेल क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित राज्य होंगे – 1. बिहार, 2. उत्तर प्रदेश 3. झारखंड और 4. मध्य प्रदेश

2.4 महाप्रबंधक समिति के अध्यक्ष होगें तथा उप महाप्रबंधक (सा.), पूर्व मध्य रेलवे समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

2.5 उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य महत्तवपूर्ण स्थानीय चैम्बरों या प्रमुख व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघो से सामान्यतया लिए जाते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त होता है। चैम्बर्स तथा/या संघो और अन्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात उक्त संगठनो को उनका/उनके प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों के नाम नामित करने की सलाह दी जाएगी। यह उक्त चैम्बरों/संघ के विवेक पर है कि प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा हो या किसी अन्य तरीके से।

2.6 क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा जो इसके गठन की तिथि से दो वर्षो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.7 सदस्यों का वर्गीकरण

2.7.1 सरकारी सदस्य, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि "सरकारी सदस्यों" की कोटि में आएंगें।

2.7.2 **गैर सरकारी सदस्य** : उपर्युक्त पैरा 2.7.1 में दिये गए सदस्यों के अलावा बाकी सभी सदस्यों को सभी प्रयोजन के लिए गैर सरकारी सदस्य समझा जाता है।

3.0 कार्य संबंधी शर्तें:

3.1 प्रधान कार्यालय स्थित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति इस रेलवे द्वारा सेवित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रेल उपयोगकर्ता का प्रतिनिधित्व करेगी और निम्न से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है :–

3.1.1 रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में यात्री या मालभाड़ा से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान।

3.1.2 समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नए स्टेशनों के खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव।

3.1.3 समय सारणी संबंधी व्यवस्थाएं।

3.1.4 रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार।

3.1.5 सामान्य लोकहित या सार्वजनिक सुविधा या सुविधाओं से जुड़े ऐसे मामले जो उपयोगकर्ता के प्रतिवेदन का विषय रहा हो, से संबंधित कोई विषय।

3.2 मंडल समितियों के रिपोर्टों से उत्पन्न मामले या ऐसे अन्य मामले जो उपर्युक्त मद (3.1.1 से 3.1.5) में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं, जो विशेष रूप से मंडल समितियों द्वारा विचारार्थ अग्रसारित किए जाते हैं।

3.2.1 प्रशासन रेल मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एन. आर. यू. सी. सी.) की रिपोर्ट और विचारार्थ भेजे गए मामले।

3.2.2 रेलवे दरों (भारिक शुल्क को छोड़कर) और किराए से संबंधित मामले एवं कर्मचारी से संबंधित मामले, अनुशासनात्मक कार्यवाही और नियुक्ति आदि से संबंधित प्रश्न समिति के समक्ष विचारार्थ नहीं लाए जाएंगे।

3.3 इन नियमों के तहत गठित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रकृति पूर्णतः परामर्शदात्री ही होगी।

4.0 समिति की बैठक :

4.1 एक वर्ष में तीन बैठकें आयोजित की जाएगी।

4.2 किसी विषय में सूचना जिसे कोई सदस्य विचार के लिए करना चाहते हों, वे बैठक के निर्धारित तिथि के न्यूनतम 45 (पैतालिस) दिन पहले समिति के सचिव के पास अवश्य भेज दें। फिर भी, अत्यावश्यक विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति/सहमति से विचार–विमर्श किया जा सकता है।

4.3 समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कोई निर्धारित कोरम नहीं है।

5.0 चुनाव :

5.1 प्रत्येक अवधि के लिए रा.रे.उ.प.स. (एन.आर.यू.सी.सी.) में प्रतिनिधि भेजने के लिए गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा। समिति पूर्णरूपेण गठित होने के बाद ही इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए।

5.1.1 रा. रे. उ. प. स. के चुनाव तभी होंगे जब प्रत्येक म.रे.उ.प.स. से चुनाव द्वारा अपना एक–एक प्रतिनिधि क्षे. रे. उ. प. स. में भेज दिया गया हो।

5.2 पैरा 2.7.2 में वर्गीकृत गैर–सरकारी सदस्य ही रा. रे. उ. प. स. एवं उप रे. उ. प. स. में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षे. रे. उ. प. स. के चुनाव में खड.ा होंगे।

5.2.1 केवल गैर–सरकारी सदस्य ही उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मतदान के योग्य होंगे।

5.2.2 अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत् प्रस्तावित एवं अनुशंसित इच्छुक सदस्य द्वारा ही रा.रे.उ.प.स. के लिए चुने जाने हेतू नामांकन पत्र भरे जायेंगे।

5.2.3 कोई भी सदस्य, जो स्वयं चुनाव लड.ने के इच्छुक नहीं हो, इसी उद्देश्य के लिए किसी एक दूसरे सदस्य का प्रस्ताव/अनुशंसा कर सकता है।

5.2.4 प्रकिया संबंधी हुई त्रुटि जैसा कि पैरा 5.2.2 एवं 5.2.3 में उल्लिखित है, यदि नामांकन पत्र जॉच करते समय पता चलता है तो नामांकन रद्द माना जायेगा।

5.3.1 माननीय संसद सदस्य, विभिन्न राज्यों के माननीय विधान सभा सदस्य जो किसी रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शकर्ता समिति यथा क्षे.र.उ.प.रा. एवं एन.आर.यू.सी.सी. में चुने जाने के हकदार नहीं होंगे, जिसमें उनके सीधे नामांकन के लिए पहले से ही प्रावधान है।

5.4 इस उद्देश्य के लिए चुनाव संपन्न कराने हेतू अध्यक्ष, पहले ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए किसी एक अधिकारी को भी नियुक्त करेगा।

5.4.1 मतदान का परिणाम अनिर्णित रहने पर समिति के अध्यक्ष चुनाव को निर्णायक बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

6.0 परिचय पत्र :

6.1 परिचय पत्र जारी करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा दो स्टाम्प साइज फोटोग्राफ जमा किया जाना चाहिए।

6.1.1 सदस्यों को जारी किया गया परिचय पत्र निःशुल्क रेलवे पास के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

6.2 परिचय पत्र के खो जाने पर क्षे.रे.उ.प.स. के सदस्यों द्वारा प्राथमिक सूचना रपट (एफ.आई.आर.) की एक प्रति के साथ इस संबंध में आवेदन दिया जाना चाहिए। रेलवे उन्हें एक नया परिचय पत्र जारी करेगी जिस पर डूपलीकेट अंकित होगा।

6.3 सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाने पर सदस्यों को अपना परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए। यदि कार्य अवधि के पहले ही समिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भंग कर दी जाती है तो भी सदस्यों को अपने परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए।

7.0 परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) :–

7.1 जब कभी भी रेलवे द्वारा परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) का आयोजन किया जायेगा केवल गैर–सरकारी सदस्य ही उसमें भाग लेने के योग्य हैं।

7.2 अत्यावश्यक समझे जाने पर विश्रामगृह/विश्रामागार की व्यवस्था परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) के समय निःशुल्क की जाएगी।

7.3 यदि पर्याप्त संख्या में सदस्य यात्रा में सहभागी बनने के लिए अपनी पूर्व सहमति दे देने के बाद नहीं आते हैं

तो सदस्यों की उपस्थिति के आकार को देखते हुए यात्रा की तिथि के दिन यात्रा को रद्द कर देने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षित है ताकि व्यर्थ व्यय से बचा जा सके। स्थगन के निर्णय पर विचार–विमर्श अगली बैठक में की जानी चाहिए।

8.0 बैठक के समय सदस्यों के लिए सामान्य सुविधाएँ :

8.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए दूरवर्ती सदस्यों के लिए सिर्फ तीन दिनों के लिए ही (बैठक के पहले दिन, बैठक का दिन तथा बैठक के बाद का दिन) बैठक–स्थल के निकटतम स्टेशन पर रेलवे रिटाररिंग रूमो/विश्रामगृहों में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी तथा रहने की व्यवस्था में किसी प्रकार की बढ. ोत्तरी स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा रेल प्रशासन द्वारा जगह की अनुपलब्धता की स्थिति में उपयुक्त/उपलब्ध होटलों में की जायेगी।

8.2 बैठक में उपस्थित होने के लिये आये सदस्यगण, विश्रामगृह/रिटायरिंग कक्षों/ होटलों में ठहरने के दौरान खान–पान सेवाओं का लाभ केवल स्वयं भुगतान करके ही उठा सकते हैं।

8.3 सदस्यों के लिए ठहरने के स्थान से बैठक–स्थल तक आने एवं जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है।

9.0 यातायात सुविधाएँ :

9.1 गैर–सरकारी सदस्यों के लिए :

9.1.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने पर गैर–सरकारी सदस्यों को अपने गृह–स्थान (होम स्टेशन) से सिर्फ बैठक–स्थल तक पहुँचने तथा वापसी की यात्रा के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/।। वातानुकूलित दर्जे (राजधानी एवं शताब्दी गाडि.यों को छोड.कर) के पास जारी किये जाएँगे।

9.1.2 प्रथम श्रेणी/।। वातानुकूलित श्रेणी के लिए जारी इस तरह के पास पर एक परिचायक को द्वितीय श्रेणी/शयनयान में ले जाने की सुविधा होगी।

9.1.3 यदि कोई सदस्य प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करना चाहें तो उन्हें जैसा देय होगा, भाडे. का अन्तर देना होगा (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के किसी श्रेणी को छोड.कर)।

9.1.4 पहले से विद्यमान पास–नियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार मार्गस्थ यात्रा भंग करने की अनुमति है। इस उद्देश्य के लिए कोई भी अतिरिक्त यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

9.1.5 उन स्थानों के लिए जो रेल–हेड से जुडे. हो, विमान यात्रा अनुमेय नहीं है। उन स्थानों के लिए जो रेल–हेड से जुडे. न हों, सदस्य के निवास से निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल–हेड तक विमान यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। फिर भी, यदि निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल–हेड तक का हवाई किराया और निकटतम रेल–हेड तक का हवाई किराया और निकटतम रेल–हेड से बैठक स्थल के बीच के रेल किराए (2 वाता.) का कुल योग निवास स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक के कुल हवाई किराये से अधिक हो, तो सदस्य के निवास के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल तक हवाई किराये की अनुमति दी जा सकती है।

9.1.6 यदि कोई सदस्य वैसे स्थान पर रह रहे हों जो रेल–हेड से नहीं जुड.ा हो और निकटतम रेल–हेड तक समुद्री मार्ग के साथ ही हवाई मार्ग से भी पहुँचा जा सकता हो; तब सदस्य को परिवहन के वैसे साधन से यात्रा करने की अनुमति होगी जिसका किराया कम हो।

9.1.7 रेलवे स्थापना (इस्टेबिलिशमेंट) के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को कोई अतिरिक्त पास नहीं जारी किया जाएगा।

9.2 सरकारी सदस्यों के लिए :

9.2.1 सिर्फ बैठक–स्थल तक पहुँचने तथा वापसी हेतु राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्योगों के प्रधान कार्यालयों से सरकारी सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं।

9.3 राज्य विधानसभा के सदस्यां के लिए:

9.3.1 अपने गृह स्थान (होम स्टेशन) से बैठक स्थल तक यात्रा करने हेतु विधान सभा/विधान परिषद् के

सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के लिए पास जारी किए जा सकते हैं।

9.4 संसद सदस्यों के लिए :

9.4.1 एक संसद सदस्य/सदस्या अपने लिए जारी पहचान कार्ड–सह रेलवे पास का उपयोग कर साधारणतः रेल द्वारा ही यात्रा करेंगे/करेंगी। वे अपनी मर्जी से विमान द्वारा भी यात्रा कर सकते/सकती हैं। फिर भी, सामान्य रूप से विमान यात्रा का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए तथा इस तरह की यात्रा करने के लिए कारकों यथा–कार्य की अत्यावश्यकता यात्रा की जाने वाली दूरी, अपने कार्य–निष्पादन के लिए समय इत्यादि का ध्यान सदस्य/सदस्या को रखनी चाहिए तथा जहाँ विमानों में दो श्रेणियों यथा–प्रथम एवं मितव्ययी (पर्यटक) श्रेणी, उपलब्ध हों, एक संसद सदस्य/सदस्या प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते/सकती हैं।

9.4.2 संसद सदस्य/सदस्या के लिए सामान्यतः कोई पास जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्यों कि उन्हें पहचान कार्ड–सह–रेलवे पास दिया गया है फिर भी उनकी ओर से समिति या उसकी उप समिति में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी मानार्थ पास जारी करने के विशेष अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है, यदि पहचान कार्ड–सह–रेलवे पास खो जाने की सूचना दी गई हो।

9.4.3 जहाँ कोई सदस्य संसद के सदन के सत्र अथवा किसी समिति की बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा सदस्य के रूप में अपने ड्यूटी से संबद्ध किसी अन्य कार्य करने के उद्देश्य से अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से अथवा ऐसे स्थान तक वापसी यात्रा करता है, तो वह की गई वास्तविक यात्रा अथवा अपने सामान्य निवास स्थान से या तक यात्रा, जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है।

9.5 परिचर की परिभाषा :

9.5.1 'परिचर' शब्द की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति जो पास धारक की व्यक्तिगत सेवा में वेतन पर नियोजित किया गया हो। इसमें पूरे समय वाले घरेलू कर्मचारी शामिल हैं यथा–बेयरा, खनसामाँ (बटलर), रसोइया, आया इन्यादि। लेकिन इसमें शिक्षक, दर्जी, धोबी इत्यादि या पास धारक का कोई संबंधी, जो नौकर की तरह कार्य कर रहा हो, शामिल नहीं है।

9.6 सामान्य यात्रा सूविधाएँ :

9.6.1 समिति की बैठकों में भाग लेने या समिति के अन्य कार्य के लिए सदस्यों को 'अस्थायी' निवास के निकटतम रेलवे स्टेशन से पास जारी करने हेतु उनके अनुरोध को गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जा सकता है तथा महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि अस्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के नीचे की दूरी स्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के बीच की दूरी से कम हो।

9.6.2 निवास स्थान के अतिरिक्त भी किसी स्टेशन तक वापसी यात्रा के लिए पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि बहिर्यात्रा के लिए जारी पास के स्टेशन की दूरी से वह दूरी (वापसी यात्रा की) कम हो।

10.0 यात्रा एवं दैनिक भत्ते :

10.1 गैर–सरकारी सदस्यगण :

10.1.1 सदस्य के निवास स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तथा बैठक स्थल के बीच तथा उसके विपरीत कम में यात्रा करने में लगे कोई भी कैलेण्डर दिन या एक से अधिक दिन के लिए पाकेट खर्च में से बैठक की अवधि के दौरान प्रतिदिन रू0 120/– की दर से दैनिक भत्ता तथा रू0 50/– प्रतिदिन के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा। पाकेट भत्ता में से रू050/– उस दिन या उन दिनों के लिए नहीं दिया जाएगा जिस दिन के लिए रू0 120/– के रूप में दैनिक भत्ता देय है।

10.1.2 यदि निकटतम रेलवे स्टेशन से निवास स्थान की दूरी 8 किमी. से अधिक है, तो प्रति किमी. 4/– (चार रूप्ये) अधिकतम के हिसाब से निवास स्थान तथा रेलवे स्टेशन के बीच की यात्रा के लिए वास्तविक पाकेट खर्च के रूप में दिया जायेगा।

10.1.3 शहर जिसमें बैठक हो रही है, के किसी कोने में रहने वाले क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री

समिति के स्थानीय गैर–सरकारी सदस्य "ए" एवं "बी" श्रेणी के शहर के लिए वास्तविक वाहन किराया प्रभार अथवा 100/– रू0 प्रतिदिन जो भी कम हो, एवं अन्य "सी" श्रेणी के शहरों के लिए वास्तविक वाहन प्रभार अथवा 75/– रू0 प्रतिदिन जो भी कम हो, भुगतान के पात्र होंगे। तथापि, उन्हें कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

10.2 सरकारी सदस्य :

10.2.1 समिति के सरकारी सदस्य पैरा 10.1.1 एवं 10.1.2 में वार्णित भत्तों के हकदार नहीं होंगे। इस सदस्यों को यात्रा भत्ता उनके अपने नियमों के अनुसार दिया जाएगा और उनके संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा वहन किया जायेगा।

10.3 विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों :

10.3.1 क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में नामित राज्य विधायिका के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) संबंधित राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियम के अंतर्गत दिया जाएगा और राज्य विधायिका माना जाएगा और राज्य विधायिका के सत्र के दौरान वे अपने संबंधित वेतन और भत्ता भुगतान तथा रिमुवल ऑफ सिक्वालिफिकेशन अधिनियम के अंतर्गत निर्देशित होंगे। फिर भी इन सदस्यों को उनके निवास स्थान के निकटतम स्टेशन से बैठक स्थल पर आने एवं वापसी यात्रा हेतु प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है। यदि विधायिका के सदस्य ऐसा अनुरोध करते हैं तो संबंधित उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक स्थल से उस शहर के स्टेशन तक जहाँ विधान सभा स्थित है, की वापसी यात्रा हेतु भी पास जारी किया जा सकता है। राज्य विधायिका के सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) की निकासी नहीं करेंगे, जो उन्हें राज्य विधायिका के सदस्य के अयोग्य बना सकता है।

10.3.2 किसी भी ऐसे दिन के लिए जिसके लिए सदस्य, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य के रूप में अपने दैनिक भत्ता के हकदार हैं, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

10.3.2.1 बैठक के स्थान एवं उनके निवास स्थान के निकटस्थ रेलवे स्टेशन के बीच और उसी प्रकार दूसरी ओर से वापसी के तहत यात्रा में लगे दिनों की संख्या की गणना यात्रा भत्ता के रूप में की जाएगी तथा सदस्य द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की प्राप्ति तक वापसी सीमित होगी। इस उद्देश्य के लिए सदस्य के दावे के साथ निम्नलिखित के संबंध में एक समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा :

"प्रमाणित किया जाता है कि क्षे.रे.उ.प.स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।"

सदस्य विधान सभा/सदस्य विधान परिषद् का हस्ताक्षर

10.4 संसद सदस्य :

10.4.1 संसद सदस्य के पक्ष में निर्गत किया गया पहचान–पत्र–सह–रेलवे पास का उपयोग कर वे रेल द्वारा साधारणतया यात्रा करेंगे। वे अपने विवेकानुसार वायुयान द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। यदि वायुयान द्वारा यात्रा किया जाता है, तो आउट ऑफ पाकेट खर्च स्वरूप ऐसी यात्रा हेतु वायुयान भाड़ा का एक एवं एक चौथाई के बराबर की राशि के लिए सदस्य हकदार होंगे।

10.4.2 समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए संसद सदस्य रेल की अपेक्षा सड़क द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे मामले में संसद सदस्य 8.00 रू0 प्रति कि. मी. की दर से रोड मील–भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। यात्रा भत्ता की जगह जो उनको स्वीकार्य रहा हो यदि वे रेल द्वारा यात्रा करते, बशर्ते कि सम्पूर्ण यात्रा के लिए ऐसे सदस्य द्वारा लिये गये यात्रा भत्ता की कुल राशि से उक्त राशि अधिक नहीं होगी जो उनके लिए स्वीकार्य रहा होगा, अगर वे रेल द्वारा यात्रा कर चुके होते।

10.4.3 यदि संसद सदस्य रेल द्वारा यात्रा करते हैं तो बैठक का स्थान एवं निवास स्थान से आउट ऑफ

पाकेट खर्च के रूप में इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा और इकहरी यात्रा प्रथम श्रेणी भाड़ा के बराबर की राशि यात्रा भत्ता स्वरूप भुगतान किया जाना चाहिए बिना इस बात पर ध्यान दिए कि सदस्य ने किस श्रेणी में यात्रा की।

10.4.4 बैठक की अवधि के दौरान रू.500/– प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता।

10.4.5 बैठक के दिन/दिनों में इस दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, सदस्य बैठक को कार्यवाही के दो दिन पूर्व और बैठक समापन के दो दिन बाद हेतु दैनिक भत्ता के लिए हकदार होंगे, यदि वे इन दिनों में बैठक के स्थान पर वास्तव में ठहरते हैं।

10.4.6 किसी भी ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान देय नहीं है जिस दिन संसद सदस्य एक संसद सदस्य के रूप में अपना दैनिक भत्ता पाने के हकदार है।

(ए) यदि यात्रा हवाई मार्ग से की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए हवाई यात्रा भाड़े के 1–¼ के बराबर धनराशि।

(बी) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल या हवाई मार्ग से नहीं की जा सकती हो।

(I) जहॉ यात्रा या उसका कोई भाग स्टीमर से किया जाए तो स्टीमर में उच्चतम श्रेणी की ऐसी प्रत्येक यात्रा या उसके किसी भाग के लिए भाड़े के (आहार रहित) 1–3/5 के बराबर की धनराशि अथवा, यदि नियमित स्टीमर सेवा निद्यमान न हो तो ऐसी यात्रा अथवा उसके किसी भाग के लिए ऐसी धनराशि जैसा कि संसद अधिनियम, 1945 के वेतन, भत्ते और पेंशन की धारा 9 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित हो।

(II) जहॉ यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग से किया जाए तो ऐसी यात्रा या उसके किसी भाग के लिए 8 रू. (आठ रूप्ये मात्र) प्रति किलोमीटर की दर से रोड माइलेज (सड़क मील भत्ता)

(III) आगे पुनः यह कि जब कोई सदस्य दिल्ली में सड़क मार्ग से हवाई अड्डे से और हवाई अड्डे तक यात्रा करता है तो ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए न्यूनतम रू. 120/– (एक सौ बीस रूप्ये मात्र) भुगतान किया जाएगा।

10.4.7 आउट ऑफ पाकेट भत्ता (यथा बैठक स्थल एवं अपने निवास स्थान से निकटस्थ रेल स्टेशन एवं उसी प्रकार वापसी के बीच इकहरी प्रथम श्रेणी भाड़ा और इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा के समतुल्य राशि) संसद सदस्य द्वारा की गयी वास्तविक खर्च की पूर्ति तक सीमित होगी। इस उद्देश्य हेतु संसद सदस्य के दावे में निम्नलिखित समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा।

" प्रमाणित किया जाता है कि क्षे. रे. उ. प. स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।"

संसद सदस्य का हस्ताक्षर

104.8 उपर्युक्त नियमों के तहत जहॉ वास्तविक खर्च की राशि उच्चतम देय राशि की अपेक्षा कम हो तो भत्ते की राशि को वास्वविक खर्च की राशि तक कम कर दी जाय जिसे पैरा 10.4.7 में उल्लेख के अनुसार प्रमाणित किया जा सकता है।

104.9 संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य इस समिति की बैठक आदि के संबंध में उनके द्वारा वास्तविक रूप में की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता के पात्र हैं।

10.4.9.1 संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद के सदन के सत्र में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा किसी समिति की बैठक अथवा सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी से संबद्ध किसी अन्य कार्य को करने के लिए भारत में उनके द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए उनके सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहॉ अथवा बैठक आयोजित होनी है अथवा अन्य कार्य सम्पादित किए जाने हैं और ऐसे स्थान से सामान्य निवास तक वापसी यात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा।

10.4.9.2 समिति की बैठक आदि के स्थान तक संसद/राज्य विधान मंडल की बैठक के स्थान से और

वापसी यात्रा हेतु, यदि संसद/राज्य विधान मंडल के सत्र में भाग लेने के समय वहॉ से बैठक में जाने और वहॉ से वापसी यात्रा की जाए।

11.0 अनुपालन के लिए मार्गदर्शन :

11.1 अधिसूचित गैर–सरकारी समितियों के सदस्यों के पदनाम जो उनके पत्र शीर्ष लेटर हेड/विजिटिंग कार्ड आदि पर मुद्रित हों वे पूरी तरह से उनके नामांकन पत्र के अनुसार होने चाहिए।

11.2 उन्हें अपने पत्र शीर्ष (लेटर हेड) स्टैट्स, क्रेस्ट्स, बैजें, हाउस फ्लैग या अन्य उद्देश्य हेतु सरकारी अनुमति के बिना सरकारी प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

12.0 सदस्यता का निरस्तीकरण :

12.1 इस आशय की सूचना मिलने पर कि किसी सदस्य/सदस्यों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है या कोई सदस्य आपराधिक कार्यवाही में विधि न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की सदस्यता सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करके निरस्त कर दी जाएगी।

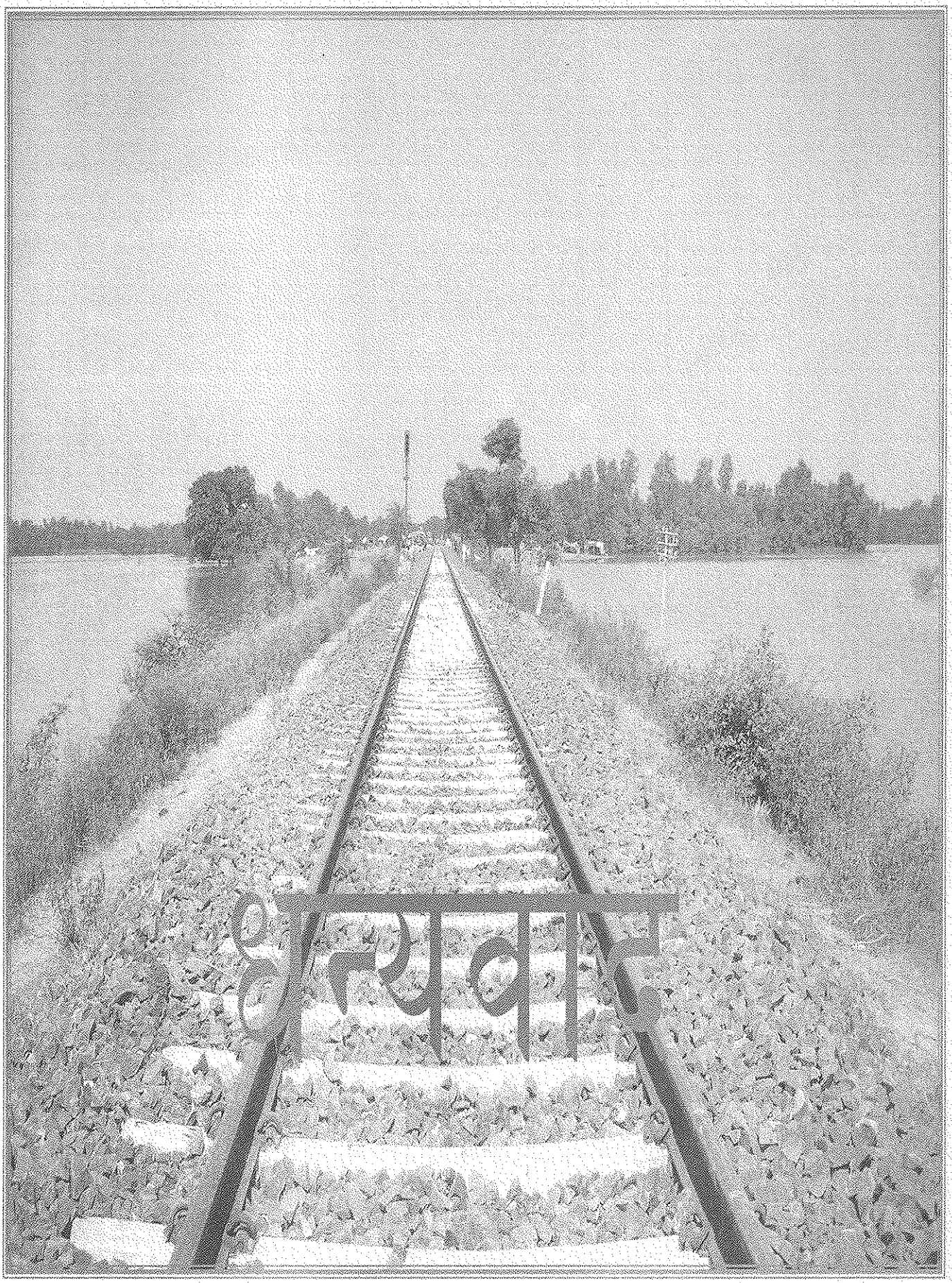
12.2 सदस्य/सदस्यों की ओर से की गई कोई कार्रवाई रेलवे के हित में नुकसान देय पायी जाने पर उनकी सदस्यता/सदस्यताएँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जप्त कर ली जाएगी।

13.0 माननीय संसद सदस्यों/विधायको/विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति।

13.1 वैसे माननीय सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य जो जेड.आर.यू.सी.सी. समिति के अवधि के पहले ही संसद सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य नहीं रह जाएंगे। उनकी सदस्यता समाप्त हो जायगी।

* * * * *


पूर्व मध्य रेल का संक्षिप्त मानचित्र
NETWORK PLAN
OF
EAST CENTRAL RAILWAY
CORRECTED UPTO 31st MARCH · 2012
NEPAL
BIHAR
UTTAR PRADESH
JHARKHAND
WEST BENGAL
CHHATISGARH
BANGLADESH
M P
VALMIKINAGAR RD.(VKNR) 298.60
BHIKHNA TORI(BKF) 35.53
AMOLWA(AMO) 12.13
NARKATIAGANJ JN.(NKE)VIA SMI 228.37
BIRGANJ
RAXAUL JN.(RXL) 187.73
BETTIAH(BTH) 209.63
SUGAULI JN.(SGL) 186.86
BAPU DHAM MOTIHARI(MKI) 165.13
JAIMURTI NAGAR -H (JMM) 158.33
BAIRGANIA (BGU) 134.20
BARDIBAS
SITAMARHI (SMI) 105.55
JAYNAGAR(JYG)49.20
LAUKAHA BAZAR(LKQ) 43.00
CHAKIA -H (CAA) 134.33
RUNISAIDPUR 41.500
CHANDAUNA -H (CHK) 76.60
MADHUBANI(MBI) 16.60
NIRMALI (NMA) 70.60
SARAYAGARH(SRGR) 93.63
CHAKARDAHA-H(CRDA) 145.67
FORBESGANJ (FBG) 152.74
SAKRI JN. (SKI)
CHANDPIPAN- H 91/0
JHAJHARPUR JN. (JJR) 31.00
SUPAUL (SOU) 69.17
DARBHANGA JN.(DBG) 37.42 SPJ 19.46
MUZZAFARPUR
MUZAFFARPUR JN.(MFP) 86.51 KM FROM BCA (50.10 KM FROM HJP)
HAYAGHAT (HT) 21.73
BIRAUL(H) 40.968
DAURAMADHEPURA (DMH) 77.30
SAHARSA JN. (SHC) 42.00 MNE
MUKTAPUR(MKPR) 3.62
PARMINIA-H 36/14-15
BANMANKHI JN.(BNKI) 36.58
PURNIA COURT(PRNC) 5.33
PURNIA JN.(PRNA) 99.45 SHC
SAMASTIPUR JN.(SPJ) VIA BCA 34.650
VIA HGG 85.88
HAJIPUR JN.(HJP) 00 ,VIA KIR 266.96
HASANPUR ROAD(HPO) 40.17
BACHHWARA JN.(BCA)135.72
PATNA JN. (PNBE) 543.55
ARA JN.(ARA) 592.65
TARIGHAT (TRG) 19.00
KUCHMAN (KCA) 743.92
BUXAR(BXR) 661.28
DILDARNAGAR JN.(DLN) 697.45
BHABHUA RD.(BBD) 620.14
KHURMABAD RD.BH(KVD) 591.43
PIRO 38.66
DUNPUN (PPN) 13.25
FATUHA JN.(FUT) 521.00
BAKHTIYARPUR JN.(BKP) 498.14
BARAUNI JN.(BJU) 109.02
KHAGARIA JN.(KGG) 123.58
MANSI JN.(MNE) 115.05 KIR
BEGUSARAI(BGS) 92.73
RAJENDRAPUL(RJO) 7.17
GAUCHARAN 100.12
NARAYANPUR(NNR) 94.05
KARHA GOLA ROAD (CRR) 22.12
KATIHAR JN.(KIR) 0.00
KATIHAR SOUTH CABIN(KHN) 0.80
BIHARIGANJ(BHGJ) 27.30
KURSELA(KUE) 38.21
DANIAWAN-F (DNWN) 9.29
KAREGANA (TEA) 29.52
HATIDAH JN.(HTZ) 447.31
BIHAR SHARIF(BES) 29.35
ISLAMPUR(IPR) 43.35
SONNAGAR JN.(SEB) - 549.04
Down Fly over SEB 411.83 From GHD
SASARAM JN.(SSM) 572.64
(VIA ARA 97.20)
DEHRI -ON-SONE(DOS) 554.90
RAFIGANJ (RFJ) 507.12
GAYA JN.(GYA) 469.54
MANPUR JN.(MPO) 464.40
PAIMAR-F(PMI) 117.65
TILAIYA (TIA) 87.83
NATESWAR 17.550
SHEIKHPURA(SHK) 26.31
WARISALIGANJ (WES) 51.76
NAWAGAN(NWD) 70.48
LUCKEESARAI-F (LKR) 421.54
KIUL JN.(KEU) 420.35
MANANPUR (MNP) 406.44
JHAJHA (JAJ) 366.43
JASIDIH JN. 322.50
MADHUPUR JN.293.54
GIRIDIH 331.50
CHEGRO-BH(CEME) 323.83
NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE GOMOH JN.(GMO) 300.15
DHANBAD JN.(DHN) 270.88
CHANDRAPURA JN. (CRP) 16.92
BARKAKANA JN.(BRKA) 100.62
BHANDARIDAH (BHME) 23.56
PATRATU(PTRU) 120.60
TORI (TORI) 185.30
McLUSKIEGANJ(MGNE) 163.23
PD BRANCH 7.00
TELO(TELO) 9.25
JARANGDIH (JAN) 37.2
CHIPADOHAR(CPDR) 248.75
BARWADIH(BRWD) 258.51
DALTONGANJ(DTO) 235.23
MERAL GRAM(MOX) 21.16
GARHWA (GHQ) 200.01
GARHWA RD.JN.(GHD) 219.04
NAGARUNTARI(NUQ) 44.05
MBRL (Pvt.SDG)
RENUKUT(RNQ) 99.54
KARAILA RD.JN.(KRLR) 175.47
KRISHNASHILA(KRSL) 21.42
(VIA KRLR)
SHAKTI NAGAR(SKTN) 32.13
(VIA KRLR)
CHOPAN JN.(CPU)141.43
BILLI JN.(BXLL) 135.16
TAKEUP POINT 132.70(From GHD)
SALAI BANWA(SLBN) 132.24
OBRA DAM(OBR) 137.89
HAIDARNAGAR(HDN) 358.99
KODERMA (KQR) 393.56
KODERMA TOWN - 10.450
NAWADIH - 33.300
HAZARIBAGH RD (HD) 345.12
BHABHUA
MIRZAPUR
SONBHADRA
PALAMU
CHATRA
GARHWA
LATEHAR
LOHARDAGA
GUMLA
RANCHI
HAZARIBAGH
NAWADA
JAMUI
GIRIDIH
DEOGHAR
DUMKA
JAMTARA
DHANBAD
BOKARO
BANKA
BHAGALPUR
MUNGER
LAKHISARAI
SHEIKHPURA
NALANDA
JEHANABAD
ARWAL
BARBIGHA
AURANGABAD
GAYA
KHAGARIA
SAHARSA
SUPAUL
ARARIA
KISHANGANJ
PURNIA
KATIHAR
GODDA
SAHIBGANJ
PAKUR
GUAGE CONVERSION from MG to BG
DOUBLING IN PROGRESS
MEGA BRIDGES IN PROGRESS
RIVER
MODEL STATIONS
DIVISIONAL BORDER
IMPORTANT STATIONS AND JUNCTIONS
RAILWAY DIVISIONAL HEADQUARTERS
RAILWAY ZONAL HEADQUARTERS
BROAD GAUGE SINGLE LINE
BROAD GAUGE DOUBLE LINE
BROAD GAUGE MULTIPLE LINE
METRE GAUGE SINGLE LINE
DISTRICT BOUNDARIES
STATE BOUNDARIES
INTERNATIONAL BOUNDARY
OTHER RAILWAY
ELECTRIFIED LINE SINGLE, DOUBLE B.G.
UNDER CONSTRUCTION BROAD GAUGE SINGLE LINE


रेलयात्री